

Printed by K Mittra at The Indian Press, Ltd.,  
Allahabad

## प्रस्तावना

प्रायः लोग शिकायत किया करते हैं कि अंग्रेज़, ऐँग्लो-इण्डियन आदि हिन्दुस्तानियों के साथ सामाजिक व्यवहार करने में संकोच करते और उनसे दूर रहते हैं। इस सामाजिक असहयोग के कहीं कारण हैं। साधारण हिन्दुस्तानियों की योरुपीय शिष्टाचार की अनभिज्ञता भी इस स्थिति का एक विशेष कारण है। प्रत्येक समाज अपने रहन-सहन और शिष्टाचार को अच्छा समझता है और आशा करता है कि दूसरे समाज के लोग उसका स्वयं प्रतिपालन चाहे न करें, किन्तु उसका अनादर तो न करें। यदि किसी हिन्दू के जौका या पूजागृह में कोई जूता पहनकर घुस आवे तो उसको कैसा कष्ट और क्रोध होता है। यदि कोई जनानखाने में बेघड़क घुस आवे तो कैसा बुरा जान पड़ता है। मैंने एक बार अज्ञान के कारण अपने एक सिख मित्र को पान के साथ तंबाकू और सिगार दिखाया, जिससे उसको मानसिक कष्ट हुआ, किन्तु उसने मुझे उपदेश देकर मेरा अपराध छापा कर दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि जो लोग दूसरे मतों या समाजों के मनुष्यों के साथ मिलते-जुलते हों, उनको उनके शिष्टाचार का व्यावहारिक ज्ञान होना आवश्यक है।

दूसरे समाजों के शिष्टाचारों को समझने और देखने से एक यह भी लाभ हो सकता है कि व्यक्ति अथवा समाज अपने रहन-सहन और शिष्टाचार की त्रुटियाँ भी सुधार सकता है। उठने-बैठने, रहन-सहन, यात-चीत और व्यवहार के नियमों पर ध्यान देने से मनुष्य व्यवहार-कुशल और चहुर हो जाता है। उसका जान और आदर बढ़ जाता है। उससे

और किसी को अनुचित हँगे नहीं पहुँचता । उससे मिलने-जुलने में किसी को संकोच नहीं होता । और वह हरएक के साथ वरावरी का व्यवहार कर सकता है ।

हमारे देश में किसी समय हिन्दू और मुसलमानों में शिष्टाचार पर बड़ा ध्यान दिया जाता था । और अब भी जो लोग कुलीन या खान्दानी हैं, उनके व्यवहारों में उदारता, मधुरता और मोहकता पाई जाती है । किन्तु अशिक्षित अथवा अद्विशिक्षित लोगों को शिष्टाचार की बहुत-सी बातों के सीखने की आवश्यकता है । उनके नीख लेने से लाभ ही है, हानि नहीं । अँग्रेजी शिष्टाचार और व्यवहार में अनेक बातें हैं जिनको हम लोग ग्रहण कर लें तो बहुत अच्छा हो । भविष्य में खियों के साथ सामाजिक व्यवहार बढ़ने की अधिकाधिक सम्भावना है । अतएव कुछ नये शिष्टाचार की बातें सीख लेना आवश्यक है । समाज, सभा, थियेटर, सिनेमा, यात्रा आदि में जैसा व्यवहार करना चाहिये, वैसा साधारण हिन्दुस्तानी नहीं जानते । इसका स्वयं मुझको अनुभव है । उन स्थानों या जलसों में जहाँ हिन्दुस्तानी ही जमा होते हैं वहा गोलमाल, खिल्ली, छटा और अशिष्टता का व्यवहार देखने-सुनने में आता है ।

एक बार मैं प्रयाग शहर के एक सिनेमा में था । मेरे साथ कुछ खियाँ और बच्चे भी थे । मैं फ़र्स्ट क्लास में बैठा था । कुछ ऐसे आदमी हम लोगों के पास आकर बैठ गये । उनको शायद शिष्टाचार का लेशमान्र ध्यान न था । थूकने, जाँघ खुजाने, ठट्ठाकर हँसने और मजाकें करने में उनको किमी प्रफार का सङ्कोच नहीं जान पड़ता था । ऐसी बेहूदगी योरप में धर्दङ्काय के बैठने वाले तक न करेंगे । ऐसी घटनाएँ मैं प्रायः देखता हूँ, जिसमें मुझको वड़ा छोभ होता है । मैं सोचता हूँ कि क्या आयों के वंशज और पुन्लाङ्ग-प्रिय मुसलमानों के वंशज इन शोचनीय दशा पर पहुँच गये । स्कूल और कालिजों के विद्यार्थियों में भी दर्जे के

बाहर जब ये दोप दिखाई पड़ते हैं तब तो वडा दुख होता है। ये दोप अज्ञानता ही के कारण जान पड़ते हैं। शिष्टाचार का ज्ञान होने से, आशा है, ये शीघ्रता से हट जायेंगे ।

भारत में स्वराज्य-स्थापना शीघ्र ही होगी । उस समय देशी और विदेशी आदमियों का सामाजिक सम्पर्क अवश्य बढ़ जायगा । उस समय शिष्टाचार के ज्ञान और शिष्ट आचरण की आवश्यकता और भी बढ़ जायगी । अतएव शिष्टाचार के सम्बन्ध में रोचक, सुलभ और सुपाद्य साहित्य के तैयार करने और प्रचार करने की आवश्यकता स्वयंसिद्ध है । हिन्दी में इनकी अभी बड़ी कमी है । हसीलिये मैं प्रस्तुत पुस्तक का स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि हिन्दी-भाषा-भाषी उससे अवश्य लाभ उठावेंगे ।

रामप्रसाद त्रिपाठी  
(एम० ए०, डी० एस-सी० (लंडन))

---



## विषय-सूची

संख्या		पृष्ठ
१—पहनावा	.	१
२—परिचय	.	६
परिचय का व्रतम्	.	७
जानने योग्य नियम	.	७
मद्दको में मिलना और परिचय करना	.	८
पत्र-द्वारा परिचय	.	११
३—मिलने जाने और कार्ड देने की शिष्टता	.	१३
विजिटिंग कार्ड	.	१४
कार्डों का छोड़ना	.	१५
सल्कार के बाद की भेंट	.	१७
विदा होने का समय	.	१८
बधाई और भातमपुर्सी की भेंट	.	२०
४—पहुँचने का समय	..	२१
भोज और पार्टीयों	.	२२
तल्कालीन निमन्त्रण	.	२५
पहुँचना	.	२६
घोड़ी वात-चीत	.	२७
सहभोजी	.	२७
भोजन के समय	.	२९
शराब की गिलासें	.	२९
हाथ से खाये जाने वाले पदार्थ	.	३६

## संस्था

पृष्ठ	
३६	फलों का खाना
३८	भेजन के पश्चात्
४०	मध्याह्नोत्तर पार्टी
४१	सार्वजनिक भोज
४३	शराब
४६	५—ऐट होम और स्वागत
४७	वहे 'ऐट होम'
४८	स्वागत में दी गयी पार्टीयों
४९	सार्वजनिक स्वागत
५०	६—व्रिज पार्टीयों और व्रिज-सम्बन्धी चाय पार्टीयों
५१	ताश खेलने की मेज़ पर
५३	७—नाचों के प्राह्वेट उत्सव
५७	मध्याह्न के बाद और भोजन के समय के नाच
५९	८—सार्वजनिक बॉल और नृत्य के जल्से
६१	ज़िले के बॉल
६६	महायतार्थ किये गये बॉल-उत्सव
६०	चन्दे से नृत्य की आयोजना
६०	सुवस्त्र-बॉल-उत्सव का उद्घाटन
६१	ग्रामों में चन्दे से किये गये नाच
६१	निमन्त्रण
६२	कुछ ध्यान देने योग्य वातें
६५	९—कृत्र
६५	कृत्र के सदस्य बनने के नियम
६८	१०—नाटक में
७१	११—मोटर, गाड़ी और घोड़े की सवारी हाँकना

## संस्पा

	पृष्ठ
मोटर या गाड़ी की सवारी ...	७१
घोड़े की सवारी . . . . .	७२
शिष्ट मोटर-चाहक . . . . .	७३
१२—मैदान के खेल-सम्बन्धी शिष्टाचार . . . . .	७७
क्रिकेट ( गेंद-बह्ना ) . . . . .	७७
दर्शकों के ध्यान देने योग्य वातें .. . . .	७८
गॉलक्ष्मि . . . . .	७९
क्रोकेट .. . . .	८३
टेनिस .. . . .	८३
त्वेतिक्ष्ण या वर्क पर फिसलना ..	८४
१३—याँटिक्ष्ण या छेटे जहाज पर समुद्र की सैर चॉट पर भिन्नों से भेट-सुलाक्रान्त	८६
१४—शूङ्गार के सम्बन्ध में कुछ वातें ...	८८
१५—पिकनिक और नदी के सैर की पार्टीयाँ नदी में विहार करनेवाली पार्टीयाँ	९०
१६—गार्डन पार्टीयाँ ( उद्यान-भोज ) . .	९३
१७—सगाई . . . . .	९५
१८—विवाह . . . . .	९६
विवाह की घोषणा ... . .	९६
गिर्जे के लाइसन्स .. . . .	१००
नान-कल्कार्मिस्ट सम्प्रदाय के गिर्जे में विवाह की रस्ते	१०१
रजिस्ट्री आफ्रिस में विवाह	१०३
पति के कर्तव्य . . . . .	१०३
वर के सखा का उत्तरदायित्व	१०५
१९—डेहात की यात्रा . . . . .	१०७

संख्या		पृष्ठ
	प्रातःकाल	१०८
	आखेट	१०९
	क्या पहनना चाहिए	१११
	रविवार	११२
	बद्धीश	११३
	बन्दूक से निशाना लगाना	११३
	मांस काटना	११५
२०—	यात्रा	११६
	योरोपीय देशों में भ्रमण	११६
	विल अदा करना	१२१
	होटलों में	१२१
२१—	जहाज़ पर	१२३
	सामान	१२३
	जहाज़ पर पहनने के वस्त्र	१२५
	डेक के शिष्याचार	१२६
	डेक की कुर्सियाँ	१२६
	डेक पर नृत्य	१२७
	जहाज़ के मित्र	१२७
२२—	मृत्यु के जुलूस और मातम	१२८
	शद का जलूस	१२८
	मातम	१३०
२३—	चिट्ठी-पत्री	१३२
	चिट्ठी-पत्री के शिष्याचार	१३६
	पते के सिरनामे	१३७
	प्रिया कॉसिल के सिरनामे	१३८

## संख्या

पृष्ठ

राजदूतनारा	...	१३८
पत्र का आरम्भ करना	..	१३९
चिट्ठी-पत्री के कागज़ इत्यादि	..	१४३
२३—पेशो-सम्बन्धी शिष्टाचार	..	१४४
डॉक्टरों का वदलना	..	१४४
वकील .. .	..	१४४
पब्लिक स्कूल .. .	..	१४५
२४—गृहस्थों के लिए झुछ हिदायतें	..	१४६
ज़मीन्दार और असामी	..	१४६
मकानों के वलात	..	१४८
२५—स्वामी और नौकर .. ..	...	१४९
स्वामी के कर्तव्य .. ..	...	१४९
नौकर के कर्तव्य .. ..	...	१४९
नौकरी से वरतरफ़ करना .. ..	...	१५०
नौकर का आचरण .. ..	..	१५१

---



# श्रृंगैर्जी शिष्टाचार

## पहनावा

वस्त्रों के चमत्कार को स्थियाँ ही समझती हैं। यह भी एक कला है जिसका अध्ययन स्थियाँ स्वाभाविक प्रेरणा से करती हैं। साधारणतः पुरुष वस्त्रों के चमत्कार को न तो समझते ही हैं और न समझने की कोशिश ही करते हैं। यही पर वे असफल सिद्ध होते हैं और आकर्षण-हीन बनकर भद्रे दीखते हैं। वस्त्रों की उन्नति और सजावट के विरुद्ध तो मानों वे सदा सत्याग्रह-सा ही किये रहते हैं। कुछ इनें-गिने पुरुषों को छोड़कर आजकल के पुरुषों में वस्त्रों के चमत्कार की कला का तो अभाव ही-सा है। वे व्यक्तिगत रूप से वस्त्रों की सजावट का अध्ययन नहीं करते।

इस सम्बन्ध मेरा या तो उनके ज्ञान ही में कमी रहती है अथवा उनको गलत शिक्षा मिलती है। किन्तु इसमे तो किसी का भी मतभेद न होगा कि वस्त्र अतीत काल से आचरण-प्रदर्शक शिष्टाचार और प्रत्येक समय की गति की छाया बना आया है। इतिहास ने इस बात को सावित कर दिखाया है कि वस्त्रों की काट-बॉट मे विशेष रुचि दिखाना केवल गुरुडेपन की निशानी नहीं है। इतिहास के प्रत्येक प्रसिद्ध व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की पोशाक मे विशेष रुचि रही है। वस्त्रों के सम्बन्ध मे डिसरेली तो पूरा गुरुडा ही था। जब प्रथम बार पार्लियामेण्ट मे वह वक्तृता देने के लिये उठा, तब सब लोगों ने उसका खूब मज़ाक उड़ाया था। एक वह भी समय आया, जब सारे इंग्लैण्ड ने उसकी बात ध्यान देकर सुनी। ड्यूमा और गॉटियर भड़कीले रङ्ग के वस्त्रों के बड़े प्रेमी थे और गिवन, ह्यूम, गैरिक और वालपोल अपने समय के सर्वप्रसिद्ध वस्त्रों के प्रेमी माने गये हैं। इस प्रकार प्रत्येक शताब्दी से अनेक उदाहरण पेश किये जा सकते हैं।

अच्छे वस्त्रों के पहनने मे सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वस्त्र चाहे कितने ही अच्छे क्यों न हों, दूसरों को यह न मालूम होने पाये कि पहननेवाले को अपने वस्त्रों पर घमड हैं। घमड बड़ी बुरी चीज़ है। इससे मनुष्य के मस्तिष्क और कलान्मन्द्यों तथा शारीरिक विश्वास मे कमी का आभास पाया जाता है।

वस्त्रों को पहनकर विल्कुल साधारण ढग पर दीख पड़ने की शिक्षा प्रहण करना बहुत ही आवश्यक है।

चाहे कुछ अधिक ही खर्च क्यों न वैठे, पर कपड़े अच्छे दर्जी से सिलाने चाहिए। ऐसा न करना भारी भूल करना है। यदि अपने को यह न मालूम हो कि निजी कपडे किस प्रकार के हों, तो दूसरे जानकारों की सलाह से काम करना चाहिए।

शहरों में चार सूटों की आवश्यकता है—लौंज (Lounge), प्रातःकालीन, भोज के समय का और शाम के पहनने के लिए। लौंज तो दिनभर और कतिपय सामाजिक अवसरों पर भी पहना जाता है। शहरों में ट्वीड के कपड़े या वादामी रङ्ग के जूते कभी न पहनने चाहिए।

राजनीतिक मामलों पर विचार करने के अवसर पर अधवा विधियुक्त सामाजिक उत्सवों में शामिल होने के लिए प्रातःकालीन कोट पहनना अधिक अच्छा है। लौंज सूट पहनने से कोई हानि नहीं है; किन्तु तब लोग यही समझेंगे कि वस्त्रों के सम्बन्ध में उक्त पुरुष का पर्याप्त ज्ञान नहीं है।

शाम को फुलड्रेस पहनना चाहिए। फुलड्रेस में टेलकोट (Tail Coat), सफेद वास्कट, कड़ी कमीज़, और सफेद टाई पहनना चाहिए। टाई को बड़ी सफाई से बाँधना चाहिये—चाहे इस कार्ब्य में कितना ही समय क्यों न लगे। बँधी-बँधाई टाई पहनकर कभी बाहर नहीं निकलना चाहिए। वास्कट की काट पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यह भी आवश्यक है कि कोट की आस्तीन

इस सम्बन्ध मे या तो उनके ज्ञान ही मे कभी रहती है अथवा उनको गलत शिक्षा मिलती है। किन्तु इसमे तो किसी का भी मतभेद न होगा कि वस्त्र अतीत काल से आचरण-प्रदर्शक शिष्टाचार और प्रत्येक समय की गति की छाया बना आया है। इतिहास ने इस बात को साबित कर दिखाया है कि वस्त्रों की काट-छाँट मे विशेष रुचि दिखाना केवल गुण्डेपन की निशानी नहीं है। इतिहास के प्रत्येक प्रसिद्ध व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की पोशाक में विशेष रुचि रही है। वस्त्रों के सम्बन्ध में डिसरेली तो पूरा गुण्डा ही था। जब प्रथम बार पार्लियामेंट मे वह वक्तृता देने के लिये उठा, तब सब लोगों ने उसका खूब मजाक उड़ाया था। एक वह भी समय आया, जब सारे इंग्लैण्ड ने उसकी बात ध्यान देकर सुनी। ड्यूमा और गॉटियर भड़कीले रङ्ग के वस्त्रों के बड़े प्रेमी थे और गिवन, ह्यूम, गैरिक और वालपोल अपने समय के सर्वप्रसिद्ध वस्त्रों के प्रेमी माने गये हैं। इस प्रकार प्रत्येक शताब्दी से अनेक उदाहरण पेश किये जा सकते हैं।

अच्छे वस्त्रों के पहनने मे सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वस्त्र चाहे कितने-ही अच्छे क्यों न हों, दूसरों को यह न मालूम होने पाये कि पहननेवाले को अपने वस्त्रों पर घमड है। घमड बड़ी बुरी चीज़ है। इससे मनुष्य के मस्तिष्क और कला-सम्बन्धों तथा शारीरिक विश्वास मे कभी का आभास पाया जाता है।

वस्त्रों को पहनकर बिल्कुल साधारण ढग पर दीख पड़ने की शिक्षा ग्रहण करना बहुत ही आवश्यक है।

चाहे कुछ अधिक ही खर्च क्यों न वैठे, पर कपड़े अच्छे दर्जे से सिलाने चाहिए। ऐसा न करना भारी भूल करना है। यदि अपने को यह न मालूम हो कि निजी कपड़े किस प्रकार के हों, तो दूसरे जानकारों की सलाह से काम करना चाहिए।

शहरों में चार सूटों की आवश्यकता है—लौंज (Lounge), ग्रातःकालीन, भोज के समय का और शाम के पहनने के लिए। लौंज तो दिनभर और कतिपय सामाजिक अवसरों पर भी पहना जाता है। शहरों में ट्रॉफीड के कपड़े या वादामी रङ्ग के जूते कभी न पहनने चाहिए।

राजनीतिक मामलों पर विचार करने के अवसर पर अथवा विधियुक्त सामाजिक उत्सवों में शामिल होने के लिए ग्रातःकालीन कोट पहनना अधिक अच्छा है। लौंज सूट पहनने से कोई हानि नहीं है; किन्तु तब लोग यही समझेंगे कि वस्त्रों के सम्बन्ध में उक्त पुरुष का पर्याप्त ज्ञान नहीं है।

शाम को फुलड्रेस पहनना चाहिए। फुलड्रेस में टेलकोट (Tail Coat), सफेद वास्कट, कड़ी कमीज़, और सफेद टार्ड पहननी चाहिए। टार्ड को वड़ी सफाई से बॉधना चाहिये—चाहे इस कार्य में कितना ही समय क्यों न लगे। वँधी-वँधार्ड टार्ड पहनकर कभी बाहर नहीं निकलना चाहिए। वास्कट की काट पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यह भी आवश्यक है कि कोट की आस्तीन

तझ रहे। यह बड़ा गम्भीर विषय है। ढीली आस्तीन से लोग समझेंगे कि मानो ढीली आस्तीन वाला व्यक्ति आस्तीन में चृहे पाले हुये है।

शाम के साधारण जल्सो—नृत्य, थिएटर और अन्य छोटे मोटे मित्रों के जल्से—में भोजन के समय की जाकेट पहनी जा सकती है।

सफर के समय ढीले, आराम देने वाले और गर्म ट्वीड के वस्त्र पहनने चाहिए। बड़े सफर में सदा लैंज सूट ही पहनना चाहिए।

विवाह के समय प्रातःकालीन कोट और रेशम की हैट पहननी चाहिए। अन्य वस्त्र पहनने से दुलहिन बहुत शर्मीती है। कालर डैनेदार हो। जब कभी आप ऐस्काट (Ascot) और ईप्सम (Epsom) में जायें, तो भी यही वस्त्र धारण करना चाहिए। इसमें ग़लती नहीं करनी चाहिए।

मोटर में यात्रा के लिए मुलायम ऊन का कपड़ा पहनना चाहिए। कड़े और चमड़े के कपड़े बहुत दुरे लगते हैं। मुलायम और खूब ढीला अल्स्टर (एक प्रकार का ओवरकोट) पहनना चाहिए। इसके नीचे जो इच्छा हो, वह पहने।

गॉल्फ (एक प्रकार का गेद का खेल) के अवसर पर गाड़ों के वस्त्रों की काट का कपड़ा पहनना चाहिए। सामने बड़े-बड़े पाकेट बने रहे। इस प्रकार के वस्त्र से क्लबघर में बड़ा सम्मान होता है।

टेनिस में पतलून बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। इसको कमर पर एक चमड़े की पेटी से खूब कस लेना चाहिए। रङ्ग तो सफेद

अवश्य ही होना चाहिए। टेनिस कोर्ट मे ये फ्लैनेल ( रङ्गीन फ्लातैन ) पहनकर तो कभी न उतरना चाहिए। कमीज सफेद पतले रेशम की हो। खेलते समय गले का घटन खोल देना चाहिए। इसे शिकारी कमीजों के काट की बनवाना चाहिए। कमोज्ज का पिछला भाग लम्बा रहे, ताकि वह पतलून पहनते समय जॉधो के बीच में लाकर द्वा लिया जा सके और आगे चाले भाग मे घटन से झुड़ सके।

एक ही पतलून को वरावर दो बार न पहनना चाहिए। खेल कर उनको वस्त्रालय में उल्टा टाँग देना चाहिए।



## परिचय

समाज मे किससे, कब और कैसे परिचय कराया जाय ? यह प्रश्न अक्सर लोगो के मस्तिष्क को चकरा देता है। सामाजिक रीति-रस्म के नौसिखिये को शीघ्र ही जानना पड़ता है कि बहुत कम लोगो से परिचय प्राप्त करना उतनी-ही भारी भूल है, जितनी बहुत अधिक लोगो से परिचय प्राप्त करना। उन्हे जल्दी ही मालूम हो जाता है कि इस सामाजिक उत्तर-दायित्व को बहुत सावधानी और विचार के साथ ग्रहण करना चाहिए।

परिचय प्राप्त करने से यह मतलब निकालना आवश्यक नहीं है कि इसका तात्पर्य मैत्री करना समझा जाय। किन्तु यदि परिचय करने का स्वागत न किया जाय तो इसका मतलब यह है कि उन मनुष्यों मे से एक को दूसरे से विमुख हो जाने के लिए बाधित होना पड़ेगा, अथवा अपने स्वभाव के विरुद्ध उसे हमेशा रुक्त भाव धारण करना पड़ेगा।

यदि परिचय कराने की इच्छा के सम्बन्ध मे किसी प्रकार का सन्देह हो तो यह आवश्यक है कि एकान्त मे अलग-अलग दोनों तरफ की इच्छा जान ली जाय। यदि एक व्यक्ति दूसरे से परिचित होने की इच्छा प्रकट करे तो पहले इस सम्बन्ध मे उस दूसरे व्यक्ति की इच्छा जाननी चाहिए। केवल 'बाल'-नृत्य (Ball Dance) के उत्सव के समय का ही एक ऐसा अवसर है

जब परिचय कराने की इजाजत न लेनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर परिचिति होने से आगे चलकर जान-पहिचान बढ़ाने की कोई संभावना नहीं रहती। नृत्य के बाद किसी अवसर पर कोई महिला, यदि वह ऐसा चाहे तो, अपने नृत्य के साथी को पहचानने के लिए बाध्य नहीं है।

### परिचय का क्रम

स्त्रियों का परिचय कराते समय निम्न-श्रेणी की महिला को सदा उस महिला के सामने ले जाकर उससे भेट कराना चाहिए, जिसका सामाजिक स्थान उक्त महिला से श्रेष्ठतर हो।

अविवाहिता स्त्री को ले जाकर विवाहिता स्त्री से भेट कराना चाहिए। यदि अविवाहिता महिला का सामाजिक स्थान विवाहिता महिला से उच्चतर हो तो क्रम बदल जाता है।

युवती को ले जाकर बृद्धा महिला से भेट कराया जाता है।

### जानने योग्य नियम

यह स्त्री-जाति का विशेषाधिकार है कि पुरुष ही को सदा ले जाकर महिला से भेट कराना होता है। राज-धराने के मामले को छोड़कर सर्वत्र इस नियम का सदा पालन करना चाहिए।

पुरुष का नाम पहले इस प्रकार जनाना चाहिए—“क्या मैं मिस्टर जोन्स से परिचय करा सकता हूँ?” मामूली ढग से व्यक्तित्व सम्बन्धी कुछ बाते कह देनी चाहिए। तब मिं जोन्स

की तरफ मुख्यातिव होकर, जिस महिला से उनका परिचय कराया जा रहा हो, उसका स्पष्ट नामोच्चार करना चाहिए।

जब किसी पुरुष और स्त्री से परिचय कराया जाता है, तब दोनों सम्मान से भुक्त जाते हैं, किन्तु साधारणतः वे हाथ नहीं मिलाते। कभी-कभी इस बात का अनुभव किया जाता है कि केवल भुक्त जाना अहार्दिक और रूक्ष मालूम पड़ता है; अतएव हाथ बढ़ाए जाते हैं। किन्तु यह विल्कुल ठीक नहीं है। यह सदा स्त्री के द्वारा उसके निजी घर पर ही होता है, पुरुष द्वारा क्यों नहीं। इस सम्बन्ध में आगे बढ़ना सदा स्त्री का विशेषाधिकार है। क्योंकि पुरुष की अपेक्षा स्त्री का सामाजिक स्थान सर्वदा उच्च है।

पुरुषों में तो परिचय के समय सदा हाथ मिलाने की रीति है। यदि दोनों पुरुषों के सामाजिक स्थान में बहुत विभिन्नता हो तो बात दूसरी है।

बहुत ही उच्च सामाजिक स्थान वाले व्यक्ति से मिलने पर जब तक कि वह व्यक्ति स्वयं प्रत्यक्ष न आ जाय, तब तक निम्न-श्रेणी के व्यक्ति को प्रतीक्षा करनी चाहिए। इससे जान-पहचान की सूचना ठीक ढंग से स्पष्ट हो जाती है। यदि ऐसा न किया जाय तो निम्न-श्रेणी के व्यक्ति को यह उचित नहीं है कि वह उच्च श्रेणी के व्यक्ति से जान-पहचान रखने का दावा करे।

जबरन् जान-पहचान करना अभद्रता है। पुरुष को सदा सावधान रहना चाहिए और अपने को बहुत दिखलाने की इच्छा न प्रकट करनी चाहिए।

## सङ्कों में मिलना और परिचय करना

मित्र के साथ ठहलते समय दूसरे मित्र से भेट होने पर दोनों का परिचय कराना आवश्यक नहीं है। यदि अवसर से आवश्यक जान पड़े और यह मालूम पड़े कि इससे दोनों की प्रसन्नता बढ़ेगी तो दोनों में परिचय करा देना बड़ी होशियारी और शिष्टता का कार्य है। इस प्रकार परिचय कराये गये व्यक्ति अधिक जान-पहचान न करेंगे। कहीं अन्यत्र मिलने पर जान-पहचान बढ़ाने की दोनों की पारस्परिक इच्छा हो तो वात दूसरी है।

जान-पहचान वालों से मिलने पर उनसे शान्त किन्तु प्रसन्न-चित्त होकर मिलना चाहिए। उनसे पृथक् होते समय जल्दी से उनसे मैत्री-पूर्ण हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए और तब वहीं पर फौरन् विदा लेनी चाहिए, क्योंकि चलते-चलाते कन्धे घुमाकर एक आवाज़ कस देना बहुत बुरा समझा जाता है।

ठहलते समय एक महिला जब जान-पहचान के किसी पुरुष से मिले तो उस पुरुष को अपने से बातचीत करने का अधिकार देने का प्रयत्न उस महिला ही को करना चाहिए। इस शिष्टाचार को पूरा करने के लिए पुरुष को अपने सिर से टोपी ऊरा उठाकर तैयार रहना चाहिए और जैसे ही वह महिला इस प्रकार के मिलने के सम्बन्ध में सामाजिक नियमों के अनुसार जान-पहचान खोकार करने के लिए सम्मान से भुके, पुरुष को उस खींक का हाथ अपने हाथ में ले लेना चाहिए। अपने बॉल-स्टम (नाच घर) या नृत्य के साथी,

के साथ सड़क पर जान-पहचान बढ़ाने के लिए किसी स्त्री से किसी पुरुष को आशा न करनी चाहिए। पुरुष को प्रतीक्षा करनी चाहिए और जब वह फिर सामाजिक उत्सवों में मिले, तब उससे जान-पहचान बढ़ाने की आशा करनी चाहिए। किन्तु यदि वह अपने मित्र को जानती हो और टहलते समय उसका साथ हो जाय, तो वह उससे अपनी जान-पहचान जता सकती है।

प्रत्येक व्यक्ति को इस सम्बन्ध में सावधान रहना चाहिए कि जान-पहचान की दृष्टि धूरने में न परिणत हो जाय। इससे बढ़कर चुरी आदत दूसरी नहीं है।

हाथ मिलाने और सम्मान से झुकने में स्वाभाविक उत्तमता लाने का अभ्यास करना चाहिए। चालाकियों और नखरों का शुभार अभद्रता में है। हाथ इतने जोर से न दबाया जाय कि डँगलियाँ पिस जायँ और न हाथ इस ढिलाई ही से छुआ जाय कि मालूम पड़े मानो चोट लग जाने के डर से ऐसा किया गया है। बढ़ाये गये हाथ को ( वेवल डँगलियों को नहीं ) ढढता से अपने हाथ में लेकर नम्रता से दबाना चाहिए और तब सहज ही उसे छोड़ देना चाहिए।

जैसा कि लिखा जा चुका है, एक पुरुष जब सड़क पर उस स्त्री से मिले, जिससे उसके नृत्य के साथी के तौर पर उसका परिचय कराया गया हो, तो उसे यह न दिखलाना चाहिए कि मानो उससे उसकी जान-पहचान है। उस पुरुष के लिए उस स्त्री का अभिवादन करना तो बहुत ही चुरा है। यदि वह स्त्री चाहे तो यह

दिखला सकती है कि उस पुरुष से उसकी जान-पहचान है। यद्यपि नियम यही है कि वॉल अथवा नृत्य के समय के परिचय मैत्री की स्थापना नहीं करते।

## पत्र-द्वारा परिचय

पत्र-द्वारा परिचय कराने में भी दुष्क्रिमता और होशियारी की जरूरत होती है। परिचय कराने के सम्बन्ध में लिखे गए पत्रों पर मुहर न लगानी चाहिए। जिसे अपनी सिफारिश से किसी मित्र से किसी का परिचय कराना हो, उसे परिचय के सम्बन्ध में कुछ वाते और उक्त व्यक्ति के सम्बन्ध में कुछ प्रशंसा-त्मक वाक्य तथा अपने दोनों मित्रों को एक दूसरे से परिचित कराने में जो प्रसन्नता हुई है उसके सम्बन्ध में संज्ञेप में एक निजी नोट लिखना चाहिए। यदि कुछ काम कराना हो तो उसे लिखना चाहिए।

जिसमें परिचय प्राप्त किया जाय, उसको परिचय का पत्र देते समय स्वनामाङ्कित एक कार्ड डाल देना उचित ही है। पत्र पाने-वाले को दूसरे दिन परिचय प्राप्त करनेवाले व्यक्ति के घर पर आकर मिलना चाहिए और सम्भवतः मैत्री के जो भाव वह प्रदर्शित कर सके, उसे करना चाहिए। तब यह परस्पर का मामला हो जाता है कि भविष्य में परस्परमैत्री हो सकती है, या नहीं।

विदेश के यात्रियों को अपने मित्रों से परिचय सम्बन्धी जितने कार्ड मिल सके। उतने उन्हें इकट्ठे कर लेने चाहिए और स्थानों पर पहुँचकर इन कार्डों को डाक-द्वारा भेज देना चाहिए।

किसी स्थान पर पहुँचने पर उक्त स्थान के समश्रेणी के निवासी उक्त यात्री से उसके वासस्थान पर मिलने आते हैं। यदि यात्री के पास परिचय-सम्बन्धी कोई कार्ड रहा, तो वह उस व्यक्ति के घर जाकर अपने कार्ड और अपने कुटुम्ब के कार्ड के साथ उक्त पत्र को वहाँ डाल आता है। किन्तु उस व्यक्ति के घर मे प्रवेश नहीं करता और अपने घर पर उस मनुष्य के मिलने आने की प्रतीक्षा करता है।

वदले की यह भेट दो-एक दिन मे जितनी जल्दी हो सके, करनी चाहिए। दूसरी भेट मे वह यात्री परिचित मनुष्य के घर जाकर आतिथ्य ग्रहण करता है।

लन्दन-निवासियों के नाम परिचय के पत्र वहुत कम दिये जाते हैं। किन्तु कुछ काट-ब्रॉट के साथ इस नियम का पालन सभी बड़े शहरों मे लोग किया करते हैं।



## मिलने जाने और कार्ड देने की शिष्टता

कुछ लोगों को स्वनामाङ्कित कार्ड देना यदि धृणेत्पादक कार्य नहीं, तो बड़ा भारन्सा तो अवश्य ही लगता है। लज्जाशील लोगों की भी यही हालत होती है। पहले मिलने आने वालों का नाम लिखने के लिए एक स्लेट रहती थी। बाद को स्लेट का स्थान विजिटर्स्नुक (Visitors' Book) ने लिया। राजन्प्रासादों, दूतावासों और महत्वपूर्ण व्यक्तियों के स्थानों पर तो अब भी मिलने आने वालों के नाम लिखने की एक पुस्तक रहती है। इस पुस्तक पर नाम लिख देने से कार्ड भेजने की आवश्यकता नहीं रहती। यदि लोगों से मिलना-जुलना सामाजिक धर्म का पालन करना है तो यह तो प्रत्येक मनुष्य को समझना चाहिए कि मित्रों और जान-पहचान के व्यक्तियों के पास कागज का एक छोटा-सा टुकड़ा भेज देने से इस बात का पता चल जाता है कि अमुक व्यक्ति उत्तरदायित्व-पूर्ण सामाजिक धर्म का नियमपूर्वक पालन करने के लिये तैयार है।

अँग्रेज लोग कार्ड देना बहुत अच्छा समझते हैं। मोटर और गाड़ियों में बैठेन्वैठे भी वे नौकर के हाथ स्वनामाङ्कित कार्ड देकर चले जाते हैं। फ्रांस के लोग स्वयं जाकर कार्ड नहीं देते। वे अपने नौकर के हाथ कार्ड भेज देते हैं और स्वयं उसके साथ नहीं जाते।

कार्ड भेजने का यह अर्थ होता है कि अमुक व्यक्ति अपने जान-पहचान के दावरे को दढ़ाना चाहता है। अतएव यह आवश्यक है कि इस सामाजिक रत्म का पालन बड़ी सूख्मता और होशियारी से

करना चाहिए। काढ़ों से एक पुरुष की मैत्री की गहराई का पता चलता है।

## विज़िटिङ् कार्ड

विज़िटिङ् कार्ड या मिलन-पत्र बहुत ही सादे होने चाहिए। स्टेशनरों के यहाँ से लेकर उन पर अपना नाम छपा लेना चाहिए। ठोक ढग और छोटाई-बड़ाई के बारे में स्टेशनर उचित सलाह देगा।

नाम के आगे मिस्टर या सर का खिताब अद्वित किया जाता है। पता हमेशा बाईं तरफ कोने पर मुद्रित किया जाता है। उन युवकों को, जिनका कोई ठीक पता-ठिकाना न हो, अपना पता न छपाना चाहिए। बल्कि कार्ड देते समय पेन्सिल से उस पर अपना तत्कालीन पता लिख देना चाहिए। केवल सेना-सम्बन्धी पद या व्यापार-सूचक उपाधियाँ ही—यथा, कर्नल ब्राउन, रेवरेण्ड डब्ल्यू० ब्राउन या डा० ब्राउन—छपाने की रीति है। बी० ए० या एल-एल० डो० जैसी उपाधियाँ अपने नाम के पीछे कभी न छपानी चाहिए। यदि इनसे कुछ व्यापारिक तात्पर्य निकलता हो तो वात दूसरी है। जहाजी अफसर अपने नाम के आगे ‘आर० एन०’ छपाते हैं और एक वैरोनेट के नाम के आगे ‘वार्ट’ लिख देने से उसके और साधारण नाइटों के मध्य का पार्थक्य स्पष्ट हो जाता है। उच्च श्रेणी के लोगों के पदों में से केवल ‘दि आनरेबुल’ (माननीय) पद कार्ड पर नहीं छपाया जाता। ‘दि आनरेबुल जान ब्राउन’ का ‘मि० जान ब्राउन’ हो जाता है।

## कार्डों का छोड़ना

किसी के मकान पर कार्ड डालते समय उस कार्ड पर उस व्यक्ति का नाम नहीं लिखा जाता। किन्तु यदि जान-पहचान के बहुत से लोग किसी होटल मे ठहरे हो, तो गड़बड़ी न होने देने के लिए कार्ड पर उस व्यक्ति का नाम अवश्य लिख देना चाहिए, जिसके लिए वह डाला जाय। यात्रा के समय कार्ड डालनेवाले का अस्थायी पता कार्ड पर अवश्य स्पष्ट अंकित रहना चाहिए।

किसी उत्सव मे सम्मिलित होने के लिए जब कोई पुरुष किसी का निमन्त्रण स्वीकार करता है तो वह चाहे साधारण आदमी का निमन्त्रण-न्हीं क्यों न हो, उस पुरुष को भी निमन्त्रण देना चाहिए और यदि वह चाहे तो दूसरे मौसम में उस पुरुष के यहाँ कार्ड डाल आये। कार्ड को स्वीकार करना, न करना उस व्यक्ति के अधीन है। यदि वह स्वीकार न करे तो यही समझना चाहिए कि जान-पहचान का अन्त होगया।

यदि पति अपनी पत्नी के साथ कार्ड डालने जाय तो जिस खी के लिए कार्ड डालने की इच्छा हो, यदि उस अवसर पर उस का पति घर मे न रहे तो उसके लिए भी एक कार्ड डालना चाहिए। स्थियाँ पुरुषों के लिए कार्ड नहीं डालतीं।

अधिक समय के लिए घर जाते समय जिस व्यक्ति के यहाँ कोई पुरुष अतिथि के रूप मे ब्रहण किया गया हो, उस गृह में 'पो० पो० सो०' कार्ड के कोने मे लिखकर डालना चाहिए।

इसका अर्थ यह है कि वह व्यक्ति उस घर से वाक्तायदा विदार्ड ले रहा है। यदि थोड़े समय के लिए ही स्थान छोड़ने की मंशा हो, तो कार्ड डालने की कोई जखरत नहीं। इस प्रकार के कार्ड डाक-द्वारा भेजे जाते हैं।

किसी स्थान पर नये-नये आवाद होने पर जब स्त्री पहले कार्ड डालने जाय तो नव-र्विवाहित पुरुष को उसके साथ जाना चाहिए। यदि घर पर मकान-मालिक और मालकिन दोनों मिलें, तो पहली भेट में स्त्री ही अपना कार्ड डालती है। यदि मकान-मालिक अनुपस्थित रहे तो पुरुष अपना एक कार्ड उसके लिए डाल देता है। यदि दोनों अनुपस्थित रहे, तो एक स्त्री का और दो पुरुष के, इस प्रकार तीन कार्ड डाले जाते हैं।

नये स्थान पर वसने पर नवागान्तुक वहाँ के वाशिन्दों के कार्डों अथवा उनके भेट के लिए आने की अपेक्षा करते हैं। किसी हालत में भी नवागतों को पहले भेट करने न जाना चाहिए। पुराने वाशिन्दों ही को इस सम्बन्ध में आगे बढ़ना चाहिए। यदि कार्ड डालने पर नवागत मुलाकात करने न आवे और मुलाकात करने आने की बजाय कार्ड डाले तो जान-पहचान का अन्त कर देना चाहिए।

किसी स्थान के व्यापारियों या नौकरों से उस स्थान के विषय में बहुत पृष्ठ-ताढ़ नहीं करनी चाहिए। पुराने घरानों पर किसी प्रकार का आक्षेप भी नहीं करना चाहिए, चाहे उस कुदुम्ब से दूर रखे जाने पर उसे कितना ही बुरा क्यों न लगे।

## सत्कार के बाद की भेट

बॉलनूत्य के उत्सव के बाद अभ्यागत स्वयं उत्सव के दूसरे दिन मकान-मालिक के यहाँ जाता है और अपना कार्ड डालकर उसका आतिथ्य ग्रहण करने की सूचना देता है। इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि कार्ड डालने वाला मकान-मालिक के घर पर ही जाय। भोज के बाद यह निजी भेट मकान-मालिक के “ऐट होम” (मित्र-सम्मेलन) दिवस पर करनी चाहिए। किन्तु यदि इस विशेष दिवस का प्रबन्ध न किया जाय तो यह भेट तीन दिन के भीतर ही करनी चाहिए। अमेरिका में इस प्रकार की भेट को “डाइजेशन कॉल” (Digestion Call) कहते हैं।

भेट ४ और ६ बजे के बीच से सन्ध्या को करनी चाहिए। जहाँ सैत्री बहुत बढ़ गई हो, वहाँ दृ। और ७ बजे सन्ध्या तक भेट की जा सकती है।

द्वार पर जाने पर जब यह उत्तर मिले कि श्रीमती ए० घर पर हैं और मुलाकात करना चाहती हैं तो भेट करने वाला अन्दर जाकर अपना ओवरकोट, छड़ी, छाता और हैट उतार कर कायदे से रख देता है। नौकर के पीछे-पीछे वह मकान-मालिक के पास जाता है। मकान-मालिक उससे हाथ मिलाती है और कमरे में पहुँचने पर यदि वहाँ कोई जान-पहचान का हुआ तो अभ्यागत उससे भी हाथ मिलाता है। जिनसे उससे खूब जान-पहचान है, उनसे तो वह स्वयं बढ़कर हाथ मिलाता है और कम

जान-पहचान के व्यक्तियों के प्रति वह सम्मान से केवल थोड़ा मुक्का जाता है। बैठकर जितनी सहूलियत से हो सके, वह बाते करने लगता है। यदि कोई खुश-नज़रवरी इत्यादि हुई तो उसे सुनाता है।

उत्सव-सम्बन्धी भेट में बार-बार अपनी घड़ी में समय देखना एक दम मना है। जमुहाई लेना और अप्रसन्न या घबड़ाया-सा दीखना भी बुरा है। इन गलतियों से अपने को खूब बचाना चाहिए।

### विदा होने का समय

जैसे ही नवागत के आने की सूचना दी जाय, पहले आये हुए अतिथि को फौरन-ही नहीं, किन्तु कुछ मिनटों के बाद उस स्थान से चल देने का उपक्रम करना चाहिए। बात-चीत को समाप्त करके सहूलियत से उठकर विदा लेनी चाहिए।

पहली भेट में पुरुष केवल १५ मिनटों तक ठहरता है। एक शान्त अवसर को पाकर, जब कि बात-चीत का सिलसिला टूटा हो, वह धीरे से उठकर “मुझे आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई,” या “पुराने मित्र, अमुक श्रीमती अथवा अमुक श्रीमान् से मिलना सर्वदा बड़े सौभाग्य की बात है,” “अच्छा अब विदा लेता हूँ,” “आज्ञा दीजिए” इत्यादि नम्र शब्दों से विदा लेनी चाहिए। कमरे में बाहर जाते समय एक तरफ खड़े होना चाहिए, जिससे नवागन्तुक को कमरे में घुसने में बाधा न पड़े। यदि नवागत से जान-पहचान हो तो सम्मान में उसके प्रति थोड़ा मुक्कर दोन्हार

मैत्री-सूचक वाते करके तुरन्त चल देना चाहिए और वापस जाकर कोट, टोपी इत्यादि धारण कर लेना चाहिए।

मकान से रुक्षसत होते समय कमरे में रखे हुए पात्र में एक कार्ड मकान की महिलाओं और एक मकान-भालिक के लिये डाल देना चाहिए। यदि मकान की मालकिन घर में न हों तो ये कार्ड नौकर के हाथ में दिये जाते हैं।

घर की लड़कियों के निमित्त पुरुष अपने कार्ड नहीं डालते। माँ के कार्ड में ही लड़की का निमन्त्रण शामिल रहता है। घर से बाहर रहने पर जिस बी-मित्र के यहाँ वह ठहरे, उसका कार्ड उस बी-मित्र के नाम डाला जाता है।

‘ऐट होम’ के अवसर पर शहरों में ड्रूइज़-स्टम (सजाया हुआ कमरा) के पास बाले कमरे में चाय और जल-पान का प्रबन्ध किया जाता है। इस कार्य के लिए भोजन करने का कमरा सबसे अच्छी जगह है। कुमारी नौकरानियाँ चाय और कहवा परोसती हैं। बट्टर (खानसामाँ) या पारलैर मेड (कुमारी नौकरानी) जिसका कार्य अभ्यागतों के आने की सूचना देना है, इस अतिथिन्सेवा में कोई भाग नहीं लेती।

यदि घर में कई लड़कियाँ हुईं तो अभ्यागतों की सेवा का विशेष ध्यान रखने के लिए एक जलपान-गृह में अवश्य रहती है। अभ्यागतों के स्वागत करने के अवसर पर इस लड़की का स्थान कोई दूसरी वहन अथवा बी-मित्र व्रहण करती है। जिसमें वह ड्रूइज़-स्टम में अतिथि-सत्कार के कार्य से अपनी माँ की भी सहायता कर सके।

स्वास्थ्य-लाभ के लिए वाहर ठहरी हुई यदि कोई कुमारी स्त्री टहलने के लिए निकले और यदि किसी जान-पहचान के पुरुप से मार्ग में उससे भेट हो जाय और लैटते समय यदि वह पुरुप उसके अस्थायी वास-स्थान तक पहुँचाने आवे तो उस पुरुप को यह आशा न करनी चाहिए कि वह कुमारी स्त्री उसे अपने मकान के अन्दर भी लिवा ले जायगी। उसे उस स्त्री से मिलने का भी तब तक प्रयत्न न करना चाहिए, जब तक उस स्त्री के रक्तक अथवा माता-पिता उसको मिलने के लिए कहकर अपनी प्रसन्नता न प्रकट कर दें।

### बधाई और मातमपुर्सी की भेट

सुसमाचार के मिलने के बाद जितनी जल्दी अवसर मिले इस सामाजिक कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यही नियम मातमपुर्सी की भेट के लिए भी है। मातमपुर्सी के मामले में केवल कार्ड डालना चाहिए। क्रिया-कर्म के बाद कुछ दिनों तक भेट करने जाकर शोक-संतप्त परिवार को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। कार्ड पाकर हाल-चाल जानने और कृपापूर्ण समवेदना प्रकट करने के लिए धन्यवाद देना चाहिए। इससे यह अर्थ निकलता है कि गमगीन परिवार अब फिर लोगों से मिलने-जुलने के लिए तैयार हो गया है।

---

## पहुँचने का समय

अभ्यागतों के सम्बन्ध में सब से मार्के की बात तो वह समय है जब वे निमन्त्रक के घर में पधारते हैं। एक भोज ही का निमन्त्रण लोजिए, मकान-मालकिन ने पैने आठ बजे का समय नियत किया है। इस प्रकार के अवसरों पर विज्ञ व्यक्ति आठ बजते-बजते पहुँचता है। वह समझ लेता है कि १५ मिनट पहले यों ही बुलाया गया है। किन्तु किसी प्रकार भी इससे अधिक देर न होने पाये।

बॉल या नृत्य में जाने वालों को इस प्रकार की शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी व्यक्ति यहाँ तक कि नौसिखिये भी जल्दी पहुँचना नहीं चाहते। अनेक सत्कार करने वाली महिलाएँ जस्तर चाहती हैं कि नियत समय के १५ मिनट पहले ही उनके कुछ मित्र आकर समय को विताने का प्रयत्न करें, जब तक कि अधिक कलाविज्ञ नाचने वाले न आ जायँ।

देहातों में तो नाचने आने का अन्तिम समय ११ बजे रात है। किन्तु शहरों में इससे भी अधिक देर करके आने का शुमार अशिष्टता में नहीं किया जाता। क्योंकि प्रायः यह होता है कि उसी सन्ध्या के एक या दो नृत्यों में लोगों का निमन्त्रण रहता है। अतएव केवल एक ही मित्र के निमन्त्रण से जाने की अपेक्षा

स्वास्थ्य-लाभ के लिए वाहर ठहरी हुई यदि कोई कुमारी स्त्री ठहलने के लिए निकले और यदि किसी जान-पहचान के पुरुप से मार्ग से उससे भेट हो जाय और लैटते समय यदि वह पुरुप उसके अस्थायी वास-स्थान तक पहुँचाने आवेते तो उस पुरुप को यह आशा न करनी चाहिए कि वह कुमारी स्त्री उसे अपने मकान के अन्दर भी लिवा ले जायगी। उसे उस स्त्री से मिलने का भी तब तक प्रयत्न न करना चाहिए, जब तक उस स्त्री के रक्तक अथवा माता-पिता उसको मिलने के लिए कहकर अपनी प्रसन्नता न प्रकट कर दें।

### बधाई और मातमपुर्सी की भेट

सुसमाचार के मिलने के बाद जितनी जल्दी अवसर मिले इस सामाजिक कर्त्तव्य का पालन करना चाहिए। यही नियम मातमपुर्सी की भेट के लिए भी है। मातमपुर्सी केवल मामले में केवल कार्ड डालना चाहिए। क्रिया-कर्म के बाद कुछ दिनों तक भेट करने जाकर शोक-संतप्त परिवार को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। कार्ड पाकर हाल-चाल जानने और कृपापूर्ण समवेदना प्रकट करने के लिए धन्यवाद देना चाहिए। इससे यह अर्थ निकलता है कि गमगीन परिवार अब फिर लोगों से मिलने-जुलने के लिए तैयार हो गया है।

---

## पहुँचने का समय

अभ्यागतों के सम्बन्ध में सब से मार्कें की बात तो वह समय है जब वे निमन्त्रक के घर में पधारते हैं। एक भोज ही का निमन्त्रण लीजिए, मकान-मालकिन ने पौने आठ बजे का समय नियत किया है। इस प्रकार के अवसरों पर विज्ञ व्यक्ति आठ बजते-बजते पहुँचता है। वह समझ लेता है कि १५ मिनट पहले ये दो ही बुलाया गया है। किन्तु किसी प्रकार भी इससे अधिक देर न होने पाये।

वॉल चा चृत्य में जाने वालों को इस प्रकार की शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी व्यक्ति यहाँ तक कि नौसिखिये भी जल्दी पहुँचना नहीं चाहते। अनेक सत्कार करने वाली महिलाएँ जहर चाहती हैं कि नियत समय के १५ मिनट पहले ही उनके कुछ मित्र आकर समय को विताने का प्रयत्न करे, जब तक कि अधिक कलाविज्ञ नाचने वाले न आ जायें।

देहातों में तो नाचने आने का अन्तिम समय ११ बजे रात है। किन्तु शहरों में इससे भी अधिक देर करके आने का शुमार अशिष्टता में नहीं किया जाता। क्योंकि प्रायः यह होता है कि उसी सन्ध्या को एक या दो चृत्यों में लोगे का निमन्त्रण रहता है। अतएव केवल एक ही मित्र के निमन्त्रण में जाने की अपेक्षा

लोग सभी जगह जाने का प्रयत्न करते हैं और इसलिए यह आवश्यक है कि नाचने वालों के दो एक जोड़े रात को बहुत देर में आये।

खाने के निमन्त्रण (Luncheon) में तो केवल ५ मिनट ही की देरी का अवसर दिया जाता है। नियम यह है कि इस भोज में सम्मिलित होने वालों को ठीक समय पर भोजन के लिए बैठा देते हैं और देर करके आने वाला व्यक्ति अन्य लोगों को भोजन करता हुआ पाता है।

विवाह के लिए जो समय नियत किया जाय, उसमें देरी नहीं करनी चाहिए। ठीक नियत समय पर पहुँचना चाहिए। आगतों से नियत समय से बाद की अपेक्षा पहले ही पहुँचने की आशा की जाती है।

## भोज और पार्टीयाँ

सामाजिक उत्सवों में भोज का स्थान शायद सब से अधिक महत्त्वपूर्ण है। किसी अन्य सामाजिक जमाव में निमन्त्रण की अपेक्षा भोज में निमन्त्रित करने में अधिक मैत्री और आदर के भाव व्यक्त होते हैं। सबसे बड़ा सामाजिक आदर जो एक व्यक्ति दूसरे के प्रति प्रकट कर सकता है वह है उस व्यक्ति को भोज में निमन्त्रण देना। यह ऐसी भद्रता है जिसका बदला भी शीघ्र दिया जा सकता है। इसका स्थान सभी सामाजिक भद्रताओं में उच्चतम है।

भोज देना भी एक कला है, जो आसानी से प्राप्त नहीं की जा सकती। इस सम्बन्ध में भोज देने वाले की सहूलियत और योग्यता का बहुत कुछ सम्बन्ध है।

यदि कोई पुरुष भोज, शाम की पार्टी, नृत्य या बॉल की आयोजना करे, जिसमें पुरुष और स्त्री दोनों निमन्त्रित हो, तो उसके लिये यह आवश्यक है कि मालकिन के कर्तव्यों का सम्पादन करने के लिए वह अपने साथ अपने कुदुम्ब की किसी स्त्री को सम्मिलित कर ले। यदि कुदुम्ब की कोई स्त्री न हो, तो अपने किसी स्त्री-मित्र ही को सम्मिलित करे। किन्तु इस स्त्री-मित्र को विवाहित होना चाहिए, और जहाँ तक हो सके उसकी अवस्था काफी होनी चाहिए।

नियत तिथि से तीन सप्ताह पहले निमन्त्रण-पत्र भेज देना चाहिए। लन्दन के कारवार में बहुत-ही व्यस्त भाग में तो पॉच्चें: सप्ताह पहले सूचना देवी जाती है। इतने पहले से अपने को बाँधने में आमत्रित लोग कड़ी आपत्ति तो करते ही हैं, किन्तु इस प्रकार के निमन्त्रण को स्वीकार करने के लिए प्रत्येक शिष्ट पुरुष वाध्य है। खराव स्वास्थ्य, मातमी या कोई बहुत ही महत्त्व-पूर्ण कारण ही इस प्रकार के निमन्त्रण को स्वीकृति में वाधक हो सकते हैं।

जो लोग इतने विचारहीन हैं कि आखिरी भौंके पर छोटे-भोटे वहाने करने लगते हैं वे शीघ्र ही देखेंगे कि भोजों की सूचियों में से उनका नाम निकाल दिया गया है।

मैत्री के एक छोटे भोज के लिए ५ से १० दिन तक की सूचना काफी समझी जाती है। आमतौर से मालकिन पहले लिखकर एक सूचना निकालती है। वडे-वडे भोजों में छपा हुआ कार्ड काम में लाया जाता है। नाम लिखने के लिए पर्याप्त स्थान छोड़ दिया जाता है। ये कार्ड मालिक और मालकिन के सयुक्त नाम से इस प्रकार छपाये जाते हैं:—

मि० और मिसेज ब्राउन

श्रीमान् ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० से

शुक्रवार, मार्च २० को ८ बजे

१०००, पोर्टमैन प्लेस, डबल्यू०आर्ड० में

भोज में सम्मिलित होने की कृपा करने के लिए  
प्रार्थना करती हैं।

कृपया उत्तर दीजिए।

निमन्त्रण की स्वीकृति या अस्वीकृति को यथा-सम्भव शीघ्राति-  
शोब्र भेज देना चाहिए।

उपरोक्त निमन्त्रण-पत्र का जवाब इस प्रकार देना चाहिए:—

मि० हेनरी सिथ को

मि० और मिसेज ब्राउन के २० मार्च के भोज के  
कृपापूर्ण निमन्त्रण को स्वीकार करने में  
वडी प्रसन्नता है।

सादे निमन्त्रण-पत्र का छोटा-सा जवाब सीधे सम्बोधन के  
के साथ देना चाहिए।

यदि कोई बहुत ही बड़ा कारण उपस्थित न हो तो किसी हालत में भी स्वीकृत निमन्त्रण को अन्तिम समय पर अस्वीकार न करना चाहिए। उस समय पर इन्कार कर जाने से सारे प्रबन्ध में गडवड़ी पड़ जाती है और भोज में वह वात नहीं रह जाती, क्योंकि दो घरटे की सूचना किसी रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं है।

### तत्कालीन निमन्त्रण

उपरोक्त विषय के साथ तत्कालीन निमन्त्रण का नया सवाल उठता है। अन्तिम समय पर निमन्त्रित किये जाने पर नवयुवकों को दुखी नहीं होना चाहिए और न यही सोचना चाहिए कि उनका तिरस्कार किया गया है। जो लोग मालकिन की कठिनाइयों को जानते हैं वे इन आकस्मिक अवसरों पर उसकी सहायता करने का प्रयत्न करेंगे और बहुत पहले निमन्त्रण न पाने के लिए अप्रसन्न न होंगे। मालकिन के लिए यह तो असम्भव है कि अपनी जान-पहचान के सभी मित्रों को भोज में सम्मिलित कर सके। अतएव जो पुरुष आकस्मिक निमन्त्रण को खुशी से स्वीकार कर लेगा, उसके लिए मालकिन बहुत ही कृतज्ञ होगी। दावत की प्रसन्नता के अतिरिक्त वह पुरुष अनेक अन्य रूपों से भी इस सत्कार्य का प्रतिफल लाभ करेगा।

भोज के समयों में बहुत भेद हुआ करता है। किन्तु नियत समय के १०५ मिनटों के भीतर ही नियत स्थान पर पहुँचना

चाहिए। ठीक समय पर न पहुँचना अक्षत्तव्य है। बहुत देर करके पहुँचने की अपेक्षा बहुत पहले पहुँच जाना अधिक अच्छा है। क्योंकि अच्छे अवसर पर पहुँचने पर मालकिन को अपने भेहमानों को एक दूसरे से परिचय कराने का मौका मिलता है।

भोज की पार्टी के अवसर पर सन्ध्या के समय पहनने के कपड़े ही पहनने चाहिए।

### पहुँचना

भोज होने वाले मकान पर पहुँचकर कमरे में नौकर को अपना कोट और हैट आदि उतार कर दे देना चाहिए। मालकिन को एक कमरा इसलिए भी रख छोड़ना चाहिए, जहाँ अतिथि-गण ड्राइङ्ग-रूम में जाने से पहले एकान्त में साफ-सुथरा हो सके।

यदि वटलर ( खानसामाँ ) रहा तो वह अतिथि के आगमन की सूचना मालकिन को देगा। वटलर की अनुपस्थिति में नौकर अतिथि को ड्राइङ्ग-रूम में लिवा ले जाता है और अतिथि का नाम पूछकर, किवाड़ खोलकर अतिथि के आगमन की सूचना देता है।

जिस स्त्री के साथ किसी पुरुष को भोज में जाने का सौभाग्य प्राप्त हो, उसे उस स्त्री से कई कदम पीछे चलना चाहिए। यदि उस स्त्री के साथ लड़कियाँ हों या साथ में कोई युवती-मित्र हो तो वह म्हाँ उस स्त्री-मित्र से दो चार कदम पीछे चलती है और साथ का पुरुष इस युवती स्त्री से भी कुछ फासले पर पीछे चलता है।

## थोड़ी वात-चीत

द्वाइन्स्टम मे दास्तिल होकर नियों तो अपने स्थान पर बैठ जाती है। पुरुष भोज के १० मिनट पहले तक खडेखडे वात-चीत करके समय बिताते हैं। किसी अतिथि से परिचय करा दिये जाने पर वे फौरन् उसने वात-चीत करना प्रारम्भ कर देते हैं। इसो स्थान पर नये अथवा शर्मीले आदमी को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यदि सम्भव हो तो ‘मौसम अच्छा है या खराब’, ‘सुदिन है अथवा दुर्दिन’ इस विषय पर वात-चीत न छेड़नी चाहिए। वात-चीत आरम्भ करने के लिए नाटक, पुस्तक और खेल-कूद के विषय उपयुक्त होंगे। इन्हीं विषयों से आरम्भ करके होशियार पुरुष अन्य विषयों पर भी वात-चीत छेड़ देगा। जहाँ तक हो सके, विवादग्रस्त विषय कभी न छेड़ना चाहिए। क्योंकि जिससे वात-चीत की जा रही हो, सम्भव है उसके विचार उसके साथी के विचार से मेल न खाते हो और वात-चीत के आवेश मे सन्ध्या का सारा आनन्द किरकिरा हो जाय।

## सहभोजी

भोज के लिए उठाने के पहले मालविन या उसके पति प्रत्येक पुरुष को यह सूचित कर देते हैं कि किस स्त्री के साथ उन्हे भोजन करना होगा। जिन अतिथियों से अधिक मित्रता हुई वे मालिक और मालविन के अत्यन्त रनेही मित्र होने के कारण सब से नीचे

स्थान पर वैठते हैं जिससे अजनवी और विशेष आदरणीय अतिथियों को वैठने के लिए उचित स्थान मिल सके।

क्रम का नियम बड़ी कड़ाई से पालन किया जाता है। भोज-गृह में प्रवेश के अवसर पर पार्टी के सबसे अधिक आदरणीय अतिथि मालकिन को साथ लेकर आगे चलते हैं। उनके पीछे अन्य लोग चलते हैं। सर्वोच्च सामाजिक स्थान वाली स्त्री अथवा सब की अपेक्षा अधिक अजनवी स्त्री को मालिक अपने साथ लेकर भोज-गृह में प्रवेश करता है और उसे अपनी दाहिनो ओर बिठलाता है। सीढ़ी से उतरते समय वह उसे अपने हाथों का सहारा भी देता है।

पुरुष अपनी सहभाजिनी महिला को उसके स्थान पर ले जाता है और मालकिन के आने तक जण भर ठहरता है। मालकिन के आने पर उस महिला के बगल में अपना स्थान ब्रह्मण करता है और मेज के तौलिये को खोलकर भोजन की सूची पर निगाह ढालता है और उसे अपनी साथिन को दिखलाता है।

भोजन करने समय सदा वह अपनी साथिन से मधुर भापण करता है और बीच-बीच में दूसरी तरफ बैठी स्त्री से भी सम्भापण करता जाता है।

अच्छा भोजन करनेवाला वही है जो अपने प्रतिभायूर्ण वार्तालाप में अपने साथी का मनोरञ्जन किया करता है और जब कभी अवमर मिलता है, सर्वसाधारण को भी रोचक वार्तालाप में लगा रखता है।

## भोजन के समय

सबके बैठ जाने पर मेज के तौलिए मे लपेटी रोटी को होशि-यारी से उठा लेना चाहिए। रोटी को एक तरफ रखकर तौलिए को अपनी गोद मे विछा लेना चाहिए।

खाद्य पदार्थों की सूची का कार्ड भी मेज पर पड़ा होगा। उसको लेकर पढ़ने मे लज्जा न करनी चाहिए। वे तो वहाँ पढ़ने के लिए ही डाले जाते हैं जिससे अतिथियों को मालूम हो जाय कि उनको क्या-न्या चीज़े खाने को मिलेगी। कार्ड को पढ़कर रुचिकर चीजों को ग्रहण करने और अरुचिकर चीजों को लौटा देने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इस प्रकार की सूची को अँगरेजी मे मेनू कार्ड (Menu Card) कहते हैं। इस मेनू शब्द का वर्णन आगे अन्यत्र किया जायगा।

## शराब की गिलासे

एक नये आदमी को अक्सर घबड़ा देने वाली चीज़ शराब की गिलासे होती हैं। प्रत्येक अतिथि के सामने तीन या अधिक गिलासे रखी जाती हैं। सबसे पहले सबसे छोटी गिलास शेरीक़ पीने के काम मे लाई जाती है। शेरी शोरबे और मछली के साथ ग्रहण की जाती है। अन्य गिलासों में एक बड़ा गिलास अंगूर की शराब पीने के लिए होगा। इसमे

---

झेरी स्पेन की बनी हुई एक मदिरा-विशेष का नाम है।

श्वेत या रङ्गीन क्लैरेट<sup>क्लैरेट</sup>, वर्गेंडी<sup>वर्गेंडी</sup> या हॉक<sup>हॉक</sup> ग्रहण की जाती है। एक अत्यन्त सुन्दर छिछला और चौडे मुँह का गिलास शैम्पेन<sup>शैम्पेन</sup> पीने के लिए रहता है।

यदि यह याद न रहे कि कौन-सा। गिलास किस काम में लाया जायगा, तो जो शराब पीने की इच्छा हो, नौकर से कह देना चाहिए और वह ठीक गिलास में वही शराब डाल देगा।

यदि शराब के बदले जल पीने की इच्छा हो, तो शराब परोसते समय जल माँग लेना चाहिए। आजकल भोज के अवसर पर इतने अधिक लोग शराब न पीनेवाले मिल जाते हैं कि जल ग्रहण करने वाले व्यक्ति की तरफ कोई आक्षेप नहीं करता और तरह-न-तरह के गैसदार पानी ऐसे अवसरों के लिए तैयार रखे जाते हैं। जल पीते समय गिलास एक ही धूट में खाली न कर देना चाहिए। ऐसा करना बड़ी असम्भ्यता का परिचय देना है। पीने के पहले और वाद में ओठों को पोंछना न भूलना चाहिए। जो इसमें भूल करते हैं उनकी शराब के गिलासों का दृश्य सुख-बद्धक नहीं होता।

<sup>क्लैरेट</sup> फ्रान्स देश की वनी हुई एक शराब को कहते हैं।

<sup>वर्गेंडी</sup>, इसी नाम के एक प्रान्त की वनी मदिरा का नाम है।

<sup>हॉक</sup> जर्मन देश की एक खास शराब है।

<sup>शैम्पेन</sup> एक खास शराब है जो पूर्वी फ्रान्स में बनाई जाती है।

दूसरी बात जिसपर सावधान रहने की आवश्यकता है, वह है मुँह बन्द करके भोजन करना। इस बात की शिक्षा शिशुओं को बचपन ही से देनी चाहिए। किन्तु इसमें त्रुटि की जाती है जिसका परिणाम अच्छा नहीं होता। सब से पहले हार्स, छवरीजक्ष<sup>१</sup> परोसा जाता है। इनमें कुछ आयस्टर्सीं, सार्डीन्स<sup>२</sup>, एक्सोवीजार्स<sup>३</sup>, ओलिव्स<sup>४</sup>, और तरह-तरह की तरकारियाँ होती हैं। ये चीजें एक छोटे चाकू और काँटे द्वारा खाई जाती हैं। खाने के ये औजार भी सामने मेज पर रखते जाते हैं। यदि हार्स छवरीज में घोंवे हो तो उनको छोटे काँटे से खाना चाहिए। प्याली में घोंवे को वाएँ हाथ की ऊँगली और ऊँगूठे से सीधा करके काँटे की सहायता से आयस्टर को निकालना चाहिए। इसे समूचा खाना चाहिए। यदि ओलिव परोसे जायें और खाने की इच्छा हो तो एक-एक कर के उन्हें ऊँगलियों से खाना चाहिए।

शोरबा—इसके बाद शोरबे का नम्बर आता है। जिसे खाने के लिए मेज पर एक चम्मच रखा जाता है। यदि भुने हुए रोटों के छिलके या पिसी हुई पनीर परोसी जाय तो चम्मच से उसे भी ग्रहण करना चाहिए।

भोजन का सब से अधिक स्वादिष्ट अंश।

<sup>१</sup> मांस द्वारा प्रस्तुत खाद्य विशेष।

<sup>२</sup> सार्डीनियाँ की मछलियों में वना हुआ भोज्य पदार्थ।

<sup>३</sup> छोटे मछलियों से बनाया हुआ खाद्य।

<sup>४</sup> जैतून।

शोरवा खाते समय मुँह से किसी प्रकार की आवाज न होने पाये और प्याली को अपनी तरफ न रखकर उसे थोड़ा अपने से दूर ही रखनी चाहिए। विना किसी प्रकार की आवाज किये चम्मच को काम में लाना चाहिए। चम्मच की वस्तु चम्मच की नोक से नहीं, बरन् चम्मच के बगल से ग्रहण करनी चाहिए। यदि रोटी की आवश्यकता हो तो मेज पर उसे काट कर दूर—अन्य खाद्य पदार्थों से कुछ अलग—छोटे-छोटे ढुकड़े करके चुप-चाप मुख में डाल लेना चाहिए। रोटी को तोड़ने के अतिरिक्त किसी भी हालत में उसे मेज पर काटना, रगड़ना या हाथ में नहीं लेना चाहिए।

मछली—मछली भी परोसी जाती है। मछली खाने के लिए चाकू और कोर्क्के मेज पर रखे जाते हैं। चाकू का फल लोहे का नहीं, बरन् चाँदी का होता है। हेशियारी से हड्डी से मास को अलग करके उसे प्याली में एक तरफ डाल देना चाहिए। मछली का मांस छोटे-छोटे निवालों में खाना चाहिए। कभी-कभी मछली के साथ सॉसां भी परोसी जाती है। इसे चटनी के प्याले से चम्मच द्वारा निकाल लेना चाहिए। नौकर प्याले को लेकर मेज के चारों तरफ धूमता रहता है। जब आवश्यकता पड़े, इसमें से ले लेना चाहिए।

साधारणतः हाइटवेट<sup>‡</sup> समूची ग्रहण की जाती है। चाकू ने कॉटे पर एक या दो डाल दी जाती हैं। या केवल कॉटा ही कॉटा।      चटनी।      दो इच्छ लम्बी मछली।

काम मे लाया जाता है। ऐसी हालत मे कॉटे को सीधे उठाकर छोटी-छोटी मछलियों को बेध देते हैं।

इसके बाद एण्ट्रीक्स सामने लाई जाती है। इसको सम्भवतः केवल कॉटे द्वारा प्रहरण करना चाहिए। कटलेट्सां, स्वीट ब्रेड्सां, या गेमक्सक्स को खाने मे तो चाकू की जखरत पडती ही है, किन्तु रिस्सोल्सां, कोनिल्सां, पैट्सां या टिम्बेल्सां केवल कॉटे से खाये जाते हैं। करी को खाने का ठीक ढङ्ग चम्मच और कॉटे द्वारा है।

साधारणतः एण्ट्री के बाद मांस, गाँठ, पोल्ट्री० या शिकार परोसे जाते हैं। आजकल भारी मांस के स्थान पर हल्के क्रिस्म के मासों के परोसने की चाल हो रही है। इसके लिए बड़े चाकू और कॉटे मेज पर रखवे जाते हैं।

क्स मछली के बाद का खाद्य ।

† मांस-द्वारा प्रस्तुत भोज्य विशेष ।

‡ मीठी रोटी ।

क्सशिकार में मारे हुए जन्तु का पकाया हुआ मांस ।

† मास की बनी हुई रोटी ।

‡ मछली से लेई की शक्ति का बनाया हुआ खाद्य पदार्थ ।

‡ वत्तख का कलेजा ।

†‡ मछली और अण्डे की सफेदी से तैयार किया हुआ खाद्य विशेष ।

० मुर्गावी का गोश्त ।

जब तक कि भिन्न-भिन्न तरकारियाँ और चटनियाँ सामने न लाई जाय, मांस खाना आरम्भ न करना चाहिए। भोजन कर चुकने पर तश्तरी में कॉटे और चाकू पास-पास डाल देना चाहिए। चाकू का दाहिना भाग ऊपर हो और कॉटा उल्टा रहे।

छोटी-छोटी चिड़ियों के खाने में बड़ी दिक्कत पड़ती है। इनका बहुत कम भाग काम में आता है। अतएव ये बहुत स्वादिष्ट चीजें समझी जाती हैं। भोजन करनेवाले को गाँठ पर ही विशेष ध्यान रखना चाहिए।

तरकारियाँ सदा कॉटे द्वारा ग्रहण की जाती है। ऐस्परेगस की भी कोई विशेष आजार न रहा तो कॉटे द्वारा ही खाया जाता है। ऐस्परेगस को तश्तरी से उठाकर उँगलियों में लेने का फैशन नहीं रहा। खाने का नया और अधिक उत्तम ढग तो यही है कि कॉटे से इसके टुकड़े-टुकड़े कर के मुँह में डाल लिये जायें। आजकल भी इनको हाथ से उठाकर खाने की रीति है। थोड़ी सी तश्तरी में लेकर प्रत्येक कली को धी में डुवाकर मुख में डाल लेना चाहिए। ऐस्परेगस के साथ ही धी भी परोसा जाता है। कली के किनारे के गोले-गोले टुकड़े तश्तरी में डाल दिये जाते हैं।

ग्लोब आर्टीचौक्साँ में बहुत कम खाद्य पदार्थ मिलता है। कॉटे से उठाकर पत्ती दाँतों में दबाई जाती है। जूस काट

क्लभाजी विशेष।

फ्रांक प्रकार का फूल जिसकी तरकारी बनाई जाती है।

कर काँटे के अन्त-भाग से पत्ती हटा दी जाती है। इसे खाना आसान काम नहीं। और इस थोड़े लाभ के लिए बहुत-न्से लोग इतनी मिहनत करना पसन्द नहीं करते।

सलादङ्के उसी तश्तरी से खाना चाहिए जिसमें यह परोसा जाय। किन्तु खीरा भोजन की तश्तरी में से खाया जाता है। मछली के साथ परोसे जाने पर इसे मछली की तश्तरी से खाना चाहिए।

मटर काँटे की नोक पर धीरे से उठाकर मुख में डाल लेनी चाहिए।

स्वीट्सां को खाने के लिए भिन्न चम्मच होते हैं, जिनसे फल इत्यादि भी खाये जाते हैं। जहाँ मिठाई आसानी से काँटे द्वारा खायी जा सके, वहाँ उसी के द्वारा खाना चाहिए।

चीज़ों विस्कुट या रोटी के टुकड़े पर लेकर खाई जाती है। चाकू से उठाकर इसे कभी नहीं खाते। स्टिलटनां का साधारणत, एक इच्छ का टुकड़ा लिया जाता है।

यह मध्य से खरोंच ली जाती है। काटी नहीं जाती, और अन्य वस्तुओं की अपेक्षा अधिक ली जाती है।

झेंक प्रकार की तरकारी जो कच्ची-ही खाई जाती है।  
मिठाइयों।

पनीर।

हंटिंगडनशायर की बनी हुई बढ़िया पनीर।

डेजर्टस्क्ली—फल थोड़े लिये जाते हैं—ये बहुत वाद का परोसे जाते हैं।

## हाथ से खाये जाने वाले पदार्थ

फिर बावलीं फलों के पात्र से अलग किये जाते हैं। तश्तरी से पहले प्याले को उठाकर इसके नीचे के लेसड्वायली<sup>f</sup> को हटा देते हैं। फिर इस को मेज पर बाईं ओर रख देते हैं और तब इस पर फिर बावल को रख देते हैं। फलों का खाना समाप्त कर के एक एक कर के अपना हाथ इसमे डालना चाहिए। केवल उँगलियों को छुवोकर उनको हल्के से तैलिये मे पेंछ लेना चाहिए। तैलिये को बिना तह लगाये ही तश्तरी के बगल मे सफाई से डाल देना चाहिए।

## फलों का खाना

आडू खाना तो बहुत ही आसान है। कॉटे को उठाकर धीरे से फल में चुभो देना चाहिए और तब इसे तश्तरी के मध्य मे रखकर ऊपर से छिलका चाकू से छीलकर निकाल देना चाहिए। फल को छीलकर बीज के पास से इसके दो बराबर दुकड़े कर लेने चाहिए और तब इसको छोटे-छोटे दुकड़ों से करके मुख मे ले लेना चाहिए।

---

कूभोजन के भाथ जो फल परोसे जाते हैं उन्हे डेजर्ट कहते हैं। फल-पात्र जिसमे कॉटे की बजाय उँगली से खाया जाता है। गिलाम विशेष।

अँगूर को मुख मे डालकर धीरे से उसका छिलका निकाल लिया जाता है। बीजों को निकालने के लिए काँटा मुख के पास लगा लिया जाता है। और उसी मे मुख से निकाल कर बीज ले लिया जाता है। बीजों को फलों की तश्तरी मे एक तरफ डाल देना चाहिए।

नारङ्गियाँ खाना कुछ सुश्किल है। सबसे अच्छा ढङ्ग तो यह है कि नारङ्गी को वाये हाथ से लेकर धीरे से छिलका सिरे से काट कर चाकू से उतार लेना चाहिए। एक-एक फॉक लेकर अँगूर की तरह मुख मे डालकर बीजों को काँटे में ले लेना चाहिए। टंजे-रिन्स्क्ष के भी छिलके उतार कर नारङ्गियों की फॉक की तरह खाना चाहिए।

अनन्त्रास तो रसभरा रहता है। अतएव खाते समय एक बार में इसका केवल एक ही टुकड़ा लेना चाहिए। इन टुकड़ों को बीच से लेकर खाना चाहिए और बाहर का टुकड़ा फेक दिया जाता है।

सेव काँटे द्वारा दृढ़ता से पकड़कर चाकू से तराशे जाते हैं।

अखरोट तोड़ने वाला जो औजार दिया जाय, उसी से उसको ताड़ना चाहिए और खाने वालों को चाहिए कि वे सम्भवत जितना कम हो सके, उतना कम कूड़ा-करकट तश्तरी मे एकत्र करें।

क्षेत्रफलों की प्रदेश की एक प्रकार की नारङ्गी।

फलों को धीरे-धीरे खिना किसी तरह की आवाज निकाले और मुँह बन्द करके खाना चाहिए। न तो रुकना चाहिए और न लम्बे-चौडे तर्क छेड़कर यह भूल जाना चाहिए कि खाद्य सामग्रियों भक्षण की राह देख रही हैं।

पानी का गिलास उठाते और उसे टेविल पर रखते समय तौलिये को काम में लाना चाहिए। शोरबे को लेने के बाद भी फौरन ही इसका व्यवहार करना चाहिए।

प्रत्येक पदार्थ के खाने के बाद कट्टे और चाकू को पास-पास डाल देना चाहिए। उनको एक दूसरे के ऊपर रखने का यह अर्थ होता है कि खाने वाले को और भी फलों की आवश्यकता है और व्यावहारिक भोजों में इस प्रकार की इच्छाओं का दमन करना चाहिए।

जब स्थियों कमरे से बाहर जाने लगें तो द्वार के पास वाले पुरुष को उठकर उनके लिए द्वार खोल देना चाहिए। कार्य करने का अधिकार तो भोजन कराने वाले का है; किन्तु किसी युवक के लिये यह कार्य कर देना नम्रता का प्रदर्शन करना है।

स्थियों के चले जाने के बाद न्यौता देने वाला अपने अतिथियों को शराब इत्यादि पिलाता है और लोग बात-चीत में अधिक स्वतन्त्रता लेने लगते हैं। किन्तु आजकल तो इस प्रसन्नता में स्थियाँ भोजन लेती हैं। वे कहवे को भोजगृह में न पीकर पुरुषों के माथ हो पोना पसन्द करती हैं। इस नियम से स्त्री-पुरुषों में शीघ्र मिलाप होता है और इसमें लाभ ही होता है।

## भोज के पश्चात्

भोज के बाद यदि समय रहा तो कुछ गान्वाद्य अथवा वायरलेस कन्सर्टक्ष्म होता है। यदि भोज वास्तव में मजेदार हुआ तो बातचीत में ९ या ११ बजे जाते हैं। चतुर मकान-मालिक और गृहिणी ऐसा प्रबन्ध करते हैं कि समय कटते देर नहीं लगती और कभी-कभी तो अभ्यागतो के विदा होते-होते १० बजे जाते हैं।

विदा होते समय सभी जान-पहचान के लोगों से हाथ मिलाने की ज़रूरत नहीं। सम्मान से भुक्कर जरा-सा मुस्किरा देना ही पर्याप्त होता है। विदा इस प्रकार चुपचाप हो जाना चाहिए कि पार्टी दूटने न पावे।

किन्तु गृहिणी से विदा लेना भूलना न चाहिए। जब वह हाथ-मिलावे तो कुछ शब्दों में सन्ध्या को सुख से विताने के लिए उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए।

अक्सर ऐसा होता है कि भोज के उपरान्त चाय पीने के लिए लोग स्वागत-गृह में एकत्र होते हैं। पुरुष को चाहिए कि इस समय भी वह उन महिलाओं के साथ रहे जो भोज के समय उसके बगल में बैठी रही हों। क्योंकि सम्भव है विदा होते समय टैक्सी तक अथवा पास के स्टेशन तक पहुँचाने के लिए उन्हे उस पुरुष की सहायता की आवश्यकता हो।

क्षेविना तार के यंत्र द्वारा प्रतिध्वनित गायन-वाद्य।

गाँवों में तो ऐसा होता है कि भोज के बाद मकान-मालिक महिला अतिथियों को मोटर तक पहुँचा आते हैं। शहरों के भोज में मकान-मालिक यह कार्य अपने नौकरों से करवाते हैं।

जब तक विशेष कारण न हो, दस बजे से पहले किसी भोज पार्टी से विदा न होना चाहिए। पार्टी से विदा होने का ठीक समय १० बजे रात है।

वर्जशीश देने के प्रश्न पर लोग बहुधा ग़लती कर बैठते हैं। यह बात सदा ध्यान में रखनी चाहिए कि जिस मकान में भोज हो, उस मकान के नौकरों को भूलकर भी वर्जशीश न देनी चाहिए। यदि कोई नौकर टैक्सी ला दे, या इसी प्रकार की और भी कोई छोटी-सोटी सेवा कर दे तो उसे दो-चार पैसे दिये जा सकते हैं, किन्तु यहाँ अपनी इच्छा के अनुसार काम करना चाहिए।

### मध्यान्होत्तर पार्टी

भोज की पार्टियों की अपेक्षा इस पार्टी में नियमों की उतनी कठिनता नहीं रहती। निमन्त्रित होने पर यह पूछने की ज़रूरत नहीं कि मालकिन घर पर हैं या नहीं। यदि कहना ही पड़े तो नौकरानी से केवल इतना कह दिया जाता है कि “श्रीमती .. मेरा इन्तजार करती होंगी।”

यदि मकान-मालिक भी उपस्थित रहे तो ड्राइवर रूम में भोज-गृह में वे अपने माथ विशेष रूप से निमन्त्रित अभ्यागत अथवा महिला को ले जाते हैं। किन्तु उसे सहाग देने के लिए

अपना हाथ नहीं बढ़ाते। इनके पीछे अन्य मेहमान चलते हैं। पुरुष लोग स्त्रियों के साथ नहीं बैठते। किन्तु मेजों पर इस तरह बैठते हैं कि सभी उपस्थित स्त्रियों की सेवा के निमित्त वे ठीक-ठीक बैट जाय।

विवाहिता स्त्रियाँ कुमारी स्त्रियों से आगे चलती हैं और सबसे पीछे पुरुष चलते हैं।

खाद्य पदार्थों की सूची साधारण होती है। शोखवा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अन्त में कहवा परोसी जाती है। यह उस स्थान पर दी जाती है जहाँ यह आशा की जाती है कि अभ्यागत २० मिनट अथवा आधा घण्टा बैठेंगे। तत्पश्चात् अभ्यागत मकान-भालिक मालकिन से विदा होते हैं और जिन लोगों से प्रथम बार परिचय हुआ हो, उनके प्रति झुककर सम्मान प्रदर्शन करते हैं।

## सार्वजनिक भोज

सार्वजनिक भोजों में उन भोजों की गणना होती है जो सोसाइटियों, सार्वजनिक संस्थाओं अथवा शहर की कम्पनियों द्वारा दिये जाते हैं। जब किसी एसोसिएशन द्वारा भोज दिया जाता है तो प्रबन्ध एक कमेटी के हाथ में रहता है। यह कमेटी हो खाद्य पदार्थों की सूची, शराब, गान-न्वाद्य के प्रोग्राम और भाषणों की आयोजना करती है। विशेष सम्मानित अतिथियों को छोड़कर, जिन्हे उच्च स्थल पर बैठने का अधिकार होता है।

और जिनसे एक व्याख्यान देने की आशा की जाती है, साधारण अतिथियों से सब से पहले यह आशा की जाती है कि जिस होटल अथवा स्थान में भोज का प्रबन्ध किया जाय, वहाँ पहुँच कर पहले अपना निमन्त्रण-पत्र दिखलावे। इसके बदले में खाद्य पदार्थों की सूची का एक कार्ड इस अतिथि को दिया जाता है।

इस कार्ड पर भोज का सारा प्रोत्राम अङ्कित रहता है। लघादे उतारकर रखने के कमरे में हैट और ओवरकोट उतार-कर नौकर के हाथ में देना चाहिए। इसके बदले में एक नम्बर लगा हुआ टिकट मिलता है। यहाँ से स्वागत-गृह अथवा ड्राइवर-रूम में जाना चाहिए। कमेटी को अतिथि का नाम बतलाया जाता है। नाम घोषित होने के बाद ही कमरे में स्वागत-कारिणी समिति के चेयरमैन के पास जाकर हाथ मिलाना चाहिए। कमेटी के सदस्य-गण तो सम्मान करने के लिए पहले ही से खडे रहते हैं। उनसे हाथ मिलाकर या सिर झुकाकर यहाँ से शीघ्र ही उस कमरे में चले जाना चाहिए, जहाँ अन्य अतिथि गण आपस में खडे बात करते हैं। वहाँ पहुँचकर वैठक के नक्शे से यह मालूम करना चाहिए कि उसके वैठने का प्रबन्ध कहाँ किया गया है। ने नक्शे दीवार पर लगा दिये जाते हैं।

कुछ देर के बाद यह सवार दी जाती है कि भोजन मेज पर पर्यान दिया गया है और विशेष निमन्त्रित अतिथि अन्य अतिथियों का नेहत्व प्रदण करके भोज-गृह में प्रवेश करते हैं। अति-

थियों के वैठ- जाने पर भोजनाचार्य ( Toast Master ) अथवा अन्य अफसर महिलाओं और पुरुषों से ईश-प्रार्थना के निमित्त खामोश हो जाने की प्रार्थना करते हैं ।

प्रार्थना के बाद लोग खाने लगते हैं । इसके अनन्तर यहाँ वे ही सब नियम लागू होते हैं जो भोज के सम्बन्ध में पीछे लिखे जा चुके हैं ।

बादशाह के सुस्वास्थ्य की कामना के बाद ही धूम्रपान की विधि है, तो भी आम तौर से जब चेयरमैन यह सूचित करें कि अब लोग धूम्रपान कर सकते हैं तभी धूम्रपान करना चाहिए । इसके बाद प्रोग्राम के अनुसार विभिन्न वक्तानाण अपना व्याख्यान सुनाते हैं ।

## शराब

यदि भोज वास्तव में निमन्त्रण न हो अथवा जब किसी जलसे में भाग लेने के लिए, या किसी यात्री के सम्मानार्थ आपने भोज में सम्मिलित होने के लिए टिकट खरीदा हो, तो शराब का जिम्मेवार खानसामैं प्रत्येक अतिथि से उसकी अभिलिप्ति शराब लाने की आज्ञा माँगता है ।

कई अतिथि मिलकर एक बोतल शराब पी सकते हैं ।

किन्तु यदि भोज वास्तव में निमन्त्रण हो तो खाद्य पदार्थों की सूचों ही से जिन शराबों का उल्लेख होगा वे समयानुसार खाद्य पदार्थों के साथ ही परोसो जायेंगी ।

भोज के अन्त में आमतौर से अपने मित्रों ही से विदा ली जाती है।

इस प्रकार के सार्वजनिक भोजों में जान-पहचान के लोगों से भी वार्तालाप हो सकता है। भोजन के परोसने के साथ ही साथ किसे-कहानियाँ भी छिड़ती रहती हैं, किन्तु भाषण के समय इन सब वार्तालापों को बन्द कर देना चाहिए।

किसी संस्था के सहायतार्थ दिये गये भोजों में चेक या चन्दे की रकम को साथ लेकर जाना चाहिए। क्योंकि ऐसे अवसर पर चन्दे उगाहे जाते हैं। चन्दा देने की असमर्थता होने पर ऐसे भोजों में न जाना ही अच्छा है।

वरुणीश देने के विषय में चाल यह है कि कपडे पहनने के कमरे में एक तश्तरी रखी रहती है। उसी में चाँदी के सिक्के डाल देने चाहिए। नौकरों की वरुणीश के लिए कभी-कभी एक तश्तरी अभ्यागतों में घुमाई जाती है। इस रकम की कोई नियत फीस नहीं है, किन्तु इस बात का ख़याल रखकर कुछ देना चाहिए कि नौकरों ने प्रत्येक अभ्यागत की माँग को पूरा करने का खूब ख़याल रखता है।

कभी-कभी ऐसा भी होता है कि किसी समाचार-पत्र के सञ्चालक अथवा कोई अमीर सज्जन अपने घर पर पत्र के सारे स्टाफ को भोज देते हैं। ऐसे भोजों में मकान-मालिक अपने मेहमानों के साथ मित्र के तौर पर वर्ताव करते हैं और उन्हे अपने वरावर का ममझते हैं। ऐसे अवसरों पर कारवार-सम्बन्धी बातें न करके ऐसी बातें छेड़नी चाहिए, जो भव को रुचिकर हो।

यद्यपि मकान-मालिक लोगों को अपनी वरावरी का समझते हैं तथापि मेहमानों को अपने मालिकों से स्वतन्त्रता-पूर्वक बातचीत न करना चाहिए। नये आदमियों को इन मामलों में कभी-कभी वडी दिक्कत उठानी पड़ती है। यह समस्या तब तो और भी जटिल हो जाती है जब अभ्यागत जन्म से अपने मालिक के वरावर की श्रेणी का हो। कभी-कभी ऐसा होता है कि अत्यन्त निकृष्ट श्रेणी का व्यक्ति भी अध्यवसाय से बड़ा धनी हो जाता है। ऐसी हालत में धन के सिवा उसके सारे नौकर-चाकर अन्य सभी बातों में उससे उच्च होते हैं। किन्तु इन सब बातों की बिना पर यदि कोई यह समझे कि अपने मालिक से उसे स्वतन्त्रतापूर्वक बात करने का हक हो जाता है, तो वह सख्त गलती करता है। मालिक के सम्बन्ध में एक नौकर का वही स्थान है जो उसके फर्म में नौकरी के लिहाज से उसका होना चाहिए। एक भले आदमी को इन सब बातों का खूब ख्याल रहता है और वह अपनी श्रेष्ठतर शिक्षा और जन्म के कारण अपने स्थान को अपने मालिक के स्थान से उच्चतर नहीं मानने लगता।

इन सब बातों के अतिरिक्त भी निमन्त्रण देने वाला व्यक्ति अक्सर बयोबृद्ध होता है और बयोबृद्ध लोगों के प्रति सम्मान दिखाना नवयुवकों को सदा ही शोभा देता है।

---

## ऐट होम\* और स्वागत

छपे हुए “ऐट होम” कार्डों द्वारा निमन्त्रण दिया जाता है। अथवा मकान-मालकिन के विज़िटिङ कार्ड पर नाम के नीचे “ऐट होम” और निमन्त्रण की तारीख और दिन लिख दिया जाता है। कार्ड के निचले-कोनों पर पता और गान वाद्य आदि होने वाले किसी विशेष उत्सव का जिक्र रहता है। निमन्त्रित अतिथि का नाम कार्ड के ऊपर बाईं तरफ कोने में लिखा रहता है।

‘ऐट होमों’ का समय मध्याह्न के बाद अथवा सन्ध्या का है। इनमें वहुधा मित्रगण ही निमन्त्रित किये जाते हैं। ड्राइव्स-रूम में मकान-मालकिन प्रत्येक अतिथि से मिलती हैं और बाद को सभी आगतों के बीच में जाकर उनको हर प्रकार से प्रसन्न रखने की चेष्टा करती हैं। साधारणत ऐसे मौकों पर गान-वाद्य का प्रबन्ध नहीं किया जाता। खाद्य-पदार्थ भी साधारण ही होते हैं। यथा—चाय, कहवा, पतली रोटी और मक्खन, वर्फदार शरबत और केक आदि। इस के अलावा सिगरेट भी होता है। ये सब चीजें ड्राइव्स रूम में नौकरानियों द्वारा परोसी जाती हैं। घर की लड़कियाँ भी इस काम में हाथ बँटाती हैं।

---

कंपरिचित मित्रों का तीसरे पहर या शाम को जो दावत दा जाता है उन्हे ‘ऐट होम’ कहते हैं।

कायदा यह है कि 'ऐट होम' के अवसर पर जब कोई महिला वैठी हो और उसी समय यदि कोई नयी महिला आ जाय तो पहले ने वैठी महिला को उठकर नवागता महिला का सम्मान कर के उससे हाथ मिलाना चाहिए। किन्तु किसी पुरुष के आने पर उसे उठने की जरूरत नहीं।

किसी महिला के आते ही पुरुष को उठ खड़े होना चाहिए और जब तक उस महिला को स्थान न मिले, तब तक उसे अपना स्थान ग्रहण नहीं करना चाहिए।

छोटे 'ऐट होमों' में मकान-मालकिन जहाँ उचित समझती है आगतों में परस्पर वार्तालाप करा देती है।

'ऐट होमो' में आगतों को बहुत जल्द न आना चाहिए। जल्द आने से आध घरटे तक व्यर्थ ही रुकना पड़ता है। यह व्यर्थ का रुकना बड़ा बुरा मालूम पड़ता है।

### बड़े 'ऐट होम'

बडे 'ऐट होमो' में मकान-मालकिन ड्राइवर स्तम्भ के द्वार ही पर रहती हैं और आगत लोग ही परस्पर एक दूसरे की अभ्यर्थना करते हैं। गान-वाद्य के अवसर पर सब को चुप हो जाना चाहिए। यदि वाद्य रुचिकर न हो तो चाय पीने के कमरे में चले जाना चाहिए। यदि मकान-मालकिन पास न रहे, तो उनसे विदा माँगने की जरूरत नहीं। जब आमतौर से अतिथिनगण विदा होने लगें, तो स्वयं भी विदा हो जाना चाहिए।

अतिथियों के विदा लेते समय मकान-मालकिन इस बात की सूचना अपनी दासियों को नहीं देतीं। मोटर या गाड़ी की प्रतीक्षा करने के लिये अतिथिनगण भोजन-गृह अथवा हॉल में ठहरते हैं। गाड़ी आने पर उनको सूचना दी जाती है। मोटरों और गाड़ियों में बैठने से पुरुषगण खियों की सहायता करते हैं।

## स्वागत में दी गयी पार्टीयाँ

इन पार्टीयों को 'शाम की पार्टीयाँ' भी कहते हैं। ये पार्टीयाँ ५०।६० और सौ-दो सौ अतिथियों की भी हो सकती हैं। प्रबन्ध देने से एक ही तरह का होता है।

मकान-मालकिन ड्राइवर-रूम के बाहर सीढ़ी पर खड़ी होकर अतिथियों का स्वागत करती हैं। गृह-स्वामी ड्राइवर-रूम में रहते हैं।

अपना नाम घोषित किये जाने के बाद अतिथि को पहले गृह-स्वामिनी से मिलकर गृह-स्वामी से मिलने चले जाना चाहिए। यदि अतिथि के साथ कोई महिला हो तो पुरुष को महिला के पीछे-पोछे जाना चाहिए।

मेल-मिलाप इस अवसर पर मित्रों ही में होता है। गृह-स्वामिनों के तो अतिथियों के स्वागत ही से इतनी फुर्सत नहीं मिलतों कि वे अतिथियों में परस्पर मेल-मुलाकात करा दे।

शाम को गान-बाद्य का प्रबन्ध किया जाता है। बाद को खाद्य सामग्रियाँ लायी जाती हैं और गृह-स्वामी प्रधान अतिथि

को भोजन कराने स्वयं लिबा ले जाते हैं। पार्टी की छुटाई-बड़ाई के अनुसार ही टेबिलों का प्रवन्ध किया जाता है। इस प्रकार की पार्टी और वॉल ( नृत्य-महोत्सव ) में कोई विशेष अन्तर नहीं होता। केवल शाम की पार्टी में नृत्य के बदले गान-वाद्य का प्रवन्ध किया जाता है।

भोजन के बाद ११॥ से १२ बजे तक बहुतेरे आतिथि तो ढ्रूझन्स्म में न लौटकर सीधे अपनी मोटर या गाड़ी का इन्तजार करते हैं। अतएव इस भोज में विदा लेने की प्रथा नहीं है। शाम की बहुतेरी पार्टीयाँ तो एक-एक बजे रात को समाप्त होती हैं। शनिवार के जो पार्टीयाँ दी जाती हैं वे तो आधी रात से पहले समाप्त होती ही नहीं।

### सार्वजनिक स्वागत

इसी प्रकार सार्वजनिक भोज देकर सार्वजनिक स्वागतों की आयोजना की जाती है। भेद केवल इतना ही है कि सार्वजनिक स्वागत बड़ी चीज़ है। केवल वे ही मित्र निमन्त्रित किये जाते हैं जो एक दल के होते हैं और जैसे-जैसे जान-पहचान बढ़ती जाती है, मित्रों का यह समूह भी बढ़ता जाता है।

## ब्रिज पार्टीयाँ और ब्रिज-सम्बन्धी चाय पार्टीयाँ

विजिटिङ्ग कार्ड भेजकर अथवा एक चिट्ठी लिखकर मित्र निमन्त्रित किये जाते हैं। विजिटिङ्ग कार्ड पर 'ऐट होम' लिख कर तारीख और दिन लिख दिया जाता है। जिस कोने से पता अङ्कित हो उसके सामने वाले कोने पर लिख दिया जाता है—“ब्रिज, ३॥ वजे सन्ध्या।” ये निमन्त्रण भी गृह-स्वामिनी के नाम से भेजे जाते हैं। आजकल पुराने ढंग के ब्रिज की अपेक्षा ‘आक्षण ब्रिज’ के खेलने ही की अधिक चाल है।

गृह-स्वामिनी के बाल थोड़े ही लोगों को आमन्त्रित करती हैं और उसी के अनुसार टेविल इत्यादि का प्रवन्ध किया जाता है।

अतिथियों को बतला दिया जाता है कि किस टेविल पर किसके लिये प्रवन्ध किया गया है। अतिथिनाण नियत टेविलों पर अपने साथियों के साथ बैठ जाते हैं। स्वयं गृह-स्वामिनी भी खेल में शामिल होती है। ऐसे समय पर बात-चीत आरम्भ करने की एक-दम आवश्यकता नहीं होती।

आते ही अतिथिनाण के बाल हैट और कोट उतार देते हैं।

शाम की ब्रिज-पार्टीयों के लिए गृह-स्वामिनी विशेष प्रवन्ध करती है। वे स्वयं छोटी-छोटी मेजों को मजाकर एक-एक पर

चार-चार अतिथियों के बैठने का प्रबन्ध करती हैं। अतिथियों के आते ही उनके लिए नियत स्थान की सूचना दे दी जाती है। अतिथिनगण अपने साथियों को स्वयं चुन लेते हैं और अपने साथियों के साथ ही भोजन करते हैं।

९ बजे के खेल के लिए अतिथिनगण टा। बजे ही से आने लगते हैं। खेल तीन घण्टे तक जारी रहता है। यदि खाद्य पदार्थ न परोसे गये हो, तो बढ़िया-बढ़िया चीजे एक स्फुल पर रख दी जाती हैं और कभी-कभी अतिथियों के भोजन करने के लिए खेल बीच ही मेरोक दिया जाता है। किन्तु ऐसा हमेशा नहीं किया जाता। क्योंकि खेल मेराधा डालना अक्सर बहुत बुरा माना जाता है।

कार्ड ( ताश ) पार्टियों मेरो एक दम स्नामोश रहने की ज़रूरत होती है।

### ताश खेलने की मेज पर

अनेक ऐसे भी खिलाड़ी होते हैं जो यों बड़े सभ्य और नम्र होते हुए भी ब्रिज की मेज पर अपनी सारी भलमन्सी ताक पर रख देते हैं। ज़रा-ज़रा सी वात पर नाराज होकर सारा मज्जा किर-किरा कर देते हैं, और ऐसा मालूम पड़ता है कि इनाम मिले चाहेन मिले, मगर उनकी हार या जीत पर जीवन और मरण की वाजी लगी है। वहुतेरे ऐसे भी खिलाड़ी होते हैं, जो जब तक जीतते जाते हैं तब तक तो बड़ी संजीदगी से पेश आते हैं, किन्तु दो-एक बार

हारते ही झुँकला कर कार्ड ज़मीन पर पटक कर कहते हैं कि 'अब दूसरे बाजी नहीं खेलेगे।' प्रत्येक खेल के बाद वे मानो "शव-परीक्षा" करके अपने साथी से कहते हैं कि फलों मौके पर उसे फलाँ चाल चलनी चाहिए थी। फलाँ चाल चलने पर अवश्य जीत होती अथवा वे ऐसी-ऐसी वे सिर-पैर की बाते सुनाते हैं कि नया खिलाड़ी तो भौचक्का-सा होकर बड़ी भद्दी-भद्दी ग़लतियाँ करने लगता है। ऐसी परिस्थितियों में खेल का सारा मजा किरकिरा हो जाता है। इस प्रकार के खिलाड़ियों को चाहिए कि वे या तो खेलना छोड़ दें अथवा घर पर बैठकर आत्म-संयम करना सीखें।

---

## नाचों के प्राइवेट उत्सव

नाच के उत्सवों में शामिल होने के लिए भी निमन्त्रण “ऐट-होम” के कार्डों ही पर भेजा जाता है। केवल कार्ड के कोने पर “नाच” शब्द छाप दिया जाता है। चाहे कितना ही बड़ा जल्सा क्यों न हो, कार्ड पर “नाच” के स्थान पर “वॉल” ( नृत्य-महोत्सव ) शब्द कभी न लिखना चाहिए। नृत्य के साथ “शीघ्र” अथवा “लघु” शब्द का प्रयोग कर देना चाहिए जिससे अतिथियों को मालूम हो जाय कि जल्सा बड़ा होगा अथवा छोटा ।

निमन्त्रण गृह-स्वामिनी के नाम ही से भेजे जाते हैं। किन्तु यदि गृह-स्वामी की पक्की जीवित न हो और उनके कोई लड़की हो तो लार्ड पर गृह-स्वामी और उनकी लड़की के नामों को छापने की चाल है। यदि गृह-स्वामी अविवाहित हुए तो कार्ड पर अकेले उन्हीं का नाम छपना चाहिए ।

निमन्त्रण के साथ यदि कोई मैत्रीपूर्ण पत्र भी लिखा जाय तो उसमें “वॉल” शब्द का प्रयोग किया जा सकता है; किन्तु कार्ड पर तो इस शब्द को कभी न छपवाना चाहिए ।

हारते ही झुँभला कर कार्ड जमीन पर पटक कर कहते हैं कि 'अब दूसरे बाजी नहीं खेलेगे।' प्रत्येक खेल के बाद वे मानो "शव-परीक्षा" करके अपने साथी से कहते हैं कि फलाँ मौके पर उसे फलाँ चाल चलनी चाहिए थी। फलाँ चाल चलने पर अवश्य जीत होती अथवा वे ऐसी-ऐसी वे सिर-पैर की बाते सुनाते हैं कि नया खिलाड़ी तो भौचका-सा होकर बड़ी भद्री-भद्री गलतियाँ करने लगता है। ऐसी परिस्थितियों में खेल का सारा मज्जा किरकिरा हो जाता है। इस प्रकार के खिलाड़ियों को चाहिए कि वे या तो खेलना छोड़ दें अथवा घर पर बैठकर आत्म-संयम करना सीखें।

---

## नाचों के प्राइवेट उत्सव

नाच के उत्सवों से शामिल होने के लिए भी निमन्त्रण “ऐट-हैम” के कार्डों ही पर भेजा जाता है। केवल कार्ड के कोने पर “नाच” शब्द छाप दिया जाता है। चाहे कितना ही बड़ा जल्सा क्यों न हो, कार्ड पर “नाच” के स्थान पर “वॉल” ( नृत्य-महोत्सव ) शब्द कभी न लिखना चाहिए। नृत्य के साथ “शीघ्र” अथवा “लघु” शब्द का प्रयोग कर देना चाहिए जिससे अतिथियों को मालूम हो जाय कि जल्सा बड़ा होगा अथवा छोटा।

निमन्त्रण गृह-स्वामिनी के नाम ही से भेजे जाते हैं। किन्तु यदि गृह-स्वामी की पक्षी जीवित न हो और उनके कोई लड़की हो तो कार्ड पर गृह-स्वामी और उनकी लड़की के नामों को छापने की चाल है। यदि गृह-स्वामी अविवाहित हुए तो कार्ड पर अकेले उन्हीं का नाम छपना चाहिए।

निमन्त्रण के साथ यदि कोई मैत्रीपूर्ण पत्र भी लिखा जाय तो उसमें “वॉल” शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, किन्तु कार्ड पर तो इस शब्द को कभी न छपवाना चाहिए।

आम तौर से निमन्त्रण के कार्ड इस प्रकार से छपे होते हैं—

श्रीमती

ऐट होम

मङ्गलवार, जून ३

कृपया सूचित  
कीजिये।

नृत्य १।। बजे  
१०००, पोर्टमैन सेस, डब्ल्यू० आर्ड०

अतिथि का नाम कार्ड के ऊपर लिखा जाता है।

वडे और महत्वपूर्ण जल्सों में मित्रों की सलाह से खियाँ उन पुरुषों को भी निमन्त्रित करती हैं जिनसे उनसे पहले कभी भी जान-पहचान न रही हो। ऐसे मामलों में कार्डों में यह भी लिखा रहता है—“अमुक श्रीमती की प्रार्थना से।” इस प्रकार से निमन्त्रित अतिथि के आने पर गृह-स्वामिनी और उनकी लड़कियाँ उनसे हाथ मिलाती हैं। इनसे मिलकर ये अतिथि उन मित्रों के पास चले जाते हैं जिनके द्वारा वे निमन्त्रित होते हैं।

नाच के मामूली जल्सों का आरम्भ विशेष महत्वपूर्ण अतिथियों द्वारा ही किया जाता है। जहाँ कहीं सम्भव होता है, गृह-स्वामिनी वडे कौशल और चतुराई से अपने अतिथियों की जान-पहचान एक दूसरे से कराती हैं। नृत्य के जल्से की सफलता का विशेष श्रेय भी उन्हीं के चातुर्य पर निर्भर रहता है।

शहरों में परस्पर जान-पहचान कराने की विशेष रीति नहीं है। क्योंकि वहाँ प्रायः सभी एक दूसरे से मिलते-जुलते रहते हैं।

शिष्टाचार यही है कि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अतिथि को गृह-स्वामी अपने साथ लेकर चलते हैं। काउण्टी ( जिले ) में जिसका जैसा स्थान रहा, उसी के क्रम से गृह-स्वासिनी अन्य अतिथियों का प्रवन्ध करती हैं। भोजन के समय जो पुरुष जिस स्त्री के पास बैठता है, उसे ही उस स्त्री को नाच-घर में अपने साथ लिवा ले जाने की विधि है। यदि वह किसी दूसरे पुरुष के साथ नाचना चाहे, तो नृत्य-गृह में अपने भोजन के साथी के साथ न जाकर उस दूसरे पुरुष के साथ जाती है।

भोज के नृत्य में किसी महिला के साथ नाचने वाले पुरुष का यह कर्तव्य है कि नाच समाप्त होते ही उक्त महिला को वह भोज-गृह में लिवा ले जाय और वहाँ मेज इत्यादि सजाकर उस स्त्री की सेवा में लग जाय। मेज पर उसे बहुत देर न लगा देनी चाहिए। क्योंकि इससे अन्य लोगों के भोजन करने में वाधा पड़ती है। कहीं भी बहुत देर तक भोजन करते रहना और विशेषतः नृत्य के जल्से में तो बहुत ही बुरी आदत है। सम्भव है कि उक्त स्त्री भी किसी अन्य पुरुष के साथ नाचने वाली हो और ऐसी स्थिति में जलपान के बाद नृत्य-गृह में उसकी उपस्थिति की आवश्यकता हो। पुरुषों को अपनी साथिनी स्त्रियों के साथ बड़ा ही नम्र व्यवहार करना चाहिए। पुरुष को यह सदा ध्यान में रखना चाहिए कि उक्त स्त्रीने उसकी सेवाओं को स्वीकार करके उसके ऊपर विशेष कृपा की है और उसे यह सोचकर अधिक से अधिक जितना सम्मान उस स्त्री के प्रति दिखला सके, प्रकट करना चाहिए। नृत्य-गृह

मेरे लौटकर उसे तब तक उस स्थी का साथ न छोड़ना चाहिए, जब तक कि वह पुरुष उसे हूँढ़ न ले जिसके साथ उसे दूसरी बार नाचना पड़ेगा। और यदि उसे स्वयं अपने साथ नाचने के लिए किसी महिला को हूँढ़ निकालना हो तो उस महिला को उसके रक्षक के पास उसके नाचने वाले साथी की प्रतीक्षा करने के लिए छोड़ देना चाहिए।

वार-बार उसी साथी के साथ नाचना ठीक नहीं। किन्तु यदि कोई पुरुष किसी महिला के साथ अपने मित्रों पर विशेष जान-पहचान प्रकट करने के लिए वार-बार एक ही महिला के साथ नाचे और उस महिला को इसमें कोई आपत्ति न हो तो वह ऐसा कर सकता है। अतिथियों को गृहस्वामिनी की लड़कियों के साथ नाचने का प्रस्ताव सन्ध्या को करना चाहिए। यह तो स्पष्ट है कि वे ग्रन्येक उपस्थित पुरुष के साथ नहीं नाच सकतीं। अतएव इसके लिए उनसे सन्ध्या को प्रस्ताव करना अधिक दुष्क्रिमानी है। यह उनके प्रति विशेष आदर-प्रदर्शन भी होगा।

प्रसिद्ध अमरीकन ढङ्ग के नृत्यों के नाचते समय हँसोडें की तरह न नाचकर एक ऐसे सभ्य पुरुष की तरह नाचना चाहिए जो अपनी सज्जिनी के मोद को बढ़ाने की चेष्टा कर रहा हो।

लन्दन मेरुत्य-महोत्सव के बाद गृहस्वामिनी से विदा माँगने को प्रथा नहीं है। किन्तु गाँवों मेरे ऐसा करना चाहिए।

गाँवों में नवम्बर मेरे फरवरी तक नृत्य का मौसम है।

## मध्याह्न के बाद और भोजन के समय के नाच

मध्याह्न के बाद के नृत्यों का जल्सा वड़े, “ऐट होमो” की तरह ही होता है। निमन्त्रण ‘ऐट होम’ के काड़ों द्वारा ही दिया जाता है। इन काड़ों पर लिखा रहता है—“नृत्य ४ से ७ बजे तक।” मकान पर पहुँचकर अतिथि कोट उतारकर सीधे नृत्यगृह में पहुँच जाते हैं।

भोज के साथ जो नृत्य के जल्से किये जाते हैं उनमें वड़ा मजा आता है। ये जल्से वहुधा व्यक्तिगत होते हैं और इनकी आयोजना अनेक महिलाओं द्वारा की जाती है। ये महिलाएँ वारी-वारी से अपने यहाँ जल्सों की आयोजना करती हैं। कभी अनेक स्त्रियाँ मिलकर चन्दे से नाच का जल्सा करती हैं। नाच के लिए किराये पर एक ‘हॉल’ (कमरा) ले लिया जाता है। भोज के बाद अतिथि गृहस्थामिनी के मकान पर जाते हैं।

भोज तो नाममात्र का और साधारण ही होता है। सभी अतिथियों की नज़रे अधिक रुचिकर प्रोग्राम की तरफ लगी रहती हैं।

नृत्य के समय साधारण खाद्य सामग्रियाँ—जैसे, चाय, कहवा, वर्फ, शर्वत, सैडविच क्षें और केके दी जाती हैं। नाच वहुत देर तक नहीं होता रहता।

क्षेंएक प्रकार की कचौड़ी जो पाव रोटी में कवाव, मछली या पनीर भरकर बनायी जाती है।

नव-युवकों को तो इन जल्सों मे बड़ा ही सुख मिलता है। लड़कियों की देख-भाल करने वाले रक्षक भी नहीं रहते और ऐसे बड़े लोग भी नहीं रहते जो शीघ्र ही सन्ध्या हो जाने की प्रतीक्षा करें। अतएव मनोहर परिस्थिति मे बड़े आनन्द से लोगों के समय कटते हैं।

साधारण वाद्य का ही प्रबन्ध किया जाता है। बड़ा सजावट इत्यादि भी करने की चाल नहीं है। अतएव ऐसे जल्सों में व्यय भी कम होता है।

इस प्रकार जल्सों मे शामिल होने के लिए अतिथियों को दो तीन सप्ताह पहले से सूचना दी जाती है जिससे वे नियत तारीख पर विना किसी रुकावट के आने का प्रबन्ध कर सकें। नियम तो यह है कि हर दो सप्ताहों के बाद ही नृत्य के जल्सों की आयोजना की जाती है। इस बीच मे गृह-स्वामिनियाँ नये-नये जोड़ों को उपस्थित करने का प्रबन्ध करती हैं।

---

## सार्वजनिक बॉल और नृत्य के जल्से

### ज़िले के बॉल

ज़िले के बॉलों और गाँव के बॉलों में भेद है। इन बॉलों में स्थियों अड़ेस-पड़ोस के मित्रों को जल्से में बुलाती हैं। जल्से की सफलता बहुत कुछ उस स्थान पर निर्भर रहती है जहाँ इनकी आयोजना की जाती है। लन्दन के लोग इन बॉलों में बहुत कम जाते हैं। जल्सा १० बजे आरम्भ होता है और अच्छे नाचने वाले भी दो बजे तक विदा हो जाते हैं।

शहर के बॉल के जल्से कुछ देर में आरम्भ होते हैं और कुछ देर बाद समाप्त होते हैं।

सार्वजनिक बॉलों के निमन्त्रण के कार्ड नृत्य के स्थान पर पहुँचने पर दिखलाने पड़ते हैं।

### सहायतार्थ किये गये बॉल-उत्सव

जो बॉल किसी संस्था की सहायतार्थ किये जाते हैं उनकी आयोजना उन स्थियों की अध्यक्षता में की जाती है जो इन मामलों में नेतृत्व ग्रहण कर सकें। बहुधा ऐसा होता है कि इस प्रकार के उत्सवों में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रभावशाली स्थियों अपने नाम से जल्सा करने की आज्ञा देती हैं।

ऐसी हालत में यह आवश्यक है कि व्यय में यदि कुछ कभी पड़ जाय तो उसकी प्रत्ति उस महिला को कर देनी चाहिए जिसकी अध्यक्षता में उत्सव किया जाय।

इन उत्सवों का प्रबन्ध करने के लिए अडोस-पडोस की स्थियाँ एकत्र होकर एक ऐसे ग्रोमाम की आयोजना करती हैं जो उनके मित्रों को रुचिकर हो।

प्रत्येक नृत्य के बाद लड़कियों को उनके रक्षकों के हाथ सुपुर्द्द करने की आवश्यकता नहीं है। जल्से के अन्त में किसी लड़की के साथ नाचने वाले पुरुष का यह कर्त्तव्य है कि वह उसे उसके रक्षक के पास पहुँचा दे। इसी रक्षक के साथ वह लड़की जल्से से विदा होती है।

### चन्दे से नृत्य की आयोजना

अच्छी ऋतु में कभी-कभी एक पार्टी के द्वारा चन्दा करके वॉल की आयोजना की जाती है। कई मित्र आपस में सलाह करके आम तौर से एक पार्टी बना लेते हैं।

क्लबों के वॉल अक्सर इसी प्रकार के होते हैं। इन जल्सों में एक दूसरे के साथ जान-पहचान कराने की विधि है।

### सुवस्त्र-वॉल-उत्सव का उद्घाटन

सुवस्त्र-वॉल-उत्सव (Fancy Dress Ball) का उद्घाटन कमेटी उस उपस्थित व्यक्ति द्वारा कराती है जिसको वह विशेष

माननीय समझकर आदर करना चाहती है। चतुर्दिक नृत्य (Square Dance), चार जोड़ो का नाच (Quadrille), घूम-घुमैया नृत्य (Waltz) अथवा लोमड़ीबत् नाच (Fox-trot) से इन जल्सों का आरम्भ किया जाता है।

### ग्रासों से चन्दे से किये गये नाच

इस प्रकार के नृत्यों की आयोजना स्थानीय सोसाइटियों द्वारा की जाती है। प्राचीन और बड़े कुदुम्बों के अध्यक्षों का नाम ही सूची के प्रमुख लोगों में लिखा जाता है। इनके बाद अन्य लोगों का नाम सूची पर चढ़ाया जाता है। इन उत्सवों में बड़ा आनन्द आता है।

### निमन्त्रण

यदि चन्दे से किये गये किसी नृत्य का जलसा किसी घर में हुआ तो निमन्त्रण 'ऐट होम' के कार्डों पर दिया जाता है। कार्ड पर कोने में लिख दिया जाता है —

चन्दे से आयोजित नृत्य,  
८ से १२ बजे रात तक ।

चन्दे से आयोजित इस प्रकार के नृत्य का भार वहुधा दोन्तीन कुदुम्ब अपने ऊपर ले लेते हैं। ये लोग अपने मित्रों में टिकटों को बाँट देते हैं।

कभी-कभी स्थियों इस प्रकार के बड़े जल्से करती हैं और कुछ टिकटो को अपने मित्रों में बेच देती हैं। नृत्य सार्वजनिक ढंग के होते हैं और इनकी आयोजना किसी बड़े मकान अथवा सार्वजनिक स्थान में की जाती है। इन्हीं मकानों के कमरों में कुछ जलपान का भी प्रवन्ध किया जाता है।

सार्वजनिक चन्दे के नृत्य की आयोजना सार्वजनिक भवनों ही में की जाती है। जो स्थियों जल्से की आयोजना के लिए कमेटी में शामिल रहती हैं, वे ही नृत्य के लिए किराये पर स्थान लेती हैं। इस प्रकार के जल्से अक्सर किसी संस्था ही की सहायतार्थ किये जाते हैं। आम तौर से टिकट बड़ी तादाद ही में बेचे जाते हैं। किन्तु ये कुटकर भी खरीदे जा सकते हैं। आम जनता अतिथि बनकर इन नृत्यों में शामिल नहीं हो सकती। किन्तु किसी मित्र के द्वारा टिकट खरीदकर नृत्य में शामिल हो जाना मुश्किल काम नहीं है।

चन्दे के नृत्यों में सार्वजनिक नृत्यों के शिष्टाचारों का ही व्यवहार होता है।

जल्से से विदा होते समय अतिथि लोग गृह-स्वामिनी से विदा नहीं लेते और न उनके लिए अपने कार्ड ही डालते हैं।

### कुछ ध्यान देने योग्य बातें

नृत्य के लिए दस दिनों और बॉल के लिए तीन सप्ताह पहले से मृचना देनी जरूरी है।

यदि वॉल किसी सार्वजनिक भवन मे हो तो कपड़े पहनने के कमरे मे पहुँचकर विदा होते समय वस्तो की खबाली करने वाले नौकर को चाँदी का एक सिक्का देना चाहिए।

सार्वजनिक वॉलो मे कारिन्दे (Steward) के आम कर्तव्यों के विषय मे लोग बहुधा गलती कर बैठते हैं। अजनबियो को यह अधिकार नहीं है कि वे कारिन्दे से यह आशा करे कि वह लोगों से उनकी जान-पहचान करता फिरेगा। कारिन्दा तो प्रभावशाली व्यक्ति होने के कारण जल्से की अध्यक्षता ग्रहण करने के लिए चुन लिये जाते हैं। जिससे उनके नाम के प्रभाव से ही जल्सा सफल हो जाय। अक्सर यह भी होता है कि कारिन्दे अनेक अतिथियों को जानते रहते हैं और उनमे आपस मे जान-पहचान भी करा सकते हैं। किन्तु यह उनका कर्तव्य नहीं है, बल्कि यह उनकी इच्छा पर निर्भर है।

सार्वजनिक वॉलो मे मित्र-गण अपनी-अपनी टोलियाँ बना लेते हैं और उन्ही मे अपने नृत्य के साथियों को ढूँढ़ लेते हैं। इस प्रकार ऐसी अनेक टोलियाँ बन जाती हैं। सार्वजनिक वॉल उन्हे कहते हैं जिनमे शामिल होने के लिए दाम देकर टिकट खरीदना पड़ता है। जो लोग टिकट बेचते या वितरण करते हैं उनका यह कर्तव्य है कि प्रत्येक उपस्थित व्यक्ति की प्रतिष्ठा की कदर करे।

अनेक ऐसे नृत्य भी हैं जिनका एक विशेष ढङ्ग होता है और जो खास-खास जातियों मे प्रचलित है। जैसे 'लान्सर्स' अक्सर

‘हृष्ट वॉलो’ मे नाचे जाते हैं और चार जोड़ो के नाच तो अब भी राजकीय वॉलो मे नाचे जाते हैं।

ग्राम के वॉलों मे लन्दन के वॉलों की अपेक्षा शिष्टाचार का विशेष खल्याल रखता जाता है।

---

## क्लब

क्लबों को लोग दिन पर दिन आवश्यक समझते जा रहे हैं। व्यवसायी मनुष्य, एकाकी और वे घर-बार के मनुष्य के लिए क्लब सुख की आवश्यक चीज़ हो गयी है।

### क्लब के सदस्य बनने के नियम

क्लब के सदस्य बनने के इच्छुकों को चाहिए कि वे पहले सेक्रेटरी को लिख कर उक्त क्लब के नियमों को मँगा ले। यदि क्लब नया हो तो इसके दो सदस्यों से मैत्री करके उनके द्वारा सदस्य बनना चाहिए। पुराने क्लबों के सदस्य बनने में केवल दो सदस्यों की साधारण जानकारी कर लेना ही पर्याप्त होता है।

मेस्वरी का फार्म भरकर और दो मित्र सदस्यों से हस्ताक्षर करा कर उसे सेक्रेटरी के पास भेज देना चाहिए। क्लब की दूसरी मीटिंग में सेक्रेटरी उस आवेदन-पत्र को कमेटी के सामने उपस्थित करेगा। निर्वाचित हो जाने पर उक्त मनुष्य के पास एक सूचना भेजो जायगी और तब उसे आवश्यक शुल्क दे देना चाहिए।

सदस्य निर्वाचित हो जाने पर क्लब के नियमों को ध्यान से पढ़ कर उन पर बड़ी कड़ाई से अमल करना चाहिए। नये सदस्य को चाहिए कि पुराने सदस्यों के साथ बड़े सम्मान से पेश आयें और सबसे सहयोग करके सार्वजनिक आनन्द को बढ़ायें।

आपस मे वर्ताव ऐसा करना चाहिए मानों एक मित्र के घर मे सभी सदस्य अतिथि बनकर निमन्त्रित किये गये हैं।

बातचीत मे दरक्कल देने मे भी लोग गलती कर वैठते हैं। यदि ड्राइवर-स्टम मे दो-तीन सदस्य वैठकर बाते करते हैं तो उसमे धुसकर फौरन् बातचीत न करने लगना चाहिए। यदि वे लोग बातचीत करना चाहेंगे तो कोई बात छेड़ देंगे। इस प्रकार बातचीत मे शामिल हो जाने का मौका मिल जायगा।

क्लब का सफल सदस्य तो वही व्यक्ति कहा जाता है जो सदा नम्र रहता है, हर मामलों मे अपनी राय देने की उत्सुकता नहीं दिखलाता और न किसी की पीठ-पीछे बुराई करता है। कायदा तो यह है कि किसी भी मनुष्य के बारे मे केवल वही बात कहिये जो आप उस व्यक्ति के मुँह पर भी कह सके।

क्लब के शृङ्खार-गृह को उसी प्रकार सजा-सजाया छोड़ना चाहिए जिस प्रकार उस गृह को स्वयं पाने की इच्छा रहती है। वहाँ ब्रुश, कह्नी और तौलिये सदस्यों के व्यवहार के लिए सफाई से रख्वे रहते हैं। सदस्यों को चाहिए कि इन चीजों के व्यवहार के बाद इनको पूर्ववत् फिर सजाकर रख दे।

क्लब के सदस्यों को किसी से उधार देने-लेने का व्यवहार न रखना चाहिए।

ताश और विलियर्ड<sup>क्लब</sup> खेलते समय खेल को समाप्त करके छोड़ना चाहिए।

---

<sup>क्लब</sup>एक प्रकार का गेंद का खेल, जो मेज पर खेला जाता है।

यदि दूसरे सदस्य रूपये उधार माँगे तो हिम्मत करके रूपये देने से इन्कार कर देना चाहिए। उधार लेनेवाले ये व्यक्ति मनुष्यों को पहचानने का अच्छा ज्ञान रखते हैं और वड़ी चतुराई से अपने शिकार को फँसाकर उससे धन ऐठते हैं। ऐसे व्यक्तियों से क्लब को मुक्त रखना चाहिए। स्वयं अच्छे आचरणों को दिखला कर अपने क्लब की प्रतिष्ठा बढ़ाने के अतिरिक्त अन्य सदस्यों की निन्दात्मक आलोचना कभी न करनी चाहिए।

क्लब के नौकरों को इनाम इत्यादि न देना चाहिए। क्लबघर के किसी प्रसिद्ध भाग—भोजनालय इत्यादि—मे एक “हॉलीडे वॉक्स” रख दिया जाता है। समय-समय पर सदस्यगण इसमे कुछ सिक्के डाल दिया करते हैं। इस तरह जो धन एकत्र होता है वह नौकरों से वरावर-वरावर वॉट दिया जाता है।

---

## नाटक में

थियेटरों में अभद्र मनुष्य अक्सर कम दाम की जगहों में ही नहीं, बल्कि थियेटर के अन्य भागों में भी देखे जाते हैं। व्यक्तिगत वाक्सों में भी अभद्र दर्शक मिलते हैं। एक बार जब एक प्रसिद्ध अभिनेत्री गा रही थी, कुछ अभद्र मनुष्य जोर-जोर से बाते कर रहे थे। ये मनुष्य वाक्सों में बैठे थे। अभिनेत्री ने भी गाना बन्द कर दिया और उस वाक्स की तरफ देखकर कहा—“कृपया एक-एक मूर्ख एक ही बार बोले !” इस प्रकार उसने उनको अच्छा भेपाया। थिएटरों में देर करके जाना जनता और अभिनेताओं के कामों में खलल डालना है। इसी प्रकार इण्टर्वल ( मध्यावकाश ) के पहले थिएटर से उठ जाना भी खराब आदत है। कन्स्टर्ट ( गायन-वाद्य ) में तो बीच में उठ जाना बहुत ही अशिष्ट समझा जाता है। क्योंकि इनमें अनेक ऐसे कला-प्रेमी मनुष्य रहते हैं जो वाक्य की प्रत्येक गति को दत्तचित्त होकर सुनते रहते हैं। गानेवालों, अभिनेताओं और अभिनेत्रियों का स्वभाव बहुत ही कोमल और कला-पूर्ण होता है। अतएव जब वे भरसक जनता के खुश करने के प्रयत्न में लगे रहते हैं, लोगों को बाते करते, आपस में लड़ते, झँसते और खलल डालते देखकर उन्हे बहुत दुःख होता है। अरुचि दिखलाना अशिष्टता है। नाटक और गान-वाद्य के व्यवसायियों को ज्ञान-सो तारीफ से भी बड़ी प्रसन्नता होती है।

थिएटरो मे भहिलाओं को साथ ले जाते समय पुरुष मोटर, टैक्सी अथवा गाड़ी मे खियों को पहले बैठा कर तब स्वयं सबसे पीछे बैठते है। थिएटर भवन मे पहुँचकर गाड़ी से पहले उतरकर खियों को उतारते हैं और किराया इत्यादि चुकाकर, जो कुछ कहना सुनना होता है, गाड़ी वाले से कहन-सुन देते हैं। गाड़ी वाले से लौट कर चलने का ठीक समय पहले से बता देना चाहिए। बाहर तो पुलिस का कड़ा प्रबन्ध रहता ही है। अतएव सड़क पर गाड़ी खड़ी करके गाड़ीवान से बात-चीत करने का मौका नहीं रहता। यदि कोई साथ मे नौकर रहा तो अधिक सुभीता रहता है। क्योंकि जो कुछ कहलाना हो गाड़ीवान को उसके द्वारा कहलाया जा सकता है।

यदि किराये की मोटर या गाड़ी मे कही जाना पडे तो ड्राइवर को बोर्ड रज्जीन स्माल देकर उसे ऊपर रखने को कह देना चाहिए। जिससे लौटते समय उसे पहचानने मे दिक्कत न उठानी पडे। वर्षा की रात मे अँधेरी सड़कों पर सवारी ढूँढ़ने मे बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। खियों भी वर्षा के दिनों मे थिएटर के बाहर बहुत देर तक ठहरना पसन्द नहीं करती।

द्वार का चपरासी कुछ इनाम पाने पर खुशी से टैक्सी बुलाने जा सकता है।

यहाँ भी जरा होशियारी की आवश्यकता है। कुछ ऐसे भी पुरुष होते हैं जो अपनी खियों की रक्षा में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि उन्हे यह एकदम भूल जाता है कि दूसरे दल की खियों के प्रति भी उनका कुछ कर्त्तव्य है। बहुत से लोग अपनी खियों को

अच्छा स्थान दिलाने की चेष्टा मे दूसरे दल की खियों को धक्के देते देखे गये हैं। अपनी खियों की रक्ता की चिन्ता करनी बड़ी अच्छी वात है। किन्तु ऐसी खियों के प्रति रुखाई मे पेश आना, जिनका कोई रक्तक न हो, अशिष्टता है।

नाटक के अङ्कों के बीच मे पुरुष सिगार और शराब पीने के निमित्त उठ जाया करते हैं। किन्तु थिएटर के गर्म वातावरण मे खियों के साथ के उन पुरुषों की बड़ी कदर होती है जो तम्बाकू की दुर्गन्ध से आस-पास की वायु को सिगरेट पीकर दूषित नहीं करते।

वार-बार आने-जाने से खियों के अतिरिक्त अन्य दर्शकों को भी बड़ी असुविधा होती है। किन्तु इसका तो बड़ा चलन है। इसी-लिए प्रत्येक थिएटर मे सिगरेट पीने के लिए एक स्थान अलग बना दिया जाता है। पर्दा उठने के कुछ पहिले दर्शकों को सूचित करने के लिए एक घरटी बजा दी जाती है।

प्राइवेट वाक्सो और थिएटर के अन्य भागो मे नौकरो द्वारा जलपान और चॉकलेट की घुमाये जाते हैं। चाय भी खूब दी जाती है। जलपान के आने पर पुरुष को चाहिए कि पहले वह खियों से पूछ ले और यदि वे इन्हे लेना पसन्द करे तो उनके दाम आदि चुकता कर दें। टिकट इत्यादि के खर्च का भी दाम पुरुष हो चुकता है। यदि खियों के पास दूरवीन इत्यादि न रही तो वह उसे भी लाकर उनको देता है।

---

क्षेत्रकार की मिठाई।

## मोटर, गाड़ी और घोड़े की सवारी हाँकना

विलायत में सड़क के बाये तरफ चलने का कायदा है। ज़राव तौर से हाँकी जाती हुई मोटर या गाड़ी से आगे निकल जाते समय वड़ी हेशियारी से दाहिने से हाँकना चाहिए। हाँकते समय हैट को जरा-सा उठाकर नमस्कार ब्रहण करना चाहिए। ठीक समय पर हाथ में चाबुक लेकर नम्रता से हैट उठाना ज़रा कठिन काम है और अभ्यास से आता है।

स्त्री के साथ सैर करते समय अब सिगरेट पीना अशिष्ट नहीं समझा जाता। यदि साथ की महिला को पहचान का आदमी मिल जाय और उससे वह बातें करने लगे तो बीच में उस स्त्री से अपरिचित पुरुष को दखल न देना चाहिए। परिचित करा दिये जाने पर बात-चीत की जा सकती है। यदि वह स्त्री परिचय करने में किसी प्रकार की हिचकिचाहट समझती है, तो धीरे से अपने मित्र को नमस्कार करके आगे बढ़ जाती है, बाते करने के लिए रुकती नहीं।

## मोटर या गाड़ी की सवारी

मोटर या गाड़ी में सवार करते समय पुरुष अपने साथ की खियों को दाहिने हाथ के सहारे से गाड़ी में बैठाते हैं। पार्टी की सवसे बड़ी स्त्री को पुरुष पहले अपने साथ ले जाकर गाड़ी या मोटर का द्रव्याज्ञा खोलकर अन्दर आराम से बैठाता है। शेष

स्थियाँ स्थयं आकर मोटर मे अपने-अपने स्थानों पर बैठ जाती हैं। यदि पानी वरसता हो तो पुरुष ही स्थियों के ऊपर छाता लगाकर साथ ले जाते हैं। दरवाजा बन्द करके स्थियों जो आज्ञा देती हैं उसे वह कोचवान या ड्राइवर को सुना देता है। यदि साथ मे पुरुष को भी चलने का हुक्म हुआ तो वह गाड़ी में पीछे की बैठक अर्थात् घोड़े की तरफ पीठ करके बैठता है। जबतक आगे की बैठक पर उसे बैठने का आदेश न मिले, उसे वहाँ कभी न बैठना चाहिए और जब तक कहा न जाय पुरुष को खिड़कियाँ खोलना अथवा बन्द करना नहीं चाहिए। सिगरेट इत्यादि वाहर फेककर तब गाड़ी मे बैठना चाहिए। याद उस महिला से खूब जान-पहचान हो तो गाड़ी मे धूम्र-पान करने के लिए उसकी आज्ञा माँगनी चाहिए। क्योंकि हि याँ फौरन धूम्रपान करने की इजाजत दे देती हैं, चाहे उससे उनको कष्ट ही क्यों न हो।

### घोड़े की सवारी

घोड़े पर चढ़कर यदि किसी घुड़-सवार स्त्री के बगल से निकलना पड़े तो चुप-चाप धीरे से उसके आगे निकल जाना चाहिए।

सदा सड़क की बाईं तरफ चलना चाहिए। पुरुष का घोड़ा स्त्री के घोड़े की दाहिनी तरफ रहता है।

यदि किसी सवारी के आगे अपने घोड़े को ले जाना हो तो दाहिनी तरफ जरा मुड़कर आगे निकल जाय और मौका पाते ही फिर सड़क के बाईं तरफ आ जाना चाहिए।

जिस पुरुष के खियों के साथ घोड़े की सवारी करने की आदत नहीं है उसे अस्तवल में जाकर घोड़े पर खियों को चढ़ाने की शिक्षा प्रहरण करनी चाहिए। यह तो बड़ा ही आसान काम है। स्त्री अपने घोड़े की जीन पर हाथ रखकर खड़ी रहती है। वह अपना बायों पैर बढ़ाकर उस पुरुष की हथेली पर रख देती है जो घोड़े पर उसे चढ़ाने आता है। स्त्री जरा-सा उछलकर घोड़े की पीठ पर सवार हो जाती है। इस उछल में पुरुष उसे कुछ ऊपर उछाल कर सहायता करता है। इसके बाद उसके पैरों को रिकाव में लगा देता है और तब सवार आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाता है।

### शिष्ट मोटर-वाहक

मोटर चलाते समय जितना हो सके उतना ही इत्यादि कम बजाना चाहिए। अड़ियल घोड़े के सवार को चलने के लिए काफी स्थान छोड़ देना चाहिए। मार्ग में यदि अन्य मोटर चलाने वाले मिलें और उन्हे कोई दिक्कत हो तो मोटर रोककर उनकी सहायता करनी चाहिए।

यदि कोई अपनी मोटर आगे निकालना चाहे तो अपनी मोटर ख़बू वार्ड तरफ करके दूसरी मोटर वाले को आगे बढ़ जाने के लिए हाथ से इशारा करना चाहिए।

इस बात को सदा ध्यान में रखना चाहिए कि जब तक हाथ से इशारा न किया जायगा पीछे मोटर हाँकने वाले यही समझेंगे

कि आगे की मोटर ठहरने या वाये-दाहिने मुड़ने की बजाय सीधी आगे को जायगी ।

जब रास्ते पर बहुत-सी गाड़ियाँ चलती हो और अपनी मोटर आगे ले जानी हो तो जब तक काफी रास्ता न मिले तब तक रुकना चाहिए । आमने-सामने आती हुई दो मोटरों के बीच से अपनी मोटर निकालकर उन दोनों को तरददुद में न डालना चाहिए । इससे आकस्मिक घटनाओं के होने का खतरा रहता है । ये दोनों मोटरे तो ठीक रास्ते पर रहेगी और उनके बीच से पड़ जाने से अपनी ही गलती सावित होगी ।

सड़को पर अपनी मोटर इस ढङ्ग से खड़ी करनी चाहिए कि अन्य मोटरों को निकलने के लिए काफी रास्ता रहे और रास्ता खोलने के लिए अपनी मोटर हटानी न पड़े ।

साइकिल पर अथवा पैदल चलने वालों के पास से धूल वाली या कीचड़ी-दार सड़क पर चलते समय मोटर की चाल धीमी कर देनी चाहिए । कीचड़ के छीटों को कोई भी नहीं पसन्द करता और धूल उड़कर पैदल चलने वालों के ऊपर पड़ सकती है ।

किसी ऐसे स्थान पर पहुँचने पर, जहाँ पेट्रोल आसानी से न मिल सके कभी भी दूसरे मित्र मोटरवालों से पेट्रोल उधार न माँगना चाहिए । इससे मैत्री में फर्क पड़ जायगा । सम्भव है, उधार देने के बाद उसे भी पेट्रोल की सख्त आवश्यकता पड़े । अतएव ऐसे मौके पर पेट्रोल माँगना अनुचित भी है ।

मोटरों में बैठने के सम्बन्ध में उन्हीं शिष्टाचारों का व्यवहार किया जाता है जो गाड़ी में बैठने के सम्बन्ध में लिखा जा चुका है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई मित्र जब बाहर जा रहे हों तो उनसे अपने को भी बैठ लेने के लिए कभी प्रार्थना न करनी चाहिए। किसी कारण-दशा आपके प्रस्ताव से उस मित्र को तरदूद भी हो सकता है।

जब किसी खराब सड़क पर मोटर जा रही हो तो पैदल यात्री कोई ऐसी हरकत न करे जिससे ड्राइवर का ध्यान मोटर के सच्चालन से हटकर उनकी तरफ लग जाय।

सदा बड़ी होशियारी से मोटर चलाना चाहिए। अपने जीवन को यदि विशेष परवा न हो तो भी दूसरों के प्राणों की प्रतिष्ठा का ध्यान तो सदा ही रखना चाहिए।

कुरालतारूपक मोटर-सच्चालन से मोटर के व्यक्तियों ही को नहीं आराम पहुँचता, वल्कि मोटर को रक्षा में भी बड़ी सहायता मिलती है। बड़े देंग से मोटर ढौड़ाकर अचानक ब्रेक से उसे रोकने से मोटर के सवारों को तो धक्का पहुँचता ही है मोटर के टायर भी खराब हो जाते हैं और मरीन पर भी बुरा असर पड़ता है।

मोटर के अच्छे वाहक जल्दीजी नहीं करते, वल्कि सारा काम बड़ी सकारात्मक रूप से करते हैं। एक चाल ने चलकर मोटर करीव-करीव उननी ही देर से अपने नियत न्यान पर पहुँचती है जितनी देर ने देंग से चलने वाली मोटर ऊँचे-खाले कूदते-फॉडने पहुँचती है।

मोटर-सञ्चालन मे खूब निपुण होने पर भी ख़तरे को अपने सिर न बुलाना चाहिए। सम्भव है, मार्ग मे मिलने वाले मोटर के अन्य सञ्चालक उतने निपुण न हों और वैसी करामातें न दिखा सकें जिनकी उनसे आप आशा करते हैं। ऐसी दशा मे आकस्मिक घटनाएँ अनिवार्य हो जाया करती हैं।

सड़क के सम्बन्ध में बनाये गये नियमों को पढ़कर उनका व्यवहार करना चाहिए।

- - - - -

## मैदान के खेल-सम्बन्धी शिष्टाचार

जिस समाज मे किसी पुरुष को रहना पड़े, उसे उस समाज के रहन-सहन से खूब अभिज्ञ हो जाना चाहिए। शिष्ट पुरुष को बन्दूक, गॉल्फ के डर्बे, टेनिस के रेकेट, डॉड़, बल्ले और छोटे-मोटे अन्य खेलों के औजारों को व्यवहार मे लाने की जानकारी आवश्य रखनी चाहिए। इस प्रकार पुरुष छोटी-बड़ी अनेकों कठि-नाइयों का अनायास ही सामना कर लेता है। बाक्सिङ (घूसेबाजी की कला) को भी न भूलना चाहिए। हम लोग उस युग मे तो रहते ही नहीं, जब लोग अपनी वीरता को सिद्ध करने के लिए ज्ञरा-ज्ञरा-सो घातों पर पिस्तौल लेकर युद्ध कर बैठते थे। किन्तु आत्म-रक्षा की कला का ज्ञान होना तो अत्यन्त आवश्यक है।

खेल-कूद मे रुचि रखने से बढ़कर मनुष्यों के स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए अन्य साधन नहीं हैं। खेल ही के लिए अँग्रेज़ लोग सारे संसार मे प्रसिद्ध हो गये हैं।

### क्रिकेट (गेंद-बल्ला)

क्रिकेट-सम्बन्धी शिष्टाचारों से तो खिलाड़ियों ही को जानकारों प्राप्त करने की आवश्यकता पड़ती है। किन्तु अक्सर सर्वसाधारण को भी क्रिकेट के खिलाड़ियों से व्यवहार करने की आवश्यकता

पड़ती है, अतएव कुछ थोड़े-से नियेधों से अवगत हो जाना बुरा न होगा।

चिकेटक्षि के बीच में न दौड़कर अगल-नगल से दौड़ना चाहिए।

खेल खेलते समय अपने साथी से गेंद मारने के लिए आवाजें न कसना चाहिए। गेंद पर हिट लगाना उसका काम है।

यदि अपना साथी बहुत पास तक दौड़ आवे और यदि उसके लौटने से उसके आउट हो जाने की सम्भावना हो तो उसे लौटाना न चाहिए, बल्कि स्वयं उसके स्थान की तरफ दौड़कर आउट हो जाने के ख़तरे का सामना करना चाहिए।

गेंद को ख़राब तरीके से मारकर और अपनी वैट से ज़मीन को पीटकर दर्शकों पर यह न सूचित करना चाहिए कि अपने मारने में नहीं, बरन् ज़मीन के दोष ही से हिट अच्छी न लग सकी। इससे ज़मीन को तैयार करने वाले के दिल पर चोट लगती है। यह ध्यान रखना चाहिए कि वह भी मनुष्य है, अपना भाई है और शायद खेल का निर्णायक भी है।

पहली गेंद पाकर यह न कहना चाहिए कि —

( क ) अच्छा गेंद था या

( ख ) बुरा गेंद था।

\* गेंद-बल्ले की लकड़ियाँ जिस पर लद्द्य करके गेंद मारते हैं।

यह कहकर अपनी बड़ाई हाँकने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए कि अन्य अवसरों पर मैंने बहुत अधिक रन (दौड़) किये थे।

विजय प्राप्त करने पर यह कहकर कि जिस गेद से दूसरा दल हार गया है उसको किस प्रकार खेलकर वाज़ी जीती जा सकती थी, दूसरों के दिल पर चेट न करनी चाहिए।

यदि आप किसी दल के कप्तान हों तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि पहले खेल में जो आउट नहीं हो सके और जिन्हे अपना कौशल दिखाने का पूरा अवसर नहीं मिला, दूसरे खेल में उन्हे सबसे पहले खेलने जाने का स्वाभाविक अधिकार है।

सिद्धान्त की बात जाने दीजिये; किन्तु यह सदा ध्यान में रखना चाहिए कि किसी दल को दिन भर पढ़ाने से मैत्रीपूर्ण क्रिकेट का खेल असम्भव हो जाता है।

### दर्शकों के ध्यान देने योग्य बातें

गेद फेकने वाले के पीछे से कभी न निकलना चाहिए। इससे बैट पकड़ने वाले का ध्यान वॅट सकता है।

दोषों को हृँढ़ने में ज़रा कम निपुणता दिखलानी चाहिए। अजनवियों को तो कभी भी निन्दात्मक आलोचना न करनी चाहिए।

### गॉल्फ

गॉल्फ के शिष्टाचार तो अत्यन्त सरल हैं। इस खेल के नियम इत्यादि इस द्वारा से बनाये गये हैं कि खेलने वालों को कम से कम बठिनाइयों का सामना करना पड़े।

ध्यान देने योग्य मुख्य बात यह है कि गेंद मारते समय शोर-गुल न हो। खेलने वाला जब गेंद पर निशाना लगाने के लिए अपनी छड़ी घुमाता रहे, तब उभय पक्ष के लोगों को चुप-चाप उसके अगल-बगल खड़े होजाना चाहिए। उसके पीछे खड़े होने से सम्भव है, खेलने वाले का दृष्टि पीछे वाले लोगों पर पड़े और इस प्रकार उसका ध्यान बँट जाय तथा वह गेंद पर अच्छा निशाना न लगा सके। गॉल्क का प्रत्येक खिलाड़ी यह जानता है कि गेंद पर नज़र रखना परमावश्यक है और थोड़ी-सी बात-चीत से भी ध्यान बँट जाने से उसका निशाना ख़राब हो सकता है। प्रत्येक उपस्थित व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह स्वयं चुप रहे और अपने छड़ी लेने वाले नौकरों को भी खामोश रखें।

जो व्यक्ति गड्ढे (Dip) में पहले गेंद डालने में सफल होता है उसी को टीले से गेंद उछालने का प्रथम सम्मान मिलता है।

टोले से गेंद मारने के बाद गड्ढे से जिसकी गेंद अधिक दूर जाती है उसी को मैदान में पहले गेंद पर निशाना लगाने का अधिकार हाता है।

यदि गेंद खो जाय तो उसको हूँढ़ते समय दूसरे खिलाड़ियों को अटका न रखना चाहिए। उन्हे खेलते रहने का इशारा कर देना चाहिए। दूसरे लोग जब खेलते रहे तो विना उनकी आज्ञा उनके बोच में स्वयं न खेलने लगना चाहिए।

खेलते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मैदान की घास बरबाद न होने पाये। वहुधा लोग गड्ढे के चारों तरफ की बराबर कटी घास पर गड्ढे इत्यादि बना देते हैं। इससे बाद मे खेलने वाले खिलाड़ियों को असुविधा होती है।

छड़ी के सिरे से जो घास कट जाय, उसे वही पर पीटकर छोड़ देना चाहिए। गेंद मे निशाना लगाते समय घास नुच ही जाती है और नये खिलाड़ी तो बिना गेंद मे निशाना लगाये ही बहुत सी घास नोच डालते हैं। यदि नोची गई घास ठीक तौर से उस स्थान पर रख कर पीट न दी जायगी तो धीरे-धीरे सारी घास खराब हो जायगी।

खेल के आरन्ध मे गेंद मे जो पहले निशाना लगाता है उसके निशाने पर दर्शकों की खूब टीका-टिप्पणी होती है। इन टिप्पणियों से नये खिलाड़ी तो एकदम घबड़ा जाते हैं। उनके बेटब्बे खेल से अन्य अच्छे खिलाड़ियों के आनन्द मे बाधा भी पड़ती है। अतएव नये खिलाड़ियों को उन दिनों खेलने के लिए मैदान में उतरना चाहिए जब बहुत से खिलाड़ियों के आने की सम्भावना कम हो।

अन्य खेलों की तरह गॉल्फ में भी बहुत दिखावा करना खेल के शिष्टाचारों के विरुद्ध है। नये खिलाड़ी को छड़ियों से भरे भोरे को लेकर मैदान में न उतरना चाहिए। उसके लिए तो चार-पाँच छड़ियाँ ही काफी हैं।

खेल मे तरदूद को दूर करने के लिए यह जान लेने की चेष्टा करनी चाहिए कि खेल के सम्बन्ध में कोई स्थानीय पृथक् नियम तो नहीं है।

निम्न बाते खूब ध्यान में रखनी चाहिए :—

जब तक मैदान के खिलाड़ी दूसरी बार निशाने लगाकर अपनी हड्डे से बाहर न चले जायें, टीले से गेंद न उछालनी चाहिए।

डिप ( गड्ढे ) मे स्वयं तब तक गेंद डालने का प्रयत्न न करना चाहिए जब तक पहले के खिलाड़ी ऐसा करके अलग न हो जायें।

दूसरे लोग जब प्रतीक्षा करते रहे तो डिप पर गेंद के निशाने के सम्बन्ध मे बहस न करने लगना चाहिए।

गेंद मारने वाले साथी का ध्यान बँटाने के लिए कोई भी कार्य न करना चाहिए। खिलाड़ी की पहुँच से दूर खड़ा होना चाहिए।

साथी खिलाड़ी की आव्वा के बिना, जहाँ गेंद पड़ी हो, वहाँ से उसे हटाना न चाहिए।

यदि भोरे उठाने वाले नौकर न हों तो पुरुष-खिलाड़ी को खी-खिलाड़ी के भोरे लेकर उसकी सहायता करनी चाहिए।

जो खिलाड़ी न हों, उन्हे गॉल्क के मैदान मे चलकर खिलाड़ियों के खेल में अड़चन न डालनी चाहिए। डिप के पास की धास को ठीक रखने मे बहुत खर्च पड़ता है। उस पर चलकर उसे नष्ट न करना चाहिए। गेंद में जब निशाना लगाया जा रहा हो तब सामने से हट जाना चाहिए, नहीं तो चोट लगने का भय रहता है।

## क्रोकेट✽

इस प्राचीन खेल को लोग नापसन्द करने लगे थे । किन्तु हाल में लोग इसे फिर पसन्द करने लगे हैं । गार्डन-पार्टियो में तो इसका चड़ा चलन है । यद्यपि यह खेल बहुत ही आसान है; तथापि इसमें भी नम्रता और आत्म-संयम की वड़ी आवश्यकता पड़ती है । ज्यान देने योग्य वाते ये हैं कि स्वयं खेल में लगे रहने पर भी अपने साधी की हर प्रकार से सहायता करते रहना चाहिए ।

## टेनिस

टेनिस के मैदान में भी दूसरों के प्रति सदृश्यवहार का सदा ध्यान रखना चाहिए ।

टेनिस पार्टी में निमन्त्रित होने पर मैदान में जाते ही अपनी आतिथेया से मिलना चाहिए । ये वाहा ही मे उपस्थित मिलेगी । आतिथेया की लड़की अथवा लड़का खिलाड़ियों की पार्टी बनाने में लगे रहते हैं ।

जो खी आपकी खेल की साधिनी चुनी जाय, उसके प्रति खूब सम्मान दिखलाना चाहिए । इससे उसके आनन्द में घृद्धि हो सकती है, और आपका भी आगत-स्वागत विशेष रूप मे किया जा सकता है । अपने साधी के चारुर्य अथवा अपने विपक्षी की

कुण्डक प्रकार का लकड़ी के गंद का खेल ।

कमज़ोरी से अनुचित लाभ न उठाना चाहिए। खेल के अन्त में अपने साथी और विपक्षियों को खेल में आनन्द देने के लिए धन्यवाद देने से भूल न करनी चाहिए।

खेलते अथवा देखते समय लोगों को सुनान्सुना कर टीकाटिप्पणी न करनी चाहिए।

यदि दूसरे लोग खेल की प्रतीक्षा करते हों तो एक खेल खत्म होजाने पर दूसरा खेल न आरम्भ करना चाहिए। इब में सब से बढ़िया कोर्ट (टेनिसन्मैदान) पर स्वयं न दख़ल जमा लेना चाहिए।

अच्छे खिलाड़ियों को कमज़ोर खिलाड़ियों के साथ भी खेलकर उनका उत्साह बढ़ाते रहना चाहिए।

### स्केटिङ्ग या वर्फ पर फिसलना

स्केटिङ्ग में शिष्टाचार के नियमों का बड़ी कड़ाई से पालन किया जाता है। इस खेल में अपने करतव बहुत न दिखाना चाहिए। खूब निपुण खिलाड़ी होने पर भी फिसलते समय बड़े जोरों से न फिसल पड़ना चाहिए। विशेषतः उस समय जब यह खेल एक स्त्री के साथ खेला जाता हो। साथ की स्त्री का मोद बढ़ाना पुरुष का कर्तव्य है।

अपने पैरों में स्केटोंझ को बाँधने के पूर्व पुरुषों को अपने हाथ से छियों के पैरों में स्केट बाँधने चाहिए। वर्फ पर बड़ी होशि-

झ एक प्रकार का पहियेदार खड़ाऊँ, जिसे पैरों में बाँधकर चिकनी सतह या वर्फ पर फिसलने का खेल खेला जाता है।

यारी से स्त्रों की सहायता करनी चाहिए, विशेषतः यदि स्त्री नयी खिलाड़िनी हो।

गाँवों में तो अड़ोस-पड़ोस के सभी लोग पार्टी बनाकर वर्फ पर स्केटिङ के लिए जाते हैं। कभी-कभी वर्फ के मैदान के समीप रहने वाले लोग जल-पान का प्रबन्ध करके मित्रों को स्केटिङ के लिए निमन्त्रण भेजते हैं। इस प्रकार के निमन्त्रण मामूली ढङ्ग से दिये जाते हैं। किन्तु यदि व्यक्तिगत गृहों में आइस कार्निवल (वर्फ पर फिसलने का बड़ा जल्सा) हुआ तो बाक्कायदा 'ऐट होम' कार्डों पर इस प्रकार छपाकर निमन्त्रण दिया जाता है—

### आइस कार्निवल

९ बजे से १२ बजे रात तक

इस जल्से में नृत्य की तरह खाने-पीने का भी प्रबन्ध किया जाता है।

खेलने वालों के लिए स्केटों को खेलनेन्वार्धने के लिए एक पृथक् कमरे का प्रबन्ध करना चाहिए।

शिकार और निशानेवाजी के शिष्टाचारों का वर्णन गाँवों को सैर में किया गया है।

---

## यॉटिङ्ग या छोटे जहाज़ पर समुद्र की सैर

समुद्र के किनारे यॉटक्स पर सवार होकर सैर करने जाने में बड़ा आनन्द मिलता है। आतिथेय एक यॉट का प्रबन्ध करते हैं। समुद्र के किनारे अथवा यॉट ही पर वे खाने-पीने का प्रबन्ध करते हैं। साथ में एक गरम कोट ले लेना चाहिए। इससे लाभ हो सकता है। शायद अपने साथ की छोटी के बैठने के निमित्त सूखे स्थान की आवश्यकता पड़े अथवा लौटते समय मौसम खराब हो जाय और गर्म कोट की ज़रूरत पड़े। अक्सर पिकनिकों का भोजन तो लोग किनारे ही ले लेते हैं। जहाज़ पर केवल हल्का-सा भोजन लिया जाता है। इस अवसर पर गानवाद्य अथवा ताश भी होता है।

इन जल्सों में उपस्थित पुरुष-नारण बियो की अभ्यर्थना करते हैं। जब तक सर्गाई की वात पक्की न हो गई हो या चल न रही हो तब तक किसी एक छोटी के प्रति विशेष ध्यान देना किसी पुरुष के लिए अच्छा नहीं समझा जाता।

किनारे उतर कर ठीक समय पर जहाज़ पर लौट आने का ध्यान रखना चाहिए। यॉट में कोयला बहुत नहीं रहता। अतएव वह देर तक खड़ा नहीं रखा जा सकता।

---

क्लॉक्सन से पानी में चलनेवाली छोटी जहाज़।

एक प्रकार की गोंठ जो शहर के बाहर मित्रों को दी जाती है।

मामूली जूते पहनकर यॉट मे जाना अक्षम्य अपराध है। इनसे डेक की पालिश ख़राब हो जाती है और कड़ी एँड़ी और तल्लो की रगड़ से डेक का सुन्दर मैदान जहाँतहाँ छिल जा सकता है। ऐसे अवसरों पर केवल रबड़ के जूते काम में लाये जाते हैं।

शहर मे लौटकर पुरुषनारण स्थियों को उनके मकानों पर पहुँचा आते हैं।

### यॉट पर मित्रों से भेट-मुलाकात

यदि मित्रनारण अपना यॉट किसी बन्दर में ठहरावे तो भरडे को देखकर तुरन्त उनसे मिलने जाना चाहिए। यदि भरडा गिरा हो तो समझ लेना चाहिए कि जहाज के लोग किनारे उतर गये हैं और उनसे यॉट पर मुलाकात का कोई नियत समय नहीं है। क्योंकि यॉट के ठहरने का समय अनिश्चित रहता है।

अजनवियों को जहाज के उस भाग में न जाना चाहिए, जिसमें जहाज चलाने वाले रहते हैं।



## शृङ्खार के सम्बन्ध में कुछ बातें

सामाजिक जीवन में सफलता प्राप्त करने वाले पुरुष को अपने शरीर के शृङ्खार के सम्बन्ध में भी कुछ कष्ट उठाना चाहिए।

बाल, दाँत और नाखून तो छी और पुरुष दांतों ही के होते हैं। इनके सम्बन्ध में निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए :—

बालों को खूब देर तक अथवा ज्ओर से ब्रुश न करना चाहिए। इससे बाल जल्द भड़ जाते हैं।

नाखूनों से मैल साफ करने के लिए उनको खरोचना नहीं बल्कि ब्रुश करना चाहिए। हर हफ्ते उन्हे रेत देना चाहिए, काटना न चाहिए।

आज-कल दाँतों को साफ रखना परमावश्यक है। कुछ महीनों के बाद अपने दाँतों को किसी दन्त-विशेषज्ञ को बराबर दिखला देना चाहिए।

कहा जाता है कि महान् सिकन्दर दाढ़ी पकड़कर गिरफ्तार किये जाने के भय से अपने सैनिकों की रक्ता के लिए उनकी दाढ़ियाँ बनवा देता था। प्लैटाजेनेट्स और स्टुअर्ट घराने के बादशाहों के जमाने से बालों की सजावट पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा है। यह विलक्षण बात है कि बालों को एकदम घुटा देने के सम्बन्ध

में धार्मिक नियम बनाये गये हैं। प्योरिटिनोज्जे के जमाने से इस सम्बन्ध में बहुत कुछ परिवर्तन हो गया है।

यात्रा करने वाले पुरुषों को बाल इत्यादि साफ करने के सम्बन्ध में स्वयं खूब होशियार रहना चाहिए। कारण कि वहुतेरे स्थानों में अच्छे नाई नहीं मिलते और दूसरे यह कि मामूली बाल बनाने के लिए लोग (खास कर अमरीका और कनाडा में) बहुत दाम माँगते हैं।

आज-कल सेफ्टी रेजरो से तो बाल बनाने का काम बहुत आसान हो गया है। बाल प्रतिदिन प्रात काल बनाना चाहिए।

## पिकनिक और नदी के सैर की पार्टीयाँ

पिकनिक ( मैदान की पार्टीयाँ ) भी गार्डन पार्टीयों की तरह अच्छे मौसम पर निर्भर रहती हैं। सुहावने दिन में किसी मशहूर स्थान में भले लोगों के साथ पिकनिक के लिए जाने में बहुत कम लोग आत्म-संवरण कर सकते हैं।

खाद्य और चाय की सामग्रियाँ लेकर मोटर-द्वारा यात्रा की जा सकती है। ऐसे अवसरों पर पार्टी के सभी लोग खाने-पीने में सङ्कोच त्याग देते हैं।

सबसे अच्छा प्रबन्ध यह है कि एक मोटर पर नव-युवक और दूसरी में वृद्ध जन नियत स्थान पर पहुँचते हैं। नव-युवक पहले से पहुँचकर सब ठीक कर रखते हैं। इस ठीक-ठाक करने ही में नव-युवकों और युवतियों को आनन्द में मग्न होने के अनेकों अवसर मिल जाते हैं। ऐसे अवसरों पर बड़े शानदार भोज के प्रबन्ध की आशा ही नहीं की जा सकती। बढ़िया खाद्य सामग्रियों का तो प्रबन्ध किया ही जाता है।

पिकनिक सामाजिक जल्सों में सबसे अधिक आनन्द-दायक उत्सव है।

ऐसी पार्टीयों में खाद्य पदार्थ के पिटारे जाते हैं और यदि आतिथेया विशेष धनी हुईं तो नौकरों के द्वारा भोजन परोसा जाता है।

पार्टी के सदस्यों की सहायता से अत्यन्त सुस्वादु भोजन परोसा जाता है।

सैनिक अफसरों द्वारा आयोजित पिकनिक पार्टीयों में बड़ा आनन्द आता है। रेजीमेंट की मोटरे अतिथियों को नियत स्थान पर पहुँचाने के अतिरिक्त वहाँ से लौटा कर स्टेशन पर भी उन्हे उतार आती हैं। रेजीमेंट द्वारा ही निमन्त्रण भेजा जाता है।

## नदी में विहार करने वाली पार्टीयाँ

नदी में नाव पर जिन पार्टीयों की आयोजना की जाती है वहाँ भी खाने-पीने में बड़ा मज्जा आता है। कागज की तश्तरियों को व्यवहार में लाने के बाद उन्हे तैरने के लिए जल में न फेंक देना चाहिए। इससे अन्य बोट वालों को बुरा लगता है।

नदी की पार्टीयों में नवागतों को निम्न नियम सदा ध्यान में रखना चाहिए—

वहाव के साथ आते समय धारा के बीच में रहना चाहिए।

वहाव के विरुद्ध नाव ले जाते समय किनारे के, जितना हो सके, उतना पास रहना चाहिए।

पीछे आने वाली दूसरी नावें जो अगली नाव के आगे निकल जाता चाहे उनको नाव छुमाकर आगे ले जानी चाहिए। उस किनारे को न पकड़ना चाहिए जिस पर होकर अगली नाव जा रही है।

मछली पकड़ते समय किसी अन्य शिकारी को तरददुद में न डालना चाहिए। अपना काँटा दूसरे शिकारियों के काँटे से अलग फेंकना चाहिए।

स्टीमर तो अपने आप ही ध्यान खांच लेते हैं। किन्तु तब भी उसके मार्ग से दूर रहने की फ़िक्र करना चाहिए।

तझ स्थानों पर पहुँचने पर अगली नावों के आगे अपनी नाव निकालने की चेष्टा न करनी चाहिए। इसमें खतरा भी है और यह कार्य शिष्टाचार के विरुद्ध भी है। नावे निकालने और खेने में पुरुषों को सदा स्त्रियों की सहायता करनी चाहिए।

---

## गार्डन पार्टीयाँ (उद्यान-भोज)

इन्हें इन्हें मौसम अक्सर ख़राब रहता है। अतएव गार्डन पार्टीयों के लिए बहुत कम अक्सर मिलता है। यदि दिन अच्छा रहा तो गार्डन पार्टीयों में बड़ा ही आनन्द आता है।

गार्डन पार्टी में मकान के भेजें की अपेक्षा अधिक मित्र निमन्त्रित किये जा सकते हैं। मैदान में जगह बहुत रहती है और अतिथियों को बैठाने का बहुत अच्छा प्रबन्ध किया जा सकता है। गार्डन पार्टीयों में आतिथेया की आवश्यकता नहीं होती। एक पुरुष अपने नाम से भी निमन्त्रण दे सकते हैं। किन्तु अक्सर आतिथेया रहती ही है।

निमन्त्रण-पत्र में “एट होम” के स्थान पर गार्डन पार्टी लिखा रहता है। तीन सप्ताह पहले से निमन्त्रण भेजना चाहिए। यदि भोज में टेनिस के खेल का भी प्रबन्ध किया गया हो तो कार्ड पर उसका भी ज़िक्र रहना आवश्यक है। यदि बड़ी गार्डन पार्टी हो तो जिसके साथ खेलना हो उसका भी नाम कार्ड पर लिख देना चाहिए।

यदि मैदान बड़ा न हो तो खाद्य सामग्रियों को बाग के दरवाजे के पास के किसी क्षमरे में रखने का प्रबन्ध करना चाहिए। गाँव में तो लोग अपने बाग में फूले हुए मौसम के अच्छे-अच्छे फूलों

की प्रदर्शनी के लिए गार्डन पार्टीयां देते हैं। आतिथेय और आतिथेया दोनों को अपने सुन्दर फूल दिखलाने की रुचि रहती है।

बड़ी गार्डन पार्टीयों में बैरेंड का प्रवन्ध अवश्य किया जाता है और यदि कटी वास के अच्छे और बड़े मैदान मिल सकें तो नृत्य का भी प्रवन्ध किया जाता है।

ऐसे अवसरों पर टेनिस, गॉल्फ और क्रोकेट खेलने का नियम है।

पानो बरसने पर 'गार्डन पार्टी' 'एट होम' पार्टी में। आप से आप परिणत हो जाती है। ऐसे ही अवसर आतिथेया के चारुर्य की परीक्षा के हैं। आकस्मिक वर्षा के लिए कमरे में खेल कूद और आमोद-प्रमोद के साधनों का प्रवन्ध कर रखना चाहिए।

गार्डन पार्टीयों का समय ३॥ या ४ बजे से ७ बजे शाम तक है।

मित्रों के साथ यदि अजनबी आवे तो उनको आतिथेय और आतिथेया से परिचित करा देना चाहिए।

यदि सम्भव हो तो चलते समय अतिथियों के गृह-स्वामिनी से मिल लेना चाहिए। यदि वे जल्दी में मिल न सकें तो उनकी बहुत खोज करने की आवश्यकता नहीं है।

मित्रों की मोटरों और गाड़ियों के ठहराने के जिए भी एक स्थान नियत कर देना चाहिए। उनके नौकरों और शोकरों के लिए भोकुछ जल-पान का प्रवन्ध कर देना चाहिए।

## सगाई

पुराना नियम तो यह था कि नवयुवक लड़की के पिता से आज्ञा लेकर उससे शादी का प्रस्ताव करते थे। पर अब यह नियम लुम हो गया है। कुदुम्बियों की विरुद्ध राय के होते हुए भी किसी लड़की से शादी का प्रस्ताव करना तो आजकल भी सम्मान के खिलाफ समझा जाता है। छिपी हुई कोर्टशिप (गांधर्वनविधान) भी आजकल के विरुद्ध समझा जाता है। यदि लड़की कपूर में हो और उसे अपना उद्धार करने के लिए किसी पुरुष की सहायता की आवश्यकता हो तो गांधर्वनविधान का भी उपयोग किया जा सकता है। अपनी प्रेयसी से विवाह का प्रस्ताव स्वयं करना चाहिए। वहुतेरे लोगों को प्रस्ताव करने की हिम्मत नहीं रहती और वे पत्रद्वारा प्रस्ताव करते हैं। पहला तरीका दूसरे तरीके में अधिक उत्तम है। लड़की जब प्रस्ताव मंजूर करले, तब उस भान्यशाली युवक को फौरन् उसके पिता अथवा कुदुम्ब के किसी उत्तरदायी व्यक्ति से मिलकर सगाई स्वीकार करने को प्रार्थना करनी चाहिए। यदि स्वीकृति मिल जाय तब तो कोई वात हो नहीं, किन्तु यदि उनकी सम्मति न हो तो उन्हीं के निर्णय को मान लेना चाहिए। किसी लड़की को उसके कुदुम्बियों की आज्ञा के विरुद्ध विवाह के लिए प्रतिज्ञावद्वा करा लेना उस लड़की को

गलत स्थिति मे डालना है। कुदुम्बियो के निर्णय के चुपचाप मान लेने से उसका तीव्र विरोध करने की अपेक्षा उस निर्णय मे बहुधा परिवर्तन हो जाता है।। नवयुवकों के लिए सब्र करना तो अवश्य ही मुश्किल है। किन्तु यदि उनमे जरा भी सब्र रहा तो उनको इस कहावत की सच्चाई मे विश्वास हो जायगा कि 'सब्र का फल मीठा होता है'।

सगाई ठीक होने पर युवक अपनी प्रेमिका को एक अँगूठी देता है। इसे सगाई की अँगूठी कहते है। यह उपहार जितना मूल्यवान हो सके, उतना ही अच्छा। सगाई भज्ञ हो जाने पर अन्य उपहारों और चिट्ठी-पत्रियों के साथ यह अँगूठी भी लौटा देने का नियम है।

जिस पुरुष की सगाई हो जाय उसे दिन मे अवकाश का विशेष भाग अपनी प्रेमिका के साथ ही विताना चाहिए। विना उसकी आज्ञा लिये विदेश मे सैर के लिए न जाना चाहिए। ऐसा करना उस लड़की के पक्ष में बहुत खराब होता है। एक बार यह खबर सुनकर कि फलाँ-फलाँ युवक और युवती मे शादी होने वाली है और दूसरी बार यह सुनकर कि उक्त युवक संसार-भ्रमण के लिए जा रहा है, समाज को ठट्ठा करने का काफी सामान मिल जाता है। इसका सर्वदा यही मतलब होता है कि उक्त पुरुष किसी प्रकार इस भ्रमे मे पड़ गया था, अब सम्मान के साथ इससे बाहर हो जाना चाहता है। ऐसी घटनाएँ अक्सर होती हैं। इन मामलो मे लड़को की माँ का उत्तरदायित्व अधिक रहता है। कभी-

कभी चतुर लड़कियों वडी दुद्धिमानी से युवकों को अपने वश में करके अपने विवाह की पक्षी सगाई की घोपणा करवा देती हैं। वहस, उस युवक के लिए निकल जाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है।

कभी-कभी लड़की किसी पुरुष से वेतरह प्रेम करने लगती है। इससे पुरुष इस कदर रोमाञ्चित-सा हो जाता है कि सच्चे प्रेम के अभाव में भी वह उस लड़की के शारीरिक सौन्दर्य पर मुख्य हो कर यही समझता है कि वह उस लड़की से प्रेम करता है। ऐसी हालत में यदि लड़की के कहने से उन दोनों का विवाह हो गया तो इस विवाह में सुख नहीं मिलता। पत्नी को यह कभी विश्वास नहीं होता कि उसका पति उससे प्रेम करता है। अथवा यदि वह स्वतन्त्र होता तो विवाह के लिए उसे ही चुनता। वह तो यही समझती है कि इस पुरुष को मैंने चुना है, मुझे इसने नहीं चुना। इन विचारों से उसे जो डाह होती है वह उसे ही नहीं जलाकर उसका जीवन दुःखपूर्ण बनाती, बल्कि पति को भी वडी सङ्कटमय परिस्थिति में डाल देती है। वाद को जब कोई चारा नहीं रह जाता तो पुरुष को भी मालूम पड़ जाता है कि उसकी पत्नी उसके आदर्शों के नितान्त प्रतिकूल है। वह समझने लगता है कि यदि वह उस लड़की के फेर में न पड़ जाता तो जिस लड़की को अपने पत्नीत्व के लिए चुनता, वह उक्त लड़की से एकदम भिन्न होती। वह अक्सर यह भी सोचता है कि कौन जाने यह मेरी ही तरह किसी अन्य पुरुष से भी तीव्र प्रेम न करने लग जाय। वह सोचता है

कि तोब्र अभि जल्द तुम्ह जाती है। किसी पुरुष को किसी लड़की से विवाह का वादा बहुत दिनों तक न रख छोड़ना चाहिए। जब तक खाने-पीने का ठिकाना न हो जाय, अथवा जल्द ही होने की आशा न हो जाय, किसी लड़की से विवाह का प्रस्ताव न करना चाहिए। युवक प्रेमी धन और आराम को अनावश्यक समझ सकते हैं। कम से कम उसे वे अपने प्रेम की तुलना में तो बहुत ही हेय समझते हैं। उस समय लड़की के भी विचार ऐसे ही हो सकते हैं। किन्तु पुरुष को परिपक्व विचारों का होना चाहिए। उसे याद रखना चाहिए कि दरिद्रता प्रेम को भी नष्ट कर देती है।

घर में लगाये गये अभियोग को सहन करना बड़ा ही कठिन है। और तब भी संसार के आदि से कितनी ख्यालों ने अपने पतियों से कहा है—“हाय! मैंने क्यों तुमसे विवाह किया? मैं क्वाँरी ही क्यों न रही?”

अथवा कितने पुरुषों ने अपनी वीवियों से कहा है—“हाँ, तुम तो मुझ से विवाह करने के लिए तुली थी, अब मेरा उचित व्यवहार करो।”

---

## विवाह

विलायत में विवाह तब तक जायज्ञ नहीं माना जाता जब तक निम्न प्रकारों से उनके सम्बन्ध में कार्रवाइयाँ नहीं कर ली जाती ।—

## विवाह की घोषणा

विवाह के पहले तीन रविवारों तक, जिनका विवाह होने वाला हो उन्हे अपने गिर्जे में विवाह की घोषणा करनी चाहिए । यदि दस्पति भिन्न-भिन्न गिर्जे के हो तो दोनों गिर्जों से घोषणा की जानी चाहिए ।

घोषणा के तीन महीने के भोतर विवाह हो जाना चाहिए । नहीं तो फिर से घोषणा करानी पड़ेगी ।

घोषणा किये जाने की नियत अवधि के कम से कम सात दिन पहले अपना नाम और पूरा पता गिर्जे के अधिकारी को लिखकर देना चाहिए ।

विवाह गिर्जे में होता है । पाढ़री के अतिरिक्त दो अधवा दो से अधिक परिचित सज्जनों की उपस्थिति में ८ बजे प्रातः से ३ बजे सन्ध्या तक किसी समय हो जाना चाहिए ।

## गिर्जे के लाइसेन्स

लाइसेन्स दो प्रकार के होते हैं—साधारण और विशेष।

( १ ) साधारण लाइसेन्स विशेष द्वारा दिया जाता है। इसके बल पर विना घोषणा किये भी विवाह करने का अधिकार हो जाता है। विवाह करने वालों में से एक दल को शपथ लेकर कहना पड़ता है कि विवाह में किसी प्रकार की रुकावट नहीं है और दोनों स्त्री और पुरुष उस गिर्जे की सीमा में, जिसमें विवाह होता है, १५ दिनों से बराबर रह रहे हैं। यदि दोनों में से एक की भी उम्र २१ वर्ष से कम हुई तो शपथ लेकर यह भी कहना पड़ता है कि माँ, वाप अथवा अभिभावक की आज्ञा ले ली गई है।

प्रार्थना-पत्र देने से इस प्रकार के लाइसेन्स, “फैकल्टी आफिस” २३, नाइट-राइडर स्ट्रीट, डाक्टर्स कामन्स, लन्दन, ई० सी०, या “विकार-जनरल आफिस”, ३, क्रीड लेन, लडगेट हिल, ई० सी०, के पतों से प्रतिदिन १० से ४ बजे तक और शनिवार को १० बजे से २ बजे तक मिल सकते हैं। देहातों में किसी भी विशेष के रजिस्ट्री आफिस से अथवा इसी कार्य के लिए विशेष द्वारा नियुक्त किसी भी मनुष्य से मिल सकता है। “फैकल्टी आफिस” अथवा “विकार-जनरल आफिस” से निकाले गये लाइसेन्स किसी भी धर्माध्यक्ष की सीमा के अन्दर मिल सकते हैं।

( २ ) विशेष लाइसेन्स किसी खास समय अथवा स्थान में विवाह को आज्ञा के लिए कैटरवरा के आर्कविशेष द्वारा दिये

नानकन्फार्मिस्ट सम्प्रदाय के गिर्जे में विवाह की रस्मे १०१

जाते हैं। खास परिस्थितियों के समय ही इस प्रकार के लाइसेन्स दिये जाते हैं।

वर की हैसियत के अनुसार विवाह की फीस एक गिनी से ५ गिनी तक होती है।

वरजरक्षा की फीस २॥ शिलिङ्ग से शुरू होती है।

फीस को ये रकमे वर विवाह के पहले अथवा वाद में 'वेस्ट-मैन' (वर का साथी मित्र) को दे देता है। 'वेस्टमैन' द्वारा ही ये रकमे गिर्जे के अधिकारियों को सिलती हैं।

## नानकन्फार्मिस्ट सम्प्रदाय के गिर्जे में विवाह की रस्में

लाइसेन्स के साथ अथवा वगैर लाइसेन्स के विवाह के लिए प्रभाण-पत्र विवाह-सम्बन्धो सुपरिएटेंडर रजिस्ट्रार के द्वारा मिल जाते हैं। यहाँ न तो घोपणा करने की ज़रूरत पड़ती है और न विशप के लाइसेन्स की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। नोटिस का सार्टफिकेट प्राप्त करने में २१ दिन लगते हैं और लाइसेन्स के साथ सार्टफिकेट नोटिस देने के एक दिन वाद मिल जाता है। इन दोनों में से कोई भी तीन महीने से अधिक के लिए नहीं मिल सकता।

---

क्षेत्रिक गिर्जे का एक नौकर-विशेष जो विवाह के समय गिर्जे में उपस्थित रहता है।

इस प्रकार के सार्टीफिकेट या लाइसेन्स प्राप्त करने के लिए जिस जिले में उभय पक्ष के लोग वस चुके हों, उस जिले के सुपरिणटेंडेंट रजिस्ट्रार को एक नोटिस देनी चाहिए। यदि सार्टीफिकेट प्राप्त करना हो तो कम से कम ७ दिन, और लाइसेन्स प्राप्त करना हो तो कम से कम १५ दिन पहले नोटिस देनी चाहिए। जहाँ विवाह लाइसेन्स द्वारा न करना हो और जब उभय पक्ष भिन्न-भिन्न जिलों के वाशिन्डे हो वहाँ उभय पक्ष के जिलों में इस प्रकार की नोटिस देनी चाहिए। नोटिस की एक प्रति सर्वसाधारण की जानकारी के निमित्त सुपरिणटेंडेंट रजिस्ट्रार के आफिस में वाहर लगा दी जाती है।

सुपरिणटेंडेंट रजिस्ट्रार के जिले की सीमा के किसी भी गिरें में विवाह कराया जा सकता है। पद्धति वही है जैसी घोपणा करने के बाद वाले विवाह में वर्ती जाती है। जो स्थान धार्मिक पूजा अथवा विवाह के लिए रजिस्टर्ड हो गये हैं, वहाँ भी उक्त स्थानों की पद्धतियों के अनुसार विवाह कराये जा सकते हैं। इन पद्धतियों में भी कही न कही वर और कन्या द्वारा यह प्रतिज्ञा तो करानी ही चाहिए कि वे परस्पर एक दूसरे को पति और पत्नी के रूप में स्वाकार करते हैं। विवाह ८ बजे प्रातः से ३ बजे सन्ध्या तक में खुले आम होना चाहिए। विवाह के अवसर पर उस जिले के रजिस्ट्रार को भी उपस्थित रहना चाहिए और उभय पक्ष की इच्छानुसार इस काम के निमित्त जो अधिकारी नियुक्त हो वह भी उपस्थित रह सकता है।

## रजिस्ट्री आफिस में विवाह

रजिस्ट्रार और सुपरिणिटेन्डेंट के आफिस में भी रजिस्ट्रार और दो साक्षियों की उपस्थिति में विवाह कराया जा सकता है। विवाह पूर्वक रीत्यानुसार कराया जाता है। यहाँ केवल धार्मिक कार्य नहीं किये जाते। विवाह के बाद धार्मिक कृत्य किये जा सकते हैं। किन्तु तब यह विवाह गिर्जे के रजिस्टर में दर्ज न किया जायगा।

## पति के कर्तव्य

कन्या के लिए फूल के गुच्छों और विवाह की अँगूठी का प्रबन्ध वर पक्ष की तरफ से किया जाता है। कन्या की सखियों के फूलों के गुच्छों का भी प्रबन्ध वर-पक्ष ही की तरफ से होता है। इन सखियों को कुछ आभूषण भी उपहार में दिये जाते हैं। भावी सास को भी फूलों का एक गुच्छा भेट करना अच्छी शिष्टता है। वर अपने मित्र के साथ जिस मोटर अथवा गाडी पर गिर्जे में आता है और गिर्जे से अपनी पत्नी के साथ जिस सवारी पर त्वेशन अथवा अन्य कहीं जाता है उसका प्रबन्ध भी वर-पक्ष की तरफ से होता है। दूल्हा अपने मित्र के साथ गिर्जे में कुछ पहले आकर विवाह में कव क्या खर्च देना होगा। आदि वी मीमांसा करता है। तदनन्तर नियत समय पर अतिधिगण आते हैं। वर अपने मित्र के साथ प्रवेश द्वार की दाहिनी ओर बैठता है और अतिधिगण यथा स्थान बैठ जाते हैं। सबने पीछे दुलहिन आनी है। उन दिन वेदों पर प्रथम बार उसके भावी पति ने मुलाकात होती है।

वह वर के बाम भाग में अपना स्थान प्रहरण करती है और उसके पिता या नजदीकी रिस्तेदार उसकी बाई और खड़े होते हैं। इसके बाद वे पादरी के साथ वेस्ट्रीक्झ में जाते हैं। दुलहिन की सखियाँ आदि पीछे आती हैं। यहाँ विवाह के रजिस्टर पर हस्ताक्षर किया जाता है, और लोग दुलहिन को आशीर्वाद देते हैं। दूल्हे का मित्र दुलहिन के हाथों में विवाह का प्रमाण-पत्र देता है। तदनन्तर हाथ में हाथ डालकर दूल्हा और दुलहिन धीरे-धोरे गिर्जे के बाहर अपनी सबारी की तरफ जाते हैं।

इन अवसरों पर स्वागत और भोज इत्यादि के प्रवन्ध वहुत रुचिकर नहीं होते। टोस्ट और व्याख्यानों का भी केवल नाम-मात्र का प्रवन्ध रहता है। ये सब अङ्गूँहे जितने ही कम हो, उतना ही अच्छा है। विवाह में तो उभय पक्ष के लोगों और उनके रिस्तेदारों को बड़ी तरददुद उठानी पड़ती है।

कन्या के पिता दृम्पति के स्वास्थ्य की मङ्गल-कामना करते हैं। तदनन्तर दूल्हे साहब पक्नी की सखियों के स्वास्थ्य की मङ्गल-कामना करते हैं। इसका उत्तर वर के मित्र एक सुन्दर व्याख्यान में देते हैं। तदनन्तर दूल्हे साहब अपनी पक्नी के माता और पिता के स्वास्थ्य की मङ्गल-कामना करते हैं।

भोजन के बाद पक्नी यात्रा के लिए कपड़े बदलने के निमित्त कमरे में चली जाती है। कपड़े बदल चुकने पर लोग उसे घिरा करते हैं। घिरा होकर पक्नी गाड़ी या मोटर में पति के साथ

---

क्षे गिर्जे का बस्त्रागार।

वैठकर चल देतो है। चलते समय भाग्य की कामना के लिए दृम्पति पर कागज के छोटे-छोटे रङ्ग-विरङ्गे ढुकडे अथवा साटन के स्लोपर स्थी पर वरसाये जाते हैं। आजकल अक्षत फेकने की चाल नहीं है।

### वर के सखा का उत्तरदायित्व

वेस्टमैन (वर का सखा) का प्रथम कर्तव्य है विवाह के जल्से का पूर्ण प्रवन्ध करना।

वेस्टमैन काँता होता है। यदि कन्या के कुदुम्ब से उसका परिचय न हो तो विवाह के दिन की पहली शाम को उसे उनसे परिचित हो जाना चाहिए।

विवाह के अवसर पर वह सदा वर के साथ रहकर उसके छोटे-मोटे कामों को करता रहता है। विवाह की मुद्रिका उसी के पास रहती है। वह विवाह के समय सर्वदा अपने मित्र के दाहिनी तरफ खड़ा होता है।

विवाह के बाद वधू की प्रधान सखी को वह अपने बायें हाथ औ सहारा देता है। उस दिन वह उस स्त्री का प्रेमी समझा जाता है। जब दृम्पति रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने जाते हैं तो वह भी उनके पीछे हो लेता है। दृम्पति और उनके माँ-बाप को विदा करके वह वधू की सखियों के साथ स्वागत के स्थान पर आता है।

बड़ी चतुराई से वह वधू की सखियों द्वारा की गयी स्वान्ध्य की मङ्गल-कामना का उत्तर देता है। वर के बाहर जाने के समय वह

उसके सामान इत्यादि को स्टेशन पर पहुँचाने में सहायता करता है।

दम्पति को लेजाने वाली सवारी का प्रबन्ध भी वेस्टमैन के ऊपर रहता है। टिकट इत्यादि पहले से ख़रीद कर चलते समय असवाव की सूची के साथ उनको वर के हाथ सौंप देता है। यदि स्टेशन पर असवावों को बुक कराने के लिए उसकी मदद की आवश्यकता हुई तो वह किसी गाड़ी या मोटर में बैठकर स्टेशन जाता है।

दम्पति के जाने के स्थान को वेस्टमैन के सिवा और कोई नहीं जानता। किन्तु किसी को उसे न यह बात स्वयं बतलानी चाहिए और न किसी को इस बारे में पूछना ही चाहिए।

पादरी और गिर्जे के अन्य अधिकारियों की कीस और शोफरो का दाम इत्यादि सब वेस्टमैन ही चुकाता है।

---

## देहात की यात्रा

कुछ दिनों के लिए देहात में भ्रमण और शिकार का निमन्त्रण पाकर स्टेशन से उत्तरते ही एक मोटर खड़ी मिलेगी। सम्भव है, उसी ट्रेन से अन्य निमन्त्रित व्यक्ति भी आये हो। तब सब को उसी मोटर पर बैठकर आतिथेय के यहाँ जाना चाहिए। अवसर पाते ही आतिथेय अपने अतिथियों को आपस में परिचित करा देते हैं।

अतिथि के नौकर ही रेल से सामान इत्यादि उतारते हैं। यदि साथ मे नौकर न रहे तो अपना असचाव इत्यादि उतारकर फौरन सैटफार्म पर उतर जाना चाहिए। वहाँ आतिथेय के नौकर अतिथि के माल असचाव की देख-भाल कर लेंगे।

आतिथेय के मकान पर पहुँचते ही गृह-स्वामिनी स्वय आकर स्वागत करती है। उनके साथ कुछ जलपान कर लेने के बाद ठहरने के लिए नियत कमरा दिखा दिया जाता है। यदि साथ मे नौकर न रहा तो सेवा के लिए एक घर का नौकर नियत कर दिया जाता है। कपड़े इत्यादि की देख-भाल और अतिथि की अन्य सेवा यही नौकर करता है।

बाल आदि साफ कर के हाँल ने जाकर अतिथि को घर के अन्य लोगों से मिलना चाहिए। यह समय अक्सर चाय पीने का होता है और बात-चीत घरने का खूब मौजा मिलता है। बात-चीत

के अतिरिक्त विलियर्ड रूम में विलियर्ड का खेल, अस्तवल में थोड़ों के निरीक्षण, श्वान-गृह में कुत्तों के निरीक्षण आदि में एक शिकार-प्रिय पुरुष अथवा स्त्री को सुख से समय काटने की अनेकों सामग्रियाँ मिल सकती हैं। इस प्रकार वस्त्रों के पहनने के समय तक वक्तुं आसानी से कट जाता है।

कमरे में पहुँचने पर वस्त्र इत्यादि ठीक तौर पर सजाकर रखने मिल जाते हैं। वस्त्रों से सजन्वज कर छाइज्ज-रूम में पहुँच जाना चाहिए। यहाँ आतिथेया अन्य मेहमानों से परिचय करा देती है और तब भोजन का प्रवन्ध किया जाता है। देहातों में भोज के बाद गान-वाद्य और ताशा, विलियर्ड आदि अन्य मनोरञ्जन के साथनों को काम में लाते हैं। नृत्य का भी प्रवन्ध किया जा सकता है। यदि वर्फ़ का अच्छा मैदान मिल गया तो चॉदनी में स्केटिङ्ग की आयोजना की जा सकती है। स्काटलैरड में स्केटिङ्ग के लिए अच्छे अवसर मिल जाते हैं। जाड़ों में देहातों की सैर के लिए जाते समय स्केट्रस को सदा अपने साथ ले जाना चाहिए।

मेहमानों को विदा करते समय पुरुष के आतिथेया के साथ रहना चाहिए। पुरुषगण आतिथेय के साथ धूम्रपान करते हैं किन्तु बहुत रात न कर देनी चाहिए। गर्वों में शीघ्र सोने और शीघ्र जागने की प्रथा है।

### प्रातःकाल

पक्को मारना, शिकार करना, मछली पकड़ना और मोटर पर सैर करना आदि जो कुछ करना हो, उसे अपने नौकर

से कह देना चाहिए। वह अवसर के अनुकूल कपड़े निकालकर रख देगा। एक प्याली चाय देने के बाद दिन में उससे और जो कुछ करने के लिए कहा जायगा, वह उसे करेगा।

प्रात काल का भोजन साधारण होता है। उस समय मेज पर कोई नौकर नहीं रहता। हरएक अतिथि अपनी सहायता स्वयं कर लेते हैं। खीं की इच्छा के अनुसार पुरुष उसकी खाद्य-सामग्री की तरही उठाकर उसके सामने रखते हैं। बदले में वह खीं चाय या कहवा उस मर्द के लिए परोसती है।

भोजन के समय बाहर से आयी चिट्ठियाँ दी जाती हैं। मेज पर अखबार भी पड़े रहते हैं। इसी अवसर पर दिन का कार्य-क्रम नियत होता है और उसी के अनुसार लोग कार्य में लग जाते हैं।

## आखेट

आखेट में हिम्मत, कौशल और एक घटिया घोड़े की नितान्त आवश्यकता है।

दूसरों के घोड़े को उधार लेकर उनपर सवारी न करनी चाहिए। अच्छे घुड़-सवार दूसरों के घोड़े पर भी सवारी कर सकते हैं।

शिकायी बुत्तों के साथ शिकार के लिए निकलते नमव इन दात का खूब ध्यान रखना चाहिए वि एक भी बुत्ता घोड़े के नीचे दृढ़ने न पावे। ये बुत्ते घड़े कीमती और काम के होते हैं। घोड़े

की सवारी करते समय दिमाग दुरुस्त रखना चाहिए। नहीं तो घोड़े को नियन्त्रण में रखना मुश्किल हो जायगा।

जिस गाड़ी अथवा मोटर में खियाँ हों, उस गाड़ी या मोटर तक घोड़े पर सवार होकर खियों को अपना कौशल दिखाने के लिए न जाना चाहिए।

शिकारी कुत्तों के मुक्त किये जाने पर शिकारियों को उनके पीछे पास ही रहना चाहिए।

यदि शिकार के समय साथ में कोई ऐसी महिला रहे, जो आखेट में भाग न लेना चाहे, तो शिकारी को उसे अकेली न छोड़ना चाहिए। उसकी आज्ञा पाकर ही आखेट करने जाना चाहिए। जब वह घर लौटने लगे तो शिकारी को, उसके साथ हो कर उसे घर तक पहुँचा आना चाहिए। यदि वह खी अविवाहिता हो तो उसे अकेली छोड़ना महती अरसिकता समझी जाती है। पुरुषों को खियों के प्रति, विशेषतः कुमारी खियों के प्रति, बहुत ही रसिक होना चाहिए।

आखेट के बाद खाने-पीने का प्रवन्ध किया जाता है।

नौकर खाद्य सामग्रियाँ तैयार करते हैं। इस अवसर पर पुरुष खियों की स्त्रियों में उपस्थित रहते हैं। खियाँ आखेट के लिए यदि न भी आईं तो भी वे शिकारियों से मिलने और उनके आमोद-प्रमोद में भाग लेने तो आती ही हैं।

आखेट के बाद शिकारियों का दूल घर लौटता है। सारा दिन आखेट-सम्बन्धी वातों में कट जाता है।

## क्या पहनना चाहिए ?

शिकारियों के बख्तों से बहुत कम भेद होता है।

आखेट में शामिल होने की इच्छा रखने वाले शिकारी को एक होशियार दर्जी की सलाह से अपने बख्तों की काट-बॉट करानी चाहिए। इस सम्बन्ध में दर्जी नेक सलाह देगा।

शिकारी को अपने बख्तों के लिए गुलाबी रङ्ग कभी न पसन्द करना चाहिए। विशेष सम्मानित शिकारी ही गुलाबी रङ्ग को पोशाक धारण करते हैं।

आम तौर से यह विश्वास किया जाता है कि अग्रेज शिकारी पोशाक में बड़े भले लगते हैं। यदि किसी शिकारी को कही दो-चार दिनों के लिए आखेट के लिए जाना हो, तो वह काली कोट पहनकर जा सकता है।

आखेट में कुत्तों के साथ रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आखेट के भोज में शामिल होने का अधिकार हो जाता है और अजनवी होते हुए भी प्रार्थना किये जाने पर उसे फौरन् भोज में शरीक हो जाना चाहिए। इस भोज के अवसर पर किसी विशेष शिष्ठा-चार की रीति नहीं है। पुरुष एक के बाद एक आते-जाते रहते हैं। इन जमाव में एक दूसरे के प्रति खूब सङ्घाव-प्रदर्शन होता है।

आखेट पाटियों में नृत्य की भी आयोजना की जाती है। ऐसे अवसर पर पुरुष गुलाबी रङ्ग की पोशाक पहनते हैं। इस ममत्य पुरुषों का रङ्ग खूब सिलता है।

पोशाक के सम्बन्ध में विशेष परिवर्तन नहीं होता। मख्मल की टोपी के स्थान पर लोग रेशम की ऊँची टोपी धारण करते हैं।

साधारणतया सफेद मोजों के स्थान पर काले मोजे पहने जाते हैं। दोनों प्रकार के मोजों पर शिकारी जूते पहने जाते हैं।

शिकारियों के साईंसों को अच्छी बछौश मिलती है। अक्सर १० से २० शिलिङ्ग तक दिया जाता है।

## रविवार

देहातों में लन्दन की तरह रविवार को भोज देने की प्रथा नहीं है। उस दिन कोई किसी से मिलने-जुलने भी नहीं जाता।

देहातों में रविवार को गिर्जे में जाना, टहलने निकलना, अस्तवल या केनेल (कुत्तों के वास-स्थान) को देखने जाना, एक दूसरे से जान-पहचान बढ़ाना, चिट्ठियाँ लिखना आदि कार्य किये जाते हैं। लोग मोटरों पर तो बाहर निकलते हैं, किन्तु घोड़े रविवार को गाड़ियों में नहीं जाते जाते। अन्य दिनों की अपेक्षा रविवार को शाम को घरों में जल्द रोशनी की जाती है। कुछ घरों में रविवार के मध्याह्न के बाद क्रिकेट, टेनिस और क्रॉकेट खेले जाते हैं। जाडों में शाम को बिलियर्ड का खेल होता है। किन्तु इन मामलों में शिष्टाचार के नियमों की अपेक्षा धार्मिक नियमों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यदि कोई अतिथि इसमें शारीक न होना चाहे तो उस पर जोर न डाला जायगा। इस सम्बन्ध में भिन्न राय होने से कोई बाद-विवाद भी न छेड़ा

जायगा। अच्छे आचरण और सद्ग्राव हमको इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि 'आराम का दिन' किसी के लिए तकलीफ का दिन न हो जाय।

### बख्शीश

अतिथि को कुछ दिनों अथवा दो सप्ताह तक किसी के यहाँ ठहरने पर उस घर के बटलर या चपरासी को विदा होते समय ५ या १० शिलिङ्ग देना चाहिए। अधिक दिनों के लिए शोफर को ५ और थोड़े दिनों ठहरने के बाद ३ शिलिङ्ग देना चाहिए। गृह की प्रधान दासी को ३ से ५ शिलिंग तक देने की रीति है। अतिथि की खींचारा बख्शीश अलग दी जाती है।

### बन्दूक से निशाना लगाना

निशाना लगाने की कला का ज्ञान प्राप्त करने की अपेक्षा इस सम्बन्ध के शिष्टाचार शीघ्र ही सीखे जा सकते हैं। वास्तव में इस में साधारण नम्रता और शिष्ट व्यवहार के प्रति प्रेम रखने के अतिरिक्त और ही ही क्या। किन्तु कुछ ऐसे मामले हैं जिन पर नौसिखियों को सलाह लेने की जरूरत है। सबसे पहले लाइसेन्स हो को लीजिए।

३१ जूलाई के बाद और १ नवम्बर से पहले शिकार के लिए लाइसेन्स की फीस ३ पौरुष है। साल की समाप्ति पर ३१ जूलाई को इस लाइसेन्स की अवधि समाप्त हो जाती है। ३१ जूलाई से ३१ अगस्त तक अथवा ३१ अक्टूबर के बाद से ३१ जूलाई तक के

लिए लाइसेन्स की फीस २ पौरुष है। १ पौरुष फीस देकर १४ दिनों में लिए लाइसेन्स मिल सकता है।

शिकार करते समय जो खियाँ साथ में रहे, उनका खूब रसिकता से सम्मान करना चाहिए। यदि मार्ग में बहुत खूँटियाँ हों तो केवल जरान्सा आगाह कर देना चाहिए। यदि फॉडने का तरोका ठोक न हो तो उसे अपने हाथ का सहारा देकर उनकी मदद करनी चाहिए। सहायता को खियाँ बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार करेगी। इस प्रकार पुरुष अपना कर्तव्य पालन करते हैं और खियाँ आमोद बढ़ाने वाली साथिने बनकर अपना कर्तव्य पालन करती हैं।

शिकार खेलने के अवसर के सम्बन्ध के कुछ शिष्टाचार हैं जिन पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। दूसरे शिकारी की निगाह को कभी न काटना चाहिए। जख्मी पक्की को उठाने के लिए पड़ोसी के मैदान से होकर जाना अक्षमतव्य अपराध माना जाता है। जख्मी पक्की तो मर चुका होगा। दूसरों की जमीन पर बन्दूक लेकर जाना अशिष्टता है।

अपनी सफाई के लिए अपनी बन्दूक स्थयं लेकर बन्दूकन्हृह में पहुँचना चाहिए। शिकार के रक्षक, शब्द के ठीक स्थान पर रखे जाने को सूचना शिकारी को देते हैं। शिकार के रक्षक की फीस शिकार खेलने के समय के अनुसार १० शिलिङ्ग से ५ पौरुष तक है।

दिन भर तीतर का शिकार करने के लिए प्रधान शिकार-रक्षक को १ पौरुष वर्खरीश दो जाती है। महोक के शिकार के लिए दूनी रकम

देना ठीक होगा। प्रथम बार वर्षशीश कम देने से शिकारी को भविष्य में कभी आने पर ख़राब परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा।

शिकार का सोसम इस प्रकार है.—

१ सितम्बर से १ फरवरी तक तीतर और महांक का और १२ अगस्त से १० दिसम्बर तक ज़ंगलो मुर्गों का शिकार। खरगोश का शिकार १ मार्च तक किया जाता है। रैचिट ( खरगोश-विशेष ) तो साल भर मिलता है।

विलायता कौवे गर्भी और वसन्त में मिलते हैं। सब प्रकार की ज़ंगली चिड़ियों का शिकार २ मार्च से ३१ जूलाई तक किया जाता है।

बन्दूकों और शिकारों का लाइसेन्स ३१ जूलाई को समाप्त हो जाता है।

## मांस काटना

प्रत्येक मनुष्य को मास के टुकड़े-टुकड़े करने की शिक्षा अवश्य प्रहण करनी चाहिए। पक्षी अथवा किसी जन्तु का मांस परोसे जाने पर उसके टुकड़े-टुकड़े करके न खा सकने पर बड़ी हँसी होती है। लोग ऐसे मनुष्य को असम्म्य समझते हैं।

आजकल भोजो मेंतो मांस काटने की बहुत कम आवश्यकता पड़ती है। किन्तु अनेक सामाजिक जल्सों और यात्राओं में इसको आवश्यकता पड़ती ही है।

छोटो जेवनारे दे अवमर पर देहनो मे भेज पर मास के काटने आदि दे सम्बन्ध मे अनिधि दो अपनी आतिथेया की महा-

यता करनी चाहिए। पुरुषों के जल्से में इस बात की आशा को जाती है कि आवश्यकता पड़ने पर अतिथिनाण आपस में एक दूसरे की सहायता कर लेंगे।

यह कार्य ऐसा है कि अन्यास ही से आदमी इस काम में नैपुण्य प्राप्त कर सकेगा। किन्तु इस सम्बन्ध में भी कुछ नियम हैं, जिनका जानना परमावश्यक है।

एक बत्तख को काटते समय पहले उसकी गर्दन के नीचे के भाग को काट देना चाहिए। तब गर्दन की तरफ का भाग अपनी तरफ करके उसकी छाती के टुकड़े-टुकड़े कर डालना चाहिए। काँटे को शरीर से (हड्डी के पास) लगाकर छुरी से पैर काट लेना चाहिए। पह्लों की जड़ के पास शरीर काँटे से दबाकर छुरी से डैनें को अलग कर देना चाहिए। इसके बाद डैनें के पास की हड्डी, कलेजा और पीठ की हड्डी को काटकर अलग कर देना चाहिए। खाने के लिए छाती और जाँघ का मांस सबसे अच्छा होता है।

मुरारा इत्यादि की पहले टाँगे अलग कर दी जाती है। तब डैनें को काट देना चाहिए। काँटे से डैने की जड़ के पास दबाकर डैनें को पैरों की तरफ खीचने से बगल का मांस-पिण्ड निकल आवेगा। पक्की के बज्जे के मांस-पिण्ड को अलग करके मुलायम पसलियों के पास से बज्जे के टुकड़े-टुकड़े कर डालना चाहिए। पक्कों को उलटा रखकर गले से नीचे तक बीच से काट देना चाहिए। बज्जे और जाँघ के मांस शरीर के अन्य स्थानों के माम की अपेक्षा अच्छे समझे जाते हैं।

शिकार की प्राय सभी छोटी चिड़ियाँ गले से दुम तक बीच से तराशी जाती हैं। सफेद मांस पर जूस न डालना चाहिए। जूस डालने से बाहरी कोमलता जाती रहती है।

सुअर अथवा किसी अन्य जानवर की जाँघ का पिछला भाग काटते समय बीच से गोल-गोल टुकड़े काटे जाते हैं। कुछ लोग पतले और कुछ मोटे भाग की तरफ से काटना आरम्भ करते हैं।

बकरी के मांस को धीरे से काटना चाहिए। क्योंकि छुरी ज़ोर से ढबाने से मांस तो कटेगा नहीं, केवल जूस दबकर निकल आवेगा। बीच से काटना आरम्भ करना चाहिए, क्योंकि वही अधिक जूस-न्युक्त भाग है। मोटेमोटे टुकड़े काटकर थोड़ी चर्वायुक्त मांस प्रत्येक अतिथि को देना चाहिए।

मेमने का अग्र भाग काटते समय बच्चा और पसलियों से पहले कन्धों को छुरी से अलग कर देना चाहिए। तब मांस को पसलियों से अलग कर लेना चाहिए।

पुट्टे और पैर के भाग को चर्वायुक्त मास के वरावर-न्वरावर टुकड़े काट कर परोसना चाहिए। टुकड़े एक इच्छ मोटे हों।

भूने द्वारा सुअर को मेज पर भेजने से पहले दो भागों में काट देना चाहिए। कन्धों को अलग कर पसलियों को काटना चाहिए। पसलियों का भाग उत्तम होता है। यद्यपि कुछ लोग गर्दन के पाम के मास को अधिक अच्छा समझते हैं।

## यात्रा

कुछ वर्षों से यात्रा के शिष्टाचारों में बहुत कुछ परिवर्तन हो गया है। किन्तु विदेशों में, खासकर यूरोपीय देशों में, यात्रा करते समय, एक अंग्रेज यात्री को हमेशा यह ध्यान में रखना चाहिए कि उसके निमित्त लोग अपनी रहन-सहन में परिवर्तन न कर देंगे। मनुष्य अपने कार्यों से जाना जाता है, न कि अपने रहन-सहन और पोशाक से।

यात्रा की तैयारी में किसी प्रकार की जल्दीज़ी न करनी चाहिए, जिससे लोगों को यह कहने का अवसर न मिले कि पहली बार यात्रा के लिए निकले हैं, इसीसे इतना जोश है। पहले यह निश्चय करना चाहिए कि कहाँ जाना होगा और तब जल्दी से अपना ग्रवन्ध करके, केवल अपने घनिष्ठ मित्रों से विदा लेकर, चुपके से चल देना चाहिए।

यदि दूर देश भी जाना पड़े, तब भी दिन रात दौड़-दौड़ कर अपने मित्रों पर यह न प्रकट करना चाहिए कि इतनी दूर की यात्रा करनी है। ऐसा करने से अपनी स्थिति हास्यास्पद हो जाती है। वास्तव में ऐसे लोगों की बहुत कम संख्या होती है जो यह जानना चाहे कि किस व्यक्ति के पास क्या-क्या सामान है। केवल कुछ हो मित्र इस बात के उत्सुक होते हैं कि अमुक पुरुष को समुद्र की यात्रा में भय का अवसर उपस्थित होगा या नहीं।

जब वे कहे कि पत्र लिखने पर वे पत्र का जवाब देंगे तो उसे केवल एक खोखली प्रतिज्ञा समझनी चाहिए । ऐसा क्यों होता है ? यह बतलाना कठिन है । किन्तु किसी मनुष्य के बाहर जाते ही उसके मित्र लोग उसे भूल जाते हैं । विदा लेते समय अपने मित्रों से कुछ प्रेमालाप करके चल देना चाहिए ।

## यूरोपीय देशों में भ्रमण

यूरोपीय प्रायद्वीप में भ्रमण करते समय मुकाबला करने का विल चीजे भी मिलेगी । जिनके साथ कुछ समय के लिए ठहरना पड़े उनको बुरा लग सकता है और इससे अपने मुख में भी वाधा पड़ सकती है । अनेक चीजे नापसन्द हो सकते हैं । किन्तु वे चीजे नाक-भौं सिकोडने से अच्छी तो हो न जायेंगी । जो चीज़ अपने को नापसन्द होती है, वही वस्तु विदेशियों को रुचिकर हो सकती है । वह दूसरे की रुचि के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है । अतएव यात्री या तो अपनी प्ररुचि को सहन करे अथवा विदेशों में भ्रमण करना छोड़ कर अपने घर वैठा रहे । किसी बात पर नाक-भौं सिकोडने से मनुष्य अपने विचारों की सकीर्णता और विदेशियों के रीति-न्यमों के सम्बन्ध में अपने अज्ञान की धोषणा करता है । सज्जा यात्री तो आइसलैण्ड में यात्रा करते समय, नमकीन मछली खाने पर, वहाँ के निवासों से कभी यह न कहेगा कि भूता हुआ मास अधिक अच्छा होता है ।

यही भाव सभी विपयों के सम्बन्ध में रखना चाहिए। सम्भव है, विदेशों की स्त्रियों का पहनावा-ओढावा अपनी मॉ-बेटियों की तरह का न हो। सम्भव है, वे इतनी खूबसूरत भी न हों। वे बहुत ही भद्री और सॉवली हो सकती हैं। पुरुष-नारा भी बड़े शोर-नुल-पसन्द या शान्त-प्रिय हो सकते हैं। बच्चों का लाड-न्यार बहुत अधिक अथवा बिल्कुल नहीं हो सकता है। सम्भव है, मकान बहुत ही उपहासास्पद ढंग से बने हों। सड़के गन्दी, बेढ़न्ही अथवा बड़े अच्छे ढंग से बनी हों, इत्यादि। चाहे कितना ही भेद क्यों न हो, मुकाबला न करना चाहिए। ध्यान रहे कि यात्री अनजान देश में रहता है तो वहाँ अनजान वस्तुएँ देखने को मिलेंगी ही। कोई भी ऐसी बात न कहनी चाहिए और न ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे विदेशियों के आत्म-सम्मान पर आघात पड़े और न किसी के धार्मिक विश्वास पर ही आक्षेप करना चाहिए।

किसी धार्मिक उत्सव को केवल दिखावे के लिए किया गया मान लेना बड़ी अशिष्टता है। इस सम्बन्ध में वृद्धिश यात्रियों के बारे में लोगों की विशेष शिकायत है। इनके बारे में तो यहाँ तक अभियोग लगाया गया है कि प्रार्थना में लोग बिना हैट उतारे ही शामिल हो जाते हैं और वहाँ जोर-जोर से बाते करते हैं। इस प्रकार के वर्ताव की कोई सफाई नहीं है।

मन्दिर चाहे किसी भी सम्प्रदाय का क्यों न हो, पूजा-गृह में तो मदा बड़े सम्मान के साथ जाना चाहिए।

## बिल अदा करना

विदेशों में जाकर ब्रृटिश यात्री यही समझते हैं कि सारा संसार उन्हे ठगने की चेष्टा कर रहा है। किन्तु वास्तव में वात यही है कि देश में भी जाने का जितना भय रहता है उतना ही विदेश में भी रहता है। इस वात को अँग्रेज यात्री विदेश में सम्भव नहीं समझता। अतएव जब कोई मनुष्य उससे दबी ज्वान से रुपए माँगता है तब उसका गुस्सा प्रवल हो जाता है।

यात्रा में पग-पग पर भुनभुनाने से कुछ लाभ नहीं। इसमें अपने हो सुख में वाधा पड़ती है। इसका यह मतलब नहीं कि शैतानों से अपने को लुटा देना चाहिए। किन्तु बुरे लोगों के हाथ में न पड़ना और बुरे स्थानों में न जाना अधिक अच्छा है।

## होटलों में

होटलों में अँग्रेज बड़े गम्भीर रहते हैं और अपने देश-वासियों ने भी बहुत कम मिलते-जुलते हैं। यदि परिचय न हुआ तो नम-स्कार प्रणाम के अतिरिक्त किसी भी पुरुष से वे अधिक व्यवहार नहीं रखते। यह व्यवहार बहुत ने लोगों को दुरा भी लग नक्का है। इसका मतलब यह है कि अपने को दुष्टों से बचाकर शिष्ट रहना चाहिए। शिष्टता से यह तात्पर्य नहीं है कि अपनी कहानी सबने गाता फिरे। इन वातों के अतिरिक्त भी मैकड़ों तरह की वारें होटलों में करने के लिए मिल जाती हैं। चुपचाप रहने ने यात्री

को लोगों के बारे में ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता और न विदेशी ही उस यात्री की योग्यता को समझ पाते हैं।

जो अँग्रेज विदेशियों के सामने अपने देश-वासियों से विदेशियों की बुराई अँग्रेजी भाषा में यह समझकर करता है कि विदेशी उसकी भाषा नहीं समझते, वे बहुत ही अशिष्ट समझे जाते हैं।



## जहाज़ पर

जहाज पर चढ़कर फौरन् इस बात का पता लगाना चाहिए कि यात्रियों की चिट्ठियाँ या तार कहाँ रखे जाते हैं। शिनाख्त हो जाने पर भेजी गयी चिट्ठियाँ और तार शीघ्र मिल जाते हैं।

कैविन मे पहले पहुँचने पर केवल उतने ही स्थान, दराज और खूँटियों पर कब्जा जमाना चाहिए जितने अपने और अपने सामानों के लिए आवश्यक हो। यदि पाँच दराज़ हों और पहले पहुँचने वाला तीन दराजो को अपने कब्जे मे कर ले, तो लोग उसे अशिष्ट समझेंगे।

जहाज तो सदा धूमता और भूमता रहता है। अतएव अपनी चीजों चपटे आकार के केसों में रखना चाहिए। यदि इस प्रकार के केस न हों तो कैविन के दराजो मे अपनी चीजे रखने मे उनके लुढ़कने का भय न रहेगा। तेल की शीशियाँ एक टोकरी अथवा चमड़े के बक्स मे रखकर खूँटी मे टाँग देनी चाहिए।

## सामान

अपने पहननें के साधारण वस्त्रों को दराजो मे रख देना चाहिए। रोज़ के पहनने के कपड़ों को ठीक ढग मे सजाकर टाँग देना चाहिए। जो सामान जहाज के गुदाम मे पहुँचा दिया जाना है, वह केवल खास-खास अवसरों ही पर प्राप्त हो सकता है।

अतएव जिन सामानों को जल्दी लेने की ज़रूरत पड़े उनको कैविन में भिजवाने का प्रबन्ध टिकट स्तरीयते समय करा देना चाहिए।

कैविन में चीजे अस्त-न्यस्त हालत में न छोड़नी चाहिए। अपनी और अपनी चीजों का रक्षा प्रत्येक यात्री को स्वयं करनी चाहिए।

सिगार और तम्बाकू वडी हिफाजत से रखना चाहिए। सन्दूक में सदा ताला पड़ा रहे और कीमती चीजें जहाज़ के एका-उर्टैरेट के पास जमा कर देनी चाहिए। यदि कैविन में अपने साथी से कुछ शिकायत हो तो प्रबन्धक से कहकर दूसरे कैविन में चला जाना चाहिए।

रात में देर से आने पर कैविन में चुपचाप जाना चाहिए।

यदि कोई आक्षेप करे तो अपने कमरे में कभी सिगार न पीना चाहिए। कुछ जहाजों में सिगरेट पीने की मनाई रहती है।

दाढ़ी-मूँछे साफ करने के लिए सेफ्टी रेज़र ( उत्तरा ) पास रखना चाहिए। यदि उत्तरा न हो तो किसी नियत समय पर नाई से प्रति दिन आने के लिए कह देना चाहिए। यदि सामुद्रिक बोमारी के कारण वाल साफ करने को इच्छा न हो तो नाई से ऐसा कहला देना चाहिए। किन्तु यदि अच्छा न मालूम पड़े और अपने कमरे में नाई को बुलाकर वाल साफ करने की इच्छा हा तो नाई आ तो जायगा, किन्तु तब वह फीस अधिक लेगा। नाई की दृक्कान पर जाने से फीस कम देनी पड़ती है।

अपने कैविन के प्रबन्धक को बख्शीश अवश्य देनी चाहिए। वह यात्री को सब प्रकार से आराम पहुँचाने की कोशिश करता है। कभी-कभा उसे एक सिगार दे देना चाहिए। इससे वह बहुत प्रसन्न रहेगा और सारा काम बड़ी खुशी से करेगा।

### जहाज पर पहनने के वस्त्र

जहाज पर पहनने के लिए वस्त्र इस प्रकार होने चाहिएः—

डेढ़ दर्जन कमीजें, जिनमें ६ रेशमी, ६ सूती और ६ लिनेन की होनी चाहिएँ, नीचे के पहनने के वस्त्र आधे दर्जन, चार दर्जन कालर और स्माल, और दो दर्जन मोजे। यदि जहाज पर कपड़ों के धोने का प्रबन्ध हो सके तो साथ में मैले कपड़े बहुत से न ले जाने चाहिए। सफेद कमीजें तो केवल नाचने के अवसर पर पहनी जाती हैं। जहाज पर भोजन के समय आजकल मुलायम लिनेन की कमीजें पहनी जाती हैं। इनके अतिरिक्त ८ जोड़ी पाजामे, एक स्नान करने का गाऊन, तौलिया और कुछ जूते की लेसे (फीते) भी साथ में रहे। ट्वीड का एक लम्बा कोट भी साथ में रहे। सभी जूतों की ऐडी में रवर लगा रहना चाहिए। जहाज पर अपने वस्त्रों को साफ करा लेना चाहिए।

समुद्र-यात्रा के आरम्भ में देर तक चहल-कदमी करके भोजन न करना चाहिए। भोजन बड़ी होशियारी में करना चाहिए। भोजन के पहले थोड़ी चहल-कदमी अच्छी है।

तट की अपेक्षा जहाज़ पर शराब अधिक सस्ती मिलती है। जिस शराब की ज़रूरत हो, वह प्रबन्धक से कह देने से फौरन् मिल जायगी।

प्रति सप्ताह प्रबन्धक भोजन का विल पेश करता है। यात्रियों को इसे फौरन् अदा कर देना चाहिए।

### डेक के शिष्टाचार

यात्रियों को डेक की सतह का बड़ा स्वाल रखना चाहिए। ये प्रतिदिन साफ किये जाते हैं।

डेक पर दूसरों की कुर्सियों पर न तो स्वयं बैठना चाहिए और न दूसरों के अख्लावारों या पुस्तकों ही को उठाकर पढ़ना चाहिए। कागजों को भी फाड़कर डेक पर न फैलाना चाहिए।

कुर्सियों के बगल से बड़ी सावधानी से गुज़रना चाहिए। यह ध्यान में रखना चाहिए कि शायद कुर्सियों पर कुछ बीमार लोग भी बैठे हो। उनके साथ बड़ी शान्ति से पेश आना चाहिए।

### डेक की कुर्सियाँ

डेक की कुर्सियों के सम्बन्ध में कोई सर्वव्यापी नियम नहीं है। कुछ जहाजो पर तो ये मुक़्क मिलती हैं और कुछ जहाजो पर इनके लिए किराया देना पड़ता है। यदि इस सम्बन्ध में जहाज़ का नियम न मालूम हो तो छाये में अपने लिए एक कुर्सी का प्रबन्ध करने के लिए खास प्रबन्धक को लिख देना चाहिए। वह सारा प्रबन्ध कर देगा। नियत स्थान से यात्री की कुर्सी को

कोई अन्य यात्री न ले सकेगा। उसे वहाँ से हटाना। जहाज़ी शिष्टता के विरुद्ध होगा। डेक की इस प्रकार की कुसियों को उनके नियत स्थान से हटाने की चेष्टा न करनी चाहिए।

स्थियों से जहाज़ पर उसी प्रकार व्यवहार करना चाहिए जैसा तट पर किया जाता है। यदि किसी खी से परिचय प्राप्त करना हो और परिचय कराने के लिए कोई अपना मित्र न हो तो कैप्टन से परिचय कराने के लिए कहना चाहिए। खी के रक्क से इस सम्बन्ध में मिलना अधिक उत्तम है।

### डेक पर नृत्य

डेक पर नृत्य करने की भी चाल है। कभी-कभी तो जहाज़ के हिलने-हुलने से नृत्य में जिमनास्टिक का मज़ा मिलता है। इन नृत्यों में भी स्थल के नृत्यों के शिष्टाचारों का व्यवहार किया जाता है।

### जहाज़ के मित्र

जहाज पर जल्दी किसी से मैत्री न करनी चाहिए। अजन-दियों से स्वतन्त्रतापूर्वक रोक्खगार की भी वात न करनी चाहिए। दहुत से दुष्ट लोग यात्रियों को ठगने का मौका ढूँढ़ा करते हैं। कभी-कभी ये बदमाश पकड़े भी जाते हैं। किन्तु इनसे दच्छा ही अविक उत्तम है। ध्यान रहे कि ये लोग सभ्य पुरुषों के देश में रहते हैं।

यदि साथ में स्थियों भी भक्त कर रही हों तो यात्रा में दड़ी हारियारी की ज़मरत होती है।

---

## मृत्यु के जुलूस और मातम

कुदुम्ब के मुखिया को घर में हुई मृत्यु की सूचना लिखकर मित्रों और कुदुम्बिया को देनी पड़ती है। यदि सूचना समाचार-पत्रों में छपानी हो तो यह कार्य उसी मनुष्य पर सौंपा जाता है जो शब के दफनाने इत्यादि का प्रबन्ध करता है।

यदि सूचना में स्पष्टतः मनाई न की गई हो तो शोक-सन्तान परिवार को सान्त्वना देने के लिए मित्र और कुदुम्बीगण फूल भेजते हैं। पहले तो केवल सफेद पुष्पों का रिवाज था। अब सफेद फूलों का ही भेजना आवश्यक नहीं समझा जाता। इन पुष्पों के साथ भेजने वाले के नाम का एक कार्ड होना चाहिए। इसी पर सहानुभूति-सूचक कुछ सन्देश भी लिख देना चाहिए।

सहानुभूति-सूचक पत्रों का लिखना बड़ा कठिन काम है। ये पत्र मन के उद्गार के अनुसार ही लिखने चाहिए। मृत व्यक्ति के गुणों के सम्बन्ध में सहानुभूति-सूचक कुछ लाइने लिख देनी चाहिए। लम्बे-चौड़े पत्र से पत्र पाने वाले का दुख ही बढ़ता है। चिट्ठी पर काला वार्डर लगाया जा सकता है। किन्तु काला वार्डर बहुत आवश्यक नहीं है। मातम में पुरुषों को काली नेकटाई पहननी चाहिए। दस्ताने भी काले हो, किन्तु कबूतरी रङ्ग भी अच्छा है।

शब के जुलूस में शरीक होने के लिए जिन्हे निमन्त्रण दिया गया हो उन्हें नियत समय पर काले कपड़े पहनकर मृत व्यक्ति

के मकान पर जाना चाहिए। शव-जुलूस में शामिल होने के पहले सब लोग एक कमरे में एकत्र होते हैं। मोटर और गाड़ी में आने वाले लोग अपनी-अपनी गाड़ियों में चलते हैं। नियम तो यह है कि निमन्त्रित व्यक्तियों के लिए आतिथेय द्वारा गाड़ी का प्रबन्ध किया जाता है।

जुलूस के तैयार हो जाने पर शव के बाद सबसे पहले कुदुम्ब की खिर्चा दिखलाई पड़ती है। पुरुष-नारा उन्हे गाड़ियों अथवा मोटरों में ले जाकर पहुँचा आते हैं।

## शव का जुलूस

शव के जुलूस के साथ लोगों के चलने का क्रम इस प्रकार रहता है :—

आने अर्थी रहती है। अर्थी के बाद नज़दीकी रिस्तेदार अथवा उनके प्रतिनिधि, उसके बाद दूर के सम्बन्धी और तब मित्र-नारा चलते हैं।

आज-न्कल शव के जुलूस के बाद घर लौटकर भोज करने की प्रथा उठ गई है। अतएव प्रार्थना किये जाने पर भी मित्रों को मृत व्यक्ति के घर पर न लौटना चाहिए।

अर्थी के जुलूस के कुछ दिनों के बाद लोग समवेदना-प्रदर्शन की मुलाकात के लिए जाते हैं। समवेदना के लिए आने वाले व्यक्ति ने घर में न जाकर देवल एक काढ़ भेज देना चाहिए। उन पर यहो लिखा रहना चाहिए कि ‘पृष्ठ-न्तोष के लिए आये थे’।

कुदुम्ब के लोग, लोगों से मिलने-जुलने के योग्य हंगा जाने पर समवेदना और सहानुभूति-सूचक पत्रों का जवाब देते हैं। इस जवाब को पाने के बाद ही मित्रों को मुलाक़ात के लिए जाना चाहिए। घर पहुँचकर वहाँ केवल १५ मिनट ठहरना चाहिए। शोक-सन्तान कुदुम्बी जब तक स्वयं मृत व्यक्ति के विषय में कुछ न कहे, मित्रों को मृत व्यक्ति का जिक्र भी न करना चाहिए।

### मातम

आज-कल मातमी पोशाक में बहुत कुछ परिवर्तन हो गया है। मातमी पोशाक पहनने की अवधि भी घटा दी गई है। क्रेप ( काला कपड़ा ) पहनने की प्रथा तो एक प्रकार से एकदम उड़ा दी गई है। केवल विधवाएँ इसे पहनती हैं।

मातम के सम्बन्ध में पुरुषों को बड़ी स्वतन्त्रता दी गई है। केवल एक काली टाई पहनना पर्याप्त है। रँडुए को छोड़कर अन्य कोई भी व्यक्ति मातम के लिये काला वस्त्र नहीं पहनता। कभी-कभी क्रेप की एक पट्टी वाये हाथ में बाँध ली जाती है।

मातम की अवधि इस प्रकार है:—

विधवाएँ मातम दोन्दे वर्षों तक मनाती हैं। किन्तु हाल में अवधि और भी कम कर दी गई है। क्रेप का बहुत व्यवहार नहीं किया जाता। १२ महीने के बाद क्रेप छोड़ दिया जाता है। हैट और वारोक धूँधट एक वर्ष और १ दिन तक पहने जाते हैं। सफेद कॉलर और कफ भी उतनी ही अवधि तक पहने जाते हैं।

घोर मातम के समय आभूपणों में से मोतियाँ और हीरों का व्यवहार बहुत कम किया जाता है। मातम वीत जाने के कुछ दिनों बाद इनका व्यवहार किया जा सकता है। सुवर्ण तो मातम के बाद १ साल तक नहीं पहना जाता।

मातम के तीन महीने बाद तक विघचाएँ प्रायः समाज से प्रुथक् रहते हैं। उसके बाद भी उनका आना-जाना केवल मित्रों और कुदुम्बियों के यहाँ होता है। धीरें-धीरे वह समाज में प्रकट होती हैं। किन्तु नृत्य आदि में तो वह कम से कम एक वर्ष तक भाग नहाँ लेती।

वज्रों, वहुओं और जामाताओं की मृत्यु पर माँ-बाप १२ महीने मातमो वस्त्र पहनते हैं। १० महीने काले वस्त्र और दो महीने सफेद अथवा भूरे वस्त्र। वच्चे भी माँ-बाप को मृत्यु पर इसी नियम का पालन करते हैं।

बहुत छोटे बच्चा के लिए तीन में ६ महीने तक मातर्मा वस्त्र पहने जाते हैं।

भाई वहन, साले, वहनोई या भौजाई के लिए मातम की अवधि ४ से ६ मास तक है। एक मास के बाद नुवर्ण के आभूपणों का व्यवहार किया जा सकता है।

चाचा और चाची के लिए ६ मप्राह में तीन महीने तक वा अवधि है।

पितामह और पितामही के लिए ४ से ६ मास तक जी अवधि है। एवं मास व्यतीत हो जाने के बाद हीरे और डेट मास बाद न्दगो द्वा व्यवहार किया जा सकता है।

कुदुम्ब के लोग, लोंगो से मिलने-जुलने के योग्य हो जाने पर समवेदना और सहानुभूति-सूचक पत्रों का जवाब देते हैं। इस जवाब को पाने के बाद ही मित्रों को मुलाकात के लिए जाना चाहिए। घर पहुँचकर वहाँ केवल १५ मिनट ठहरना चाहिए। शोक-सन्तास कुदुम्बी जब तक स्वयं मृत व्यक्ति के विषय में कुछ न कहे, मित्रों को मृत व्यक्ति का जिक्र भी न करना चाहिए।

### मातम

आज-कल मातमी पोशाक में बहुत कुछ परिवर्तन हो गया है। मातमी पोशाक पहनने की अवधि भी घटा दी गई है। क्रेप ( काला कपड़ा ) पहनने की प्रथा तो एक प्रकार से एकदम उड़ा दी गई है। केवल विधवाएँ इसे पहनती हैं।

मातम के सम्बन्ध में पुरुषों को बड़ी स्वतन्त्रता दी गई है। केवल एक काली टाई पहनना पर्याप्त है। रँडुए को छोड़कर अन्य कोई भी व्यक्ति मातम के लिये काला वस्त्र नहीं पहनता। कभी-कभी क्रेप की एक पट्टी वाये हाथ में बॉध ली जाती है।

मातम की अवधि इस प्रकार है.—

विधवाएँ मातम दोन्हों वर्षों तक मनाती हैं। किन्तु हाल में अवधि और भी कम कर दी गई है। क्रेप का बहुत व्यवहार नहीं किया जाता। १२ महीने के बाद क्रेप छोड़ दिया जाता है। हैट और वारोक धृंघट एक वर्ष और १ दिन तक पहने जाते हैं। सफेद कॉलर और कफ भी उतनी ही अवधि तक पहने जाते हैं।

प्रोर मातम के समय आभूषणों से से मोतिया और हीरों का व्यवहार बहुत कम किया जाता है। मातम बीत जाने के कुछ दिनों बाद उनका व्यवहार किया जा सकता है। सुवर्ण तो मातम के बाद १ माल तक नहीं पहना जाता।

मातम के तीन महीने नाद तक विधवाएँ प्रायः समाज से पृथक् रहती हैं। उम्रके बाद भी उनका आना-जाना केवल मित्रों और कुटुम्बिया के यहों होता है। धीरे-धीरे वह समाज में प्रकट होती है। किन्तु नृत्य आदि में तो वह कम से कम एक वर्ष तक भाग नहीं लेती।

बच्चों, बहुओं और जामाताओं की मृत्यु पर माँ-बाप १२ महीने मातमी वस्त्र पहनते हैं। १० महीने कालं वस्त्र और दो महीने सफेद अथवा भूरे वस्त्र। बच्चे भी माँ-बाप की मृत्यु पर इसी नियम का पालन करते हैं।

बहुत छोटे बच्चा के लिए तीन से ६ महीने तक मातमी वस्त्र पहने जाते हैं।

भाई, बहन, साले, बहनोई या भौजाई के लिए मातम की अवधि ४ से ६ मास तक है। एक मास के बाद सुवर्ण के आभूषणों का व्यवहार किया जा सकता है।

चाचा और चाची के लिए ६ सप्ताह से तीन महीने तक का अवधि है।

पितामह और पितामही के लिए ४ से ६ मास तक की अवधि है। एक मास व्यतोत हो जाने के बाद हीरे और डेढ़ मास बाद स्वर्ण का व्यवहार किया जा सकता है।

भतोजे अथवा भतोजी के लिए ६ सप्ताह से ३ मास तक का अवधि है।

चचेरे भाई अथवा बहिन के लिए ४ से ६ सप्ताह तक का अवधि है।

पति के सम्बन्धियों के लिए मातम की अवधि और भा कम होतो है।

यों तो मातम की अवधि के सम्बन्ध में व्यक्तिगत इच्छाओं के अनुसार परिवर्तन इत्यादि भी होता रहता है। किन्तु आम तौर पर ऊपर दिए गये नियमों के अनुसार वर्तव करना ही शिष्टाचार है।

---

## चिट्ठी-पत्री

कई दिना तक चिट्ठियों का जवाब न देना, विशेषत यदि वे किया. बृहजनों अथवा माननीय व्यक्तियों द्वारा लिखी गई हों, अशिष्टना है। निमन्त्रण के पत्रों का उत्तर २४ घण्टे के अन्दर देना चाहिए। नफेद कागज़ और लिफाफ़ों का व्यवहार करना चाहिए। निमन्त्रण के पत्र पर पता छपा या खुदा हुआ होना चाहिए। बहुत भजावट आजकल अच्छी नहीं समझी जाती। पदवीधारी व्यक्तिया का अपनी पदविर्यां वडी सहूलियत से छपानी चाहिए। बहुतेरे न्यो-पुरुष वडी शान से उसे पत्र पर छपाकर अशिष्टता का परिचय देते हैं। कुदुम्ब के मोटो (आदर्श वाक्यों) को बहुत भड़कोले ढब्ब पर न छापना चाहिए। कभी-कभी आदर्श वाक्यों को छपाइ-सफाई उन वाक्यों से कही अधिक भड़कीली दीख पड़ती है।

इवारत स्पष्ट, साफ़ और बनान्वना कर काली रोशनाई में लिखो रहनो चाहिए। पत्र के आरम्भ में 'महाशय' या 'महाशया' लिखकर जो नाम छोड़ दिया जाता है, उसकी प्रति पत्र के नीचे वाई तरफ़ उसके महाशय अथवा महाशया का नाम लिखने से हो जातो है। व्यवसाय-सम्बन्धी पत्रों में महाशय अथवा महाशया के ऊपर उनका नाम और पता भी लिख देना चाहिए।

यदि पत्र का जवाब पाने के लिए अपना पता लिखा हुआ लिफ़ाफ़ा भी भेजने की जास्ती पढ़े तो उस लिफ़ाफ़े पर अपने नाम के आगे स्थायं 'एस्कायर' न लिखना चाहिए।

अपने नाम के आगे अपनी पदवियाँ लिखना अच्छा नहीं है। यद्यपि यूरोप और कहीं-कहीं इंग्लैण्ड में ऐसा लिखने की चाल है। उच्च श्रेणी के लोग केवल अपना पद लिखते हैं।

व्यवसाय-सम्बन्धी पत्रों में जिन सक्षेप रूपों का प्रचार है, उन्हे प्राइवेट पत्र-व्यवहार में न लिखना चाहिए।

टाइप किये गये व्यवसाय-सम्बन्धी पत्रों पर कलम-दबात मे हस्ताक्षर करना चाहिए। केवल विशेष मित्रों ही को प्राइवेट पत्र टाइप करके भेजना चाहिए। मित्रों को टाइप करके पत्र भेजना अच्छी आदत नहीं है।

विवाहिता स्थियाँ और विधवाएँ अपने नाम से नहीं, बरन अपने पति के नाम से प्रसिद्ध की जाती हैं। उदाहरणार्थ, 'मिसेज् मेर्गे स्मिथ' न लिखकर 'मिसेज जॉन स्मिथ' लिखना चाहिए। पदवीधारी पुरुषों की विधवाओं के पद के आगे उनका क्रिश्चियन (संस्कृत) नाम लिखा जाता है। यथा—'लॉरा लेडी लेडिङ्ग', 'मेरिया मार्शियोनेस आफ् एड्सबेरी', 'जार्जिना वार्डिकाउण्टेस् मेडवे', 'मेरी डचेज् आफ् च्लैड्सटन।' ड्यूक, गार्किंग और अलें जौ की कुमारी लड़कियों का क्रिश्चियन नाम उनके पद और सम्मान-वाची शब्दों के बीच मे लिखा जाता है। यथा—'लैटी मैरी वेकर'। विवाह होजाने पर भी उनका यही नाम

रहता है। केवल उनके पद के स्थान पर उनके पति का पद जोड़ दिया जाता है, यथा—‘लेडी मैरी गार्थ’। किन्तु यदि पति विशेष-श्रेणी का पदवी-धारी व्यक्ति हुआ तो लड़ी का नाम पति के नाम और पद में समाविष्ट हो जाता है।

आजकल पत्रों में लोग अपने लिए अन्य पुरुष सर्वनाम नहीं लिखते। कायदे के अनुसार दिये गये निमन्त्रण-पत्रों और उनके उत्तरों में अन्य पुरुष का प्रयोग किया जाता है। किन्तु अजनबियों के साथ पत्र-व्यवहार में उत्तम पुरुष ही का प्रयोग करना अधिक उत्तम है। अन्य पुरुष में प्रयुक्त पत्रों के उत्तर में अन्य पुरुष ही का प्रयोग करना चाहिए। व्यवसायी लोगों को भी पत्र अन्य पुरुष में इस प्रकार लिखा जाता है—“कुछ मरम्मत कराने के काम के सम्बन्ध में यदि मि० जोन्स कृपया मि० एडिलकॉट से मिलेंगे तो वे बहुत वाधित होंगे।” इस प्रकार के पत्र का उत्तर उत्तम पुरुष में देना चाहिए।

परिचय कराने के विषय में पत्रों का लिखना बहुत कठिन है। यह कठिनाई तब और भी बढ़ जाती है जब परिचय के पत्र लिखने को प्रेरणा की जाती है। इस प्रकार के पत्रों को सील कर के न देना चाहिए। किन्तु यदि परिचय कराये गये व्यक्ति के सम्बन्ध में कुछ विशेष बातें उस व्यक्ति को जनानी हों जिससे परिचय कराया गया हो तो एक प्राइवेट पत्र उस मनुष्य के पास अलग भेज देना चाहिए। यह पत्र उस परिचय कराये जाने वाले व्यक्ति को दिये गये पत्र से पहले पहुँचना चाहिए। परिचय का पत्र पाते ही

पत्र पाने वाला व्यक्ति परिचित व्यक्ति का आदर-सम्मान करने लगता है। यदि वह पुरुष समाज में वरावर की श्रेणी का हो तो उसे अपने साथ भोजन करने के लिए दुलाना चाहिए। यदि वह व्यक्ति अपने से उच्च श्रेणी का हो तो उसकी सेवा के लिए हाजिर होना चाहिए और यदि वह निम्न श्रेणी का हो तो यह जानना चाहिए कि अपने से उस व्यक्ति का क्या लाभ हो सकता है। परिचय के पत्र ले आने वाले लोग स्वयं उस व्यक्ति के पास उन पत्रों को ले जाते हैं जिसके लिए वे पत्र दिये जाते हैं। यदि वह व्यक्ति घर पर न हो तो उसके मकान पर अपना काढ डाल आना चाहिए। तब वह व्यक्ति स्वयं आगन्तुक से मिलने आयेगा। इस मिलन के बाद निमन्त्रण दिया जा सकता है।

### चिट्ठी-पत्री के शिष्टाचार

वादशाह से लेकर निम्न श्रेणी के पुरुषों तक को पत्र के ऊपर सम्बोधन में 'सर' ( महाशय ) लिखा जाता है। खियों के लिए 'मैडम' ( महाशया ) का प्रयोग किया जाता है। व्यवसायी लोग अपने उच्च श्रेणी के ग्राहकों को पत्र में 'योर रायल हार्डिनेस', 'योर प्रेस', 'योर लेडीशिप' आदि लिखकर सम्बोधन करते हैं। पत्रों के पते भी वे इस प्रकार लिखते हैं।

हिज़ मैजेस्टी दो किङ्ज

हिज़ मैजेस्टी दी बोन

हिज़ रायल हार्डिनेस दी प्रिंस आफ़ वेल्स की सेवा में।

शाहो खान्दान के अन्य व्यक्तियों को भी इसी प्रकार लिखने का कायदा है। यथा—हिज़ हाईनेस दी ड्यूक आफ़ कॅनॉट की सेवा में।

### पते के सिरनामे

पत्र पर पता लिखते समय दो नियम हैं। निम्न श्रेणी के व्यक्ति विशेष ढङ्ग से पते देते हैं और वरावर की श्रेणी के लोग साधारण ढंग से पते लिखते हैं। पते लिखने के साधारण और असाधारण दोनों ढङ्ग इस प्रकार हैं—

साधारण ढङ्ग

विशेष ढङ्ग

दो ड्यूक आफ—

हिज़ ग्रेस दी ड्यूक आफ—  
की सेवा में।

दो डचेज आफ—

हर ग्रेस दी डचेज आफ—  
की सेवा में।

दो मार्किंस आफ—

दी मोस्ट ऑनरेबुल दी मार्किंस  
आफ—की सेवा में।

दो मार्शियोनेस आफ—

दी मोस्ट ऑनरेबुल दी मार्शियो-  
नेस आफ—की सेवा में।

दो अर्ल आफ—

दी रडट ऑनरेबुल दी अर्ल  
आफ—की सेवा में।

दा काउर्टेस आफ—

दी रडट ऑनरेबुल दी काउर्टेस  
आफ—की सेवा में।

साधारण ढंग	विशेष ढंग
दो वार्डकाउट—	दी राइट ऑनरेबुल दी वार्ड- काउटएटेस—की सेवा मे।
दोवार्ड काउटएटेस—	दी राइट ऑनरेबुल दी वार्ड- काउटएटेस—की सेवा मे।
लार्ड—	दो राइट ऑनरेबुल लार्ड—या वैरन—की सेवा मे।
लेडी—	दी राइट ऑनरेबुल लेडी—या वैरनेस—की सेवा मे।

### प्रिवी कॉसिल के मेम्बरों के सिरनामे

प्रिवी कॉसिल के मेम्बरों के सिरनामे पर 'राइट ऑनरेबुल' लिखा जाता है। इस सम्बन्ध मे कामन्स सभा के सदस्यों के नाम के पोछे 'एस्कायर' शब्द नहीं जोड़ा जाता। नाम इस प्रकार लिखा जाता है :—दो राइट ऑनरेबुल जेम्स स्मिथ, एम० पी०।

### राजदूत-गण

राजदूत-गण और उनकी भार्याओं के नाम के आगे 'हिज्ज  
एक्सेलेन्सो' और 'हर एक्सेलेन्सी' लिखकर नाम के बाद राजदूत का पद इत्यादि लिखा जाता है। यथा—फ्रांस के एम्बेसेडर एक्स्ट्रा आडिनरो (विशेष राजदूत) और प्लेनीपोटेन्शियरी (सब शक्तियों मे युक्त) हिज एक्सेलेन्सी दी अर्ल आफ की सेवा मे। हर एक्सेलेन्सी दी काउटएटेस आफ को मेवा मे।

अन्य सरकारी कर्मचारियों के सिरनामे इस प्रकार लिखे जाते हैं—

हिंज ग्रेस दो आर्क विशप आफ	की सेवा मे ।
दो राइट रेवरेण्ड दी विशप आफ	की सेवा मे ।
दो बेरो रेवरेण्ड दी डीन आफ	की सेवा मे ।

विद्वत्ता-सूचक पदवियों नाम के बाद जोड़ी जाती हैं। जैसे—  
डाक्टर आफ लॉज़, अथवा लर्निङ्ग के लिए एल-एल० डी० और  
डाक्टर आफ डिविनिटी के लिए डी० डी० लिखा जाता है।

वास्तव मे केवल विशेष श्रेणी के लोगों को ही अपने नाम के बाद 'एस्कायर' लिखने का अधिकार है। किन्तु आज-कल तो सभी लोग अपने नाम के आगे इस शब्द को लिख सकते हैं।

### पत्र का आरम्भ करना

जैसा पहले लिखा जा चुका है, बादशाह को पत्र लिखते समय पत्र का आरम्भ 'सर' से करना चाहिए। अन्त मे लोग हस्ताक्षर करने के पहले यों लिखते हैं—“आई हैव दि आॅनर टु सवमिट माईसेल्क,” “विथ ग्रोफाउण्ड रेस्पेक्ट योर मैजेस्टीज मोस्ट डिवोटेट सर्वेण्ट।”

'सर' शब्द के ऊपर “हिंज मैजेस्टी दी किंग” लिख देना चाहिए।

प्रिंस आफ वेल्स के पत्र के आरम्भ में भी 'सर' के ऊपर “हिंज रॉयल हाईनेस प्रिंस आफ वेल्स की सेवा मे” लिख देना

चाहिए। मित्रनारण ‘डियर प्रिंस’ और कुछ विशेष जान-पहचान के लोग “माई डियर प्रिंस” लिखते हैं। पत्र के अन्त में हस्ताक्षर के पहले “योर रॉयल हार्डनेसेज ड्यूटीफुल ऐरड ओविडिएएट सर्वेंट” या “योर रॉयल हार्डनेसेज ड्यूटीफुल ऐरड मोस्ट ओविडिएएट सर्वेंट” लिखा जाता है। अन्य राजकुमारों और राजकुमारियों के लिए अन्त में “मोस्ट ऑम्बुल ऐरड ओविडिएएट सर्वेंट” लिखा जाता है। राजधराने के अतिरिक्त ड्यूकों को ‘डियर ड्यूक’ या अन्य लोगों द्वारा “माई लॉर्ड ड्यूक, मे इट सोज़ योर प्रेस” लिखा जाता है। डचेज़ को पत्र लिखते समय “माई लेडी” के ऊपर उनकी पदवी लिखी जाती है। कायदे के अनुसार लिखे गये पत्रों में मार्किस को “माई लार्ड मार्किस” लिखने की प्रथा है।

ड्यूक, मार्किस और अर्लों के पुत्रों और पुत्रियों के कृशिचयन नामों को पदवी के नाम के साथ न लिखने की गलत प्रथा प्रचलित है। लड़कों के कृशिचयन नाम के आगे ‘लार्ड’ लिखने की प्रथा है—यथा—“लार्ड अलफ्रेड ओस्वर्न”, “लार्ड हेनरी समरसेट।” इनमें से किसी के लिए केवल “लार्ड ओस्वर्न” अथवा “लार्ड समरसेट” लिखना गलती करन।

लड़कियों के कृशिचयन नामों के आगे लेडी लिखने की प्रथा है। यथा—“लेडी एमिली हेनज” के स्थान पर ‘लेडी हेनेज’ लिखना गलत है। यदि इनका विवाह, जी साधारण आदमी के साथ हुआ तो वेवल ‘लेडी एमिली’ लिखा जायगा

जिन लोगों को पदवियों से विशेष जानकारी नहीं है, उनको ये सब बाते बड़ी पेचीदी मालूम पड़ती हैं और इनके सम्बन्ध में गलती करने से अज्ञान प्रकट होता है। पदवीधारी व्यक्तियों का कृशिचयन नाम उनके पदवी के नाम के 'साथ न जोड़ने से उनको बड़ी तरदूद होती है। एक नाइट को स्नो भो 'लेडी स्मिथ' या 'जोन्स' कहलाती है। किन्तु 'स्मिथ' या 'जोन्स' के आगे कृशिचयन नाम जोड़ देने से यह प्रकट हो जाता है कि इस नाम का व्यक्ति किसी छ्यूक, मार्किस अथवा अर्ल की लड़को है।

पदवीधारी व्यक्तियों के पत्र के आरम्भ में एक अजनबी 'डियर लेडो एमिली हेन्न' लिखेगा। किन्तु इसके स्थान पर केवल 'डियर एमिली' लिखना चाहिए। निम्न श्रेणी के लोग 'मैडम' के ऊपर स्नो का पदवी-न्युक्त नाम लिखते हैं; अथवा केवल 'मैडम' लिखकर पत्र के अन्त में पदवी-न्युक्त नाम लिखते हैं।

राजदूत अथवा उसकी पत्नी के पत्र में 'सर' अथवा 'मैडम' के ऊपर उनका पदवी और खिताव-न्युक्त नाम लिखते हैं। निम्न श्रेणी के लोगों के लिए आरम्भ में "मे इट सीज योर एक्सेलेन्सी" और अन्त में "आई हैव दि ऑनर टु वि योर एक्सेलेन्सीज मोस्ट ओम्बुल, ओविडिएएट सर्वेंट"।

एक आर्क विशेष के पत्र के आरम्भ में 'योर ग्रेस' और अन्त में "आई रिमेन योर ग्रेसेज मोस्ट ओविडिएएट सर्वेंट"।

चाहिए। मित्र-गण ‘डियर प्रिस’ और कुछ विशेष जान-पहचान के लोग “माई डियर प्रिस” लिखते हैं। पत्र के अन्त में हस्ताक्षर के पहले “योर रॉयल हार्डेनेसेज ड्यूटीफुल ऐएड ओविडिएट सर्वेट” या “योर रॉयल हार्डेनेसेज ड्यूटीफुल ऐएड मोस्ट ओविडिएट सर्वेट” लिखा जाता है। अन्य राजकुमारों और राजकुमारियों के लिए अन्त में “मोस्ट ऑम्बुल ऐएड ओविडिएट सर्वेट” लिखा जाता है। राजघराने के अतिरिक्त ड्यूकों को ‘डियर ड्यूक’ या अन्य लोगों द्वारा “माई लार्ड ड्यूक, मे इट सोज यार ग्रेस” लिखा जाता है। डचेज को पत्र लिखते समय “माई लेडी” के ऊपर उनकी पदवी लिखी जाती है। कायदे के अनुसार लिखे गये पत्रों में मार्किस को “माई लार्ड मार्किस” लिखने की प्रथा है।

ड्यूक, मार्किस और अलों के पुत्रों और पुत्रियों के कृशिचयन नामों को पदवी के नाम के साथ न लिखने की गलत प्रथा प्रचलित है। लड़कों के कृशिचयन नाम के आगे ‘लार्ड’ लिखने की प्रथा है—यथा—“लार्ड अल्फ्रेड ओस्वर्न”, “लार्ड हेनरी समरसेट।” इनमें से किसी के लिए केवल “लार्ड ओस्वर्न” अथवा “लार्ड समरसेट” लिखना गलती करना।

लड़कियों के कृशिचयन नामों के आगे लेडी लिखने की प्रथा है। यथा—“लेडी एमिली हेनज” के स्थान पर ‘लेडी हेनेज’ लिखना गलत है। यदि इनका विवाह, “साधारण आदमी के साथ हुआ तो केवल ‘लेडी एमिली’ लिखा जायगा

जिन लोगों को पदवियों से विशेष जानकारी नहीं है, उनको ये सब बाते बड़ी पेचीदी मालूम पड़ती हैं और इनके सम्बन्ध में गलती करने से अज्ञान प्रकट होता है। पदवीधारी व्यक्तियों का कृशिक्यन नाम उनके पदवी के नाम के 'साथ न जोड़ने से उनको बड़ी तरदूदुद होती है। एक नाइट को स्त्री भी 'लेडी स्मिथ' या 'जोन्स' कहलाती है। किन्तु 'स्मिथ' या 'जोन्स' के आगे कृशिक्यन नाम जोड़ देने से यह प्रकट हो जाता है कि इस नाम का व्यक्ति किसी छ्यूक, मार्किस अथवा अर्ल की लड़को है।

पदवीधारी व्यक्तियों के पत्र के आरम्भ में एक अजनवी 'डियर लेडो एमिली हेनन' लिखेगा। किन्तु इसके स्थान पर केवल 'डियर एमिली' लिखना चाहिए। निम्न श्रेणी के लोग 'मैडम' के ऊपर स्त्री का पदवी-युक्त नाम लिखते हैं, अथवा केवल 'मैडम' लिखकर पत्र के अन्त में पदवी-युक्त नाम लिखते हैं।

राजदूत अथवा उसको पत्नी के पत्र में 'सर' अथवा 'मैडम' के ऊपर उनका पदवी और खिताब-युक्त नाम लिखते हैं। निम्न श्रेणी के लोगों के लिए आरम्भ में "मे इट सीज योर एक्सेलेन्सी" और अन्त में "आई हैव दि ऑनर टु वि योर एक्सेलेन्सीज मोस्ट ओम्बुल, ओविडिएएट सर्वेंट"।

एक आर्क विशेष के पत्र के आरम्भ में 'योर प्रेस' और अन्त में "आई रिमेन योर प्रेसेज मोस्ट ओविडिएएट सर्वेंट"।

विशाप के पत्र के आरम्भ में “मार्ड लार्ड” या “राइट रेवरेण्ड सर” या “मे इट सीज योर लार्डशिप” और अन्त में “आई रिमेन मार्ड लार्ड योर मोस्ट ओविडिएएट सर्वेण्ट” लिखा जाता है।

डोन के पत्र के आरम्भ में “वेरी रेवरेण्ड सर” या “मि० डीन” लिखा जाता है। विशेष जान-पहचान के लोग ‘डियर मि० डीन’ लिखते हैं। अपरिचित लोगों को पत्र के अन्त में “आई हैव दि ऑनर दु वि योर मोस्ट ओविडिएएट सर्वेण्ट” लिखते हैं।

डिविनिटी के डाक्टरों और अन्य पाद्धरियों के पत्रों के आरम्भ में केवल ‘रेवरेण्ड सर’ लिखा जाता है।

मित्र-नगण ‘डियर आर्क विशाप,’ ‘डियर डोन’, ‘डियर विशाप’. या ‘डियर डॉक्टर’ लिखते हैं।

लेफिटनेंटों और सब-लेफिटनेंटों को छोड़कर सेना-विभाग के सभी कर्मचारियों के नामों के साथ उनका जिताव और सेना का नाम लिखा जाता है। लेफिटनेंटों के पत्रों पर ‘एस्कायर’ लिखा जाता है।

नव सेना के एडमिरलों के नाम के आगे ‘दो ऑनरेबुल’ लिखा जाता है। पत्र के आरम्भ में ‘सर’ और अन्त में “आई रिमेन सर, योर मोस्ट ओविडिएएट सर्वेण्ट” लिखने की प्रथा है। नवसेना के कैप्टनों, कमाण्डरों और लेफिटनेंटों के नामों के बाद ‘आर० एन०’ (रॉयल नेवी) लिखा जाता है। किन्तु सब-लेफिटनेंटों के नाम के बाद केवल ‘एस्कायर’ लिखा जाता है।

## चिट्ठी-पत्री के कागज इत्यादि

चिट्ठी-पत्री के कागजों से भी मनुष्य की शिष्टता का बहुत कुछ अनुमान किया जाता है। अतएव इस सम्बन्ध में सदा किसो अच्छे स्टेशनर से सलाह लेकर कार्य करना चाहिए।

चिट्ठी का कागज, जो वडिया से वडिया मिल सके, उसे काम में लाना चाहिए। इस पर नाम इत्यादि बड़ी सहूलियत से खुदा रहे और रङ्ग इत्यादि बड़ा भड़कीला न हो। चिट्ठी को सील करने को लाख काली होनी चाहिए, यद्यपि अन्य रङ्गों की लाखें भी काम में लायो जा सकती हैं।

चिट्ठो पर जो डार लगायी जाय, उसका वही रङ्ग हो जो लाख का रहे।

---

## पेशे-सम्बन्धी शिष्टाचार

### डॉक्टरों का बदलना

यदि वोमार व्यक्ति की दशा में कोई परिवर्तन न हो, तो डॉक्टर को बदल देना चाहिए। औषधि के व्यवसायियों के सम्बन्ध में यह शिष्टता है कि जब तक एक डाक्टर चला न जाय, उस घर में दूसरा डाक्टर नहीं आता। प्रथम डाक्टर को नम्रता से विदा कर के तब दूसरे डाक्टर को बुलाना चाहिए।

यदि किसी अन्य डाक्टर से किसी मामले पर राय लेनी हो तो इसके पहले अपने डाक्टर से राय ले लेनी चाहिए।

विशेषज्ञ की फी स्वयं नोटों अथवा चेक में दे देना चाहिए। विशेषज्ञ लोग साधारण डाक्टरों की तरह अपने बिल नहीं भेजा करते। बल्कि उन्हे फौरन् फीस देने का कायदा है।

डाक्टरों और हकीमों के आगे 'डाक्टर' और 'मिं' शब्द जोड़ा जाता है। लेकिन हकीम के नाम के बाद उसकी उपाधियों भी इस प्रकार लगा देनी चाहिए—“मिं जेन्स वार्नेट, एफ० आर० जी० एस०।”

### वकील

मुकदमे के बोच में यदि वकील को बदलना हो तो अपने पहल वकील को इसको सूचना देनो चाहिए। जब तक पहला

वकोल छुड़ा न दिया जायगा, तब तक दूसरा वकोल मुकदमे को अपने हाथ मे नहीं ले सकता।

### पब्लिक स्कूल

स्कूलों के नियमों और शिष्टाचार के सम्बन्ध मे लड़कों के माँ-बाप को किसी प्रकार का भी दखल न देना चाहिए। प्रत्येक स्कूल का एक कायदा बना रहता है। लड़के की पढ़ने की उम्र के कई साल पहले ही से लड़के का नाम स्कूल की वेटिङ लिस्ट में दर्ज करा देना चाहिए।

---

## गृहस्थों के लिए कुछ हिदायतें

### ज़मीन्दार और असामी

पट्टा—प्रत्येक पट्टा लिखा होना चाहिए। तीन साल से कम के लिए यदि कोई ज़मीन या मकान किराये पर उठाया। जाय तो उसके सम्बन्ध में केवल वचन देने से भी काम चला लिया जाता है।

किन्तु तीन वर्ष से अधिक समय के लिए पट्टा अवश्य लिखा लेना चाहिए। इस प्रकार का दस्तावेज़ स्टाम्प-युक्त होना चाहिए।

वास-स्थान की योग्यता—मकान को देख लेना चाहिए कि वह मनुष्य के रहने के काविल है या नहीं। यदि मकान में रोग के कोटाणु हो या नाली इत्यादि गन्दी हो, तो किरायेदार को मकान छोड़ देना चाहिए अथवा मकान के मालिक से इन बुराइयों को दूर करा लेना चाहिए। इस कार्य में उसे जो कुछ व्यय करना पड़े, वह भी मकान के मालिक से वसूल कर लेना चाहिए।

किराये पर उठाये जाने वाले मकान दो प्रकार के होते हैं—  
एक तो सजे हुए मकान और दूसरे बिना सजे हुए। सजे हुए मकान की मरम्मत इत्यादि का सारा भार मकान-मालिक पर

रहता है। किराये के घर के सम्बन्ध में किरायेदारों को निम्न नियमों का पालन करना चाहिए :—

किराया देना, मकान का उपयोग हिफ़ाज़त से करना और मकान को अच्छी हालत में मकान-मालिक को लौटा देना, मकान को हालत की देख-भाल करने के लिए मकान-मालिक को कभी-कभी आने-जाने देना।

मकान-मालिक को चाहिए कि उसके किरायेदार को कष्ट न पहुँचे।

मकान का कुल भाग जल जाने अथवा नष्ट हो जाने से किरायेदार किराया देने से वरी नहीं हो जाता।

मरम्मत कराने के सम्बन्ध में यदि पहले से समझौता कर लिया गया हो तो किरायेदार हो पर मकान की मरम्मत का भार रहता है। ऐसी दशा में मकान गिर पड़े या आग से जल जाय तो किरायेदार ही को मकान फिर से बनवाना पड़ेगा।

यदि मकान की मरम्मत के सम्बन्ध में मकान-मालिक से कोई खास समझौता न कर लिया गया हो तो मकान की मरम्मत कराने के लिये वह उत्तरदायी नहीं है। मकान के टूटने-फूटने पर भी किरायेदार को किराया देना पड़गा। यदि मकान के गिरने से किरायेदार को चोट इत्यादि लगे तो उसके लिए भी मकान-मालिक उत्तरदायी न होगा।

मकान की मरम्मत का भार लेने पर भी जब तक मकान-मालिक को मकान मरम्मत करने की नोटिस न दी जायगी, वह

मकान की मरम्मत कराने के लिए उत्तरदायी नहीं है। किन्तु यह नियम उस दशा में लागू नहीं होता जब मकान-मालिक भी उसी मकान में रहता हो और मकान का केवल एक भाग किराये पर उठा दिया गया हो। यदि नोटिस देने पर भी मकान-मालिक मकान को मरम्मत न कराये तो किरायेदार को मकान की मरम्मत करा कर दाम का किराये में काट लेना चाहिए।

### मकानों के दलाल

यदि मकान को किराये पर उठाने में सहायता देने के लिए कोई दलाल कमीशन पर नियुक्त हो तो मकान के उठ जाने पर दलाल का कमीशन देना चाहिए। जब तक मकान किराये पर उठ न जाय, दलाल कमीशन पाने का अधिकारी नहीं है। यदि दलाल किरायेदार को ढूँढ़कर लाये और मकान-मालिक मकान को किराये पर देने से इन्कार कर दे तो दलाल कमीशन का अवश्य अधिकारी होगा।

---

## स्वामी और नौकर

### स्वामी के कर्तव्य

यदि कोई अन्य समझौता न हुआ हो तो स्वामी को अपने नौकर के भोजन और वास-स्थान का प्रबन्ध करना चाहिए। किन्तु दूवाओं के दाम और डाक्टर की फीस देने का उत्तरदायित्व स्वामी पर नहो रहता। यदि स्वामी बोमार नौकर की देखभाल के लिए अपना निजी डाक्टर बुलाये तो नौकर की तनख्वाह से डाक्टर की फीस काट लेना उचित नहो है। यदि इस सम्बन्ध में पहले से कोई विशेष समझौता हो गया हो तो वात दूसरी है।

नौकर से यदि कोई चीज टूट-फूट जाय तो भी विशेष समझौते को अनुपस्थिति में नौकर के वेतन से दाम न काटना चाहिए। नौकर को भोजन न देकर स्वामी भोजन के लिए अतिरिक्त वेतन दे सकता है। इस अतिरिक्त वेतन की रकम इतनी होनी चाहिए कि इसमें उस नौकर का गुजारा हो सके।

### नौकर के कर्तव्य

जिस काम के लिए वह नियुक्त हो उस काम में उसे स्वामी की न्याययुक्त आज्ञाओं का पालन करना चाहिए।

अपना काम होशियारी और सावधानी से करना चाहिए।

जो काम करना अनुचित हो, उसे नहीं करना चाहिए।

## नौकरी से वरतरफ़ करना

तरंगका यह है कि नौकरी से अलग करने के लिए नौकर को एक महीने की नोटिस दी जाती है। अथवा नौकरी से अलग करने समय नौकर को एक मास का वेतन दे दिया जाता है। इस रक्तम में भोजन के लिए अतिरिक्त वेतन नहीं शामिल किया जाता।

यदि नौकर कोई दुष्टता करे तो वह विना नोटिस दिये भी निकाला जा सकता है। यदि नौकर किसी कारण-वश विना नोटिस दिये निकाल दिया जाय, अथवा वह स्वयं नौकरी छोड़कर चल दे तो जिस मास में वह इस प्रकार नौकरी से अलग हो, उस मास का वेतन उसे न देना चाहिए। यदि नौकर को पहनने के लिए स्वामी से कपड़े भी मिलते हों और वर्ष के समाप्त होने के पहले ही उसे नौकरी छोड़ देनी पड़े तो उसे कपड़ों को लौटा देना चाहिए। किन्तु यदि उसे ज्वर्दस्ती निकाल दिया जाय और उससे कपड़े छीन लिये जायें ता वह कपड़ों की हानि को अपने हर्जाने मे बसूल कर सकता है। न्याय से निकाला गया नौकर यदि अहाते के बाहर न चला जाय तो उसे बल-प्रयोग करके निकाल देना चाहिए। इस सम्बन्ध मे पुलिस को महायता लेना अधिक बुद्धिमानी है।

स्वामी की मृत्यु से नौकर की नौकरी की अवधि का भी निपटाग हो जाता है। यदि नया स्वामी उस नौकर को रखना चाहे

तो इस सम्बन्ध में नया समझौता होना आवश्यक है। नौकर का शेष वेतन चुका दिया जाता है। आम तौर से मृत्यु की तिथि से एक मास का वेतन दिया जाता है।

यदि नौकर स्वामी से समझौते की शर्तों को तोड़ दे, तो उससे हर्जाना वसूल किया जा सकता है।

## नौकर का आचरण

नौकर को सदाचरण का सार्टीफिकेट देने के लिए स्वामी वाध्य नहीं है। किन्तु यदि उसे सार्टीफिकेट देना ही हो, तो उस में केवल सज्जी-सज्जी वाते लिखनी चाहिए। नौकर को अच्छे आचरण का प्रमाण-पत्र देने के बाद यदि स्वामी को यह मालूम पड़े कि नौकर उस प्रमाण-पत्र के योग्य नहीं है तो नौकर के नये स्वामी को इसकी सूचना देना उसके लिए अनुचित न होगा।

नौकर के सम्बन्ध में पत्र द्वारा पृष्ठ-ताप्ति करने में जो ज्ञान प्राप्त हो वह नये स्वामी को सम्पत्ति है। किन्तु नौकरी में शामिल हाने के समय नौकर जो अपने साथ प्रमाण-पत्र लाये, वह नौकर का सम्पत्ति है और नौकरी से अलग होने पर उसे लौटा देना चाहिए। यदि कोई स्वामी द्वेष-भाव से उक्त प्रमाण-पत्र पर कुछ विराधात्मक इवारते लिखकर उसे भ्रष्ट कर दे तो उससे हर्जाना बनूल किया जा सकता है।

यदि कोई स्वामी अपने नौकर को अच्छे आचरण का प्रमाण-पत्र दे और कोई आदमी उस नौकर को उसके स्वामी के प्रमाण-पत्र को विना पर नौकर रख ले और नौकर खराब व्यवहार करके अपने नये स्वामी का नुकसान पहुँचाये तो इसके लिए नौकर का पुराना स्वामी उत्तरदायी ठहराया जायगा।

---

## अँग्रेजी समाज के कुछ विशिष्ट शब्द

आर्चबिशप (Archbishop)—इंग्लैण्ड के पादरियों का प्रधान महंत ।

ऐट होम (At-home)—किसी विशेष सज्जन को, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, अपने घर पर बुलाकर अपने अन्य मित्रों से परिचय कराने के लिये जलपान की पार्टी देना ।

बॉल (Ball)—वह नृत्य जो कई जोड़े स्त्री-पुरुष मिलकर नाचते हैं ।

स्टुअर्ड (Steward)—जहाज के नौकरों का नायक और सामान की निगरानी करने वाला नाज़िर ।

सपर (Supper)—रात का अंतिम हल्का भोजन । यह भोजन रात में फिनर और सोने के बीच में किसी समय का है ।

बेस्टमैन (Best man)—विवाह-स्कार के समय दूल्हे का मुख्य साथी ।

विशप (Bishop)—महंत ।

ब्रिज (Bridge)—ताश का एक खेल जो प्राय दाँव लगाकर खेला जाता है ।

विजिटिंग कार्ड (Visiting card)—मिलन-कार्ड ।

चोज़ (Cheese)—पनीर ।

क्लब (Club)—वह स्थान, जहाँ एक संस्था के सदस्य एकत्र होते हैं ।

क्रिकेट (Cricket)—गेंद-बल्ले का एक खेल ।

क्रोकेट (Krockatt)—गेंद का एक खेल ।

डास (Dance)—नाच, इसमें स्त्री-पुरुष अलग अलग भी नाचते हैं और मिलकर भी ।

**फिंगर बोल (Finger bowl)**—कठोरी जिसमें खाने के बाद लोग अपनी उँगलियाँ धो लेते हैं।

**होर ड्रवरे (Hois d'œuvrie)**—भोजन शुरू करने पर सबसे पहले इसी की तश्तरी आती है। इसमें प्राय चाटे होती हैं, जो कई प्रकार की होती हैं।

**मेनू कार्ड (Menu card)**—तैयार खाने की छपी हुई सूची।

**सलैड (Salad)**—वह साग, तरकारियाँ जो प्राय. कच्ची खाई जाती हैं।

**सूप (Soup)**—शोरवा।

**नेपकिन (Napkin)**—हाथ पोछने की छोटी तौलिया, जिसे खाते समय जॉघ पर भी फैला लेते हैं।

**गॉल्फ (Golf)**—गेंद का एक प्रकार का खेल।

**होटल (Hotel)**—निवास।

**नाइफ (Knife)**—चाकू, जिससे काटकर रोटियाँ या मिठाइयाँ खाई जाती हैं।

**फॉर्क (Fork)**—कॉटा, जिससे कोचकर खाने की चीज़ उठाकर खाई जाती है।

**लॉन टेनिस (Lawn Tennis)**—धास पर जो टेनिस खेला जाता है।

**लंचन (Luncheon)**--दोपहर के खाने को कहते हैं। प्राय १ और २ घंटे के बीच में खाया जाता है।

**फ्रेंच मेनू (French Menu)**—फ्रास में प्रचलित नियम के अनुसार खाने की सूची, जिसमें खाने के नाम प्रायः फ्रैंच भाषा में होते हैं।

**डेक ( Deck)**--जहाज की छत।

**पिकनिक (Picnics)**—मित्रों के साथ बस्ती से बाहर जाकर किसी रमणीक स्थान में जलपान करना ।

**रेस (Race)**—घुड़दौड़ ।

**स्केटिंग (Skating)**—पहियेदार खडाऊ को जूतों के नीचे चॉब कर दौड़ना ।

**टेनिस (Tennis)**—गेंद का एक खेल ।

**क्लोकरूम (Cloak-room)**—वह कमरा, जिसमें घर में प्रवेश के पहले लोग छढ़ी, छाता, हैट, ओवरकोट आदि रख देते हैं ।

**टॉइलेट (Toilet)**—हाथ-मुँह धोने का कमरा । हाथ मुँह धोने की क्रिया को भी टॉइलेट कहते हैं ।

**याटिंग (Yachting)**—पाल वाली छोटी नावों पर घूमना ।

**ड्रॉइंग रूम (Drawing-room)**—सजा हुआ कमरा, जो मिलने-जुलने के काम आता है ।

**ड्रेसिंग रूम (Dressing-room)**—कपड़े पहने का कमरा ।

**बैड रूम (Bed-room)**—सोने का कमरा ।

**स्टडी (Study-room)**—पढ़ने का कमरा या आफिन ।

**बाथरूम (Bath-room)**—स्नानागार ।

**किचन (Kitchen-room)**—रसोई घर ।

**डाइनिंग रूम (Dining-room)**—भोजन करने का कमरा ।

**ग्राउंड फ्लोर (Groundfloor)**—मकान के नीचे के कमरे, जो तह-खाने जैसे होते हैं ।

**स्पून (Spoon)**—चमच, जिससे तरल चीजें खाई या पिई जाती हैं ।

**प्लेट (Plate)**—तस्तरी

**कप (Cup)**—प्याली

**डिश (Dish)**—रङ्गावी

**ग्लास (Glass)**—गिलाम

- पेंग (Peg)—शराब पीने का प्याला
- ब्रेकफास्ट (Breakfast)—कलेवा
- टोस्ट (Toast)—रोटी के कटे हुये और सिके हुये ढुकडे ।
- लंच (Lunch)—तीसरे पहर का खाना
- वेजिटेबल्स (Vegetables)—तरकारियाँ ।
- पुडिंग (Pudding)—खीर या हलवा
-

# हिन्दी-मन्दिर, प्रयाग

की पुस्तकों का

सूचीपत्र

---

कविता-कौमुदी

पहला भाग—हिन्दी

सम्पादक—रामनरेश त्रिपाठी

इस पुस्तक में चन्द्रवरदायी, विद्यापति शकुर, कबीरसाहब, रैदास, धर्मदास, गुरुनानक, सूरदास, मलिकमुहम्मद जायसी, नरोत्तमदास, मीराबाई, हितहरिवंश, नरहरि, हरिदास, नन्ददास, टोडरमल, वीरबल, तुलसीदास, वलभद्र मिश्र, दादूदयाल, गङ्गा, हरिनाथ, रहीम, केशवदास, पृथ्वीराज और चम्पाटे, उसमान, मलूकदाम, प्रवीणराय, मुवारक, रसस्थान, सेनापति, सुन्दरदास, विहारीलाल, चिन्तामणि, भूपण, मतिराम, कुलपति मिथ, जसवन्तसिंह, बनवारी, गोपालचन्द्र, बेनी, सुखदेव मिश्र, सबलसिंह चौहान, कालिदास त्रिवेदी, शालम और शेख, लाल, गुरु गोविन्दसिंह, घनश्चानन्द, देव, श्रीपति, वृन्द, बैताल, उदयनाथ (कवीन्द्र), नेवाज, रसलीन, धाघ, दास, रसनिधि, नागरीदास, बनीठनीजी, चरनदास, सोष, रघुनाथ, गुमान मिथ, दूलह, गिरिधर कविराय, सूदन, शीतल, द्वजवासी-

दास, सहबोवाई, दयावाई, डाकुर, बोधा, पदमाकर, लल्लूजीलाल, जयसिंह, रामसहाय दास, खाल, ढीनदयाल गिरि, रणधीरसिंह, विश्वनाथसिंह, राय हेश्वरीप्रताप, नारायण राय, पजनेस, शिवसिंह सेंगर, रघुराजसिंह, छिजदेव, रामदयाल नेवटिया, लक्ष्मणसिंह, गिरिधरदास, लछिराम, गोविन्द गिहाभाई के जीवन चरित्रों और उनकी चुनी हुई कविताओं का संग्रह है। प्रारम्भ में हिन्दी का एक हजार वर्षों का इतिहास बड़ी खोज से लिखा गया है। अन्त में प्रेम, हास्य, शृङ्खर और नीति के बड़े ही मनोरञ्जक धनाचरी, सवैया, कवित्त, दोहे, पहेलियाँ, खेती की कहावतें और अन्योन्तियों संगृहीत हैं। यह पुस्तक शिक्षित मनुष्य के हाथ, हृदय और वाणी का शृङ्खर है। बढ़िया काशङ्ग, उत्तम छपाई और स्वर्णचरों से अद्वितीय, झँझीन कपड़े की मनोहर जिल्द से सुसज्जित यह पुस्तक सुन्दर हाथों में सर्वथा स्थान पाने योग्य है। दाम ३।

---

## कविता-कौमुदी

### दूसरा भाग—हिन्दी

सम्पादक—रामनरेश त्रिपाठी

इसमें नीचे लिखे कवियों की जीवनियों और उनकी चुनी हुई कविताओं का संग्रह है।—

हरिश्चन्द्र, बद्रीनारायण चौधरी, विनायकराव, प्रतापनारायण मिश्र, विजयानन्द त्रिपाठी, अम्बिकादत्त व्यास, लाला सीताराम, नायूराम शक्कर शर्मा, जगन्नाथ प्रसाद “भानु”, श्रीधर पाठक, सुधाकर छिवेदी, शिवसम्पत्ति, महार्वीर प्रसाद छिवेदी, अयोध्यासिंह उपाध्याय, राधाकृष्णदास, यालमुकुन्द गुप्त, किशोरीलाल गोस्वामी, लाला भगवानदीन, जगन्नाथदास रत्नाकर, राय देवीप्रसाद “पूर्ण”, कन्हेयालाल पोद्दार, रामचरित उपाध्याय, मैयड अमीर अली “मीर”, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी,

कामताप्रसाद गुरु, मिश्रवन्धु, गिरिधर शर्मा, रामदास गौड़, माघव शुक्ल, गयाप्रसाद शुक्ल “सनेही”, रूपनारायण पाण्डेय, राचन्द्र शुक्ल, सत्यनारायण, मन्नन ह्विवेदी, मैथिलीशरण गुस, लोचनप्रसाद पाण्डेय, लक्ष्मीधर वाजपेयी, शिवाधार पाण्डेय, माखनलाल चतुर्वेदी, जयशङ्कर प्रनाद, गोपालशरणसिंह, वद्रीनाथ भट्ट, सियारामशरण गुस, मुकुटधर, वियोगी हरि, गोविन्ददास, सूर्यकान्त त्रिपाठी, ।सुमित्रानन्द पन्त, चुभद्राकुमारी चौहान ।

प्रारम्भ में खड़ी बोली को कविता का बड़ा मनोरक्षक इतिहास और अन्त में “कौमुदी-कुञ्ज” नाम से फुटकर कविताओं का बड़ा अनूठा संग्रह है । इसका तीसरा संस्करण बड़ी सजधज से निकला है । विद्या, सफेद, चिकना काशाज, अच्छी छपाई, कपडे की सुन्दर और मज़बूत जिर्द और दाम सिर्फ़ तीन रूपये ।

## कविता-कौमुदी

### तीसरा भाग—संस्कृत

सम्पादक—रामनरेश त्रिपाठी

इसमें निम्नलिखित मंसूतकवियों की जीवनियाँ और उनकी चमत्कार-पूर्ण कविताएँ संगृहीत हैं ।—

अकालजलट, अप्पय दीन्दित, अभिनव गुप्ताचार्य, अमर्क, अमित-गति, अमोघवर्ष, अश्वघोष, आनन्दवर्धन, कल्हण, कविपुत्र, कविराज,, कालिदास, कुमारदास, कृष्ण मिश्र, क्षेमेन्द्र, गोवर्धनाचार्य, चन्द्रक, चाणक्य, जगद्धर, जगन्नाथ परिण्ठतराज, जयदेव, जोनराज, त्रिविक्रम भट्ट, दामोदर, गुस, दंटी, धनञ्जय, पाजक, पद्मगुस, प्रकाशवर्ष, पाणिनि, वाणि, विकटनितम्बा, विल्हण, भट्टभङ्गट, भवभूति, भर्तृहरि, भारवि, भासट, भिज्जाटन, भोज, भास, मङ्गक, मयूर, माघ, मातङ्गदिवाकर,

मातृगुप्त, सुरारि, मेरिका, रक्षाकर, राजगेखर, लीलाशुक, वरहचि, वाल्मीकि, वासुदेव, विजका, विद्यारथ्य, व्यामदेव, शिवस्वामी, शीला भट्टारिका, श्रीहर्ष, सुवन्धु, हर्षदेव आदि ।

प्रारम्भ में संस्कृत-साहित्य का इतिहास है । अन्त में कौमुदी-कुञ्ज में संस्कृत के रस, ऋतु पहेली, नायिका-भेद, निन्दा-प्रशंसा-विषयक मनोहर श्लोकों का बड़ा ललित और आनन्दवर्धक संग्रह है । पुस्तक सुन्दर सजिल्द, छपाई-सफ़ाई बढ़िया । दाम तीन रुपये । इसका संशोधित नवा संस्करण शीघ्र ही प्रकाशित होगा ।

---

## कविता-कौमुदी चौथा भाग—उदू'

सम्पादक—रामनरेश त्रिपाठी

हिन्दी-अन्तर्रों में उदू' के बली, आवरू, मज्जमून, नाजी, यकरङ्ग, हातिम आरजू, फुगाँ, मज्जहर, सौदा, मीर, दर्द, सोज़, जुरअत, हसन, इन्शा, मसहफ़ी, नज़ीर, नासिख, आतिश, ज़ौक़, गालिव, रिन्द, मोमिन, अनीस, दवीर, नसीम, अमीर, दाग, आसी, हाली, अकबर आदि मशहूर शायरों की, दिल को हुलसानेवाली, तबीयत को फड़कानेवाली, कलेजे में गुदगुदी पैटा करनेवाली, आशिक्क-माशूक के चोचलों से चुहचुहाती हुई, महावरों की मौज में चुलबुलाती हुई, वारीक विचारों की मिठास से दिमाता को मस्त करनेवाली, निहायत शोख, बातों ही से हँसाने और ख्लानेवाली उदू'-गज़लों और तीर की तरह चुभनेवाले शेरों का अनोखा संग्रह है । इसमें उदू'-भाषा का निहायत दिलचस्प इतिहास भी है ।

कौमुदी-कुञ्ज में निहायत मजेदार शेरों और गज़लों का संग्रह है ।

छपाई-सफ़ाई मनोहर, कागज़ बढ़िया, कपड़े की सुवर्णाङ्कित जिल्द, दाम केवल तीन रुपये ।

---

## कविता-कौमुदी

पॉचवॉ भाग—ग्राम-गीत

सम्पादक—रामनरेश त्रिपाठी

इसमें निम्नलिखित विषय हैं—

ग्रामगीतों का परिचय, सोहर, जनेऊ के गीत, विवाह के गीत, जॉत के गीत, सावन के गीत, निरवाही और हिँ ढोले के गीत, कोस्हू के गीत, मेले के गीत, बारहमासा।

प्रारम्भ में विस्तृत भूमिका है, जिसमें लेखक की गीतन्यात्रा का बढ़ा ही मजेदार वर्णन है। भूमिका के बाद गीतों का परिचय है जो वही विद्वन्ना से लिखा गया है।

बंडिया एंट्रिक काश्मीर पर, सुन्दर छपी हुई, मनोहर सनिल्द पुस्तक का मूल्य केवल तीन रुपये।

## कविता-कौमुदी

छठो भाग—ग्राम-गोत

सम्पादक—रामनरेश त्रिपाठी

इस भाग में निम्नलिखित विषय हैं—

आल्हा, चनैनी, हीरन्डॉमा, ढोलाभास्तु, नयकवा आदि वहें-वहे गीतों की संक्षिप्त कथाएँ और नमूने, धाघ और भट्टरी की उक्तियाँ, खेती की कहावतें, पहेलियाँ, लोकोक्तियाँ, नीति के पद, दाशमीरी गीत, पंजाबी गीत, मारवाड़ी गीत, भीलों के गीत; गुजराती गीत, मराठी गीत, मलयाली गीत, तामिल गीत, तेलगू गीत, उटिया गीत, देगला गीत, आसामी गीत, मैथिल गीत, झंपाती गीत, पाटी गीत—अलमोदा और गटवाल के गीत।

कौमुदी-कुञ्ज में—विरहे, कहरा, पचग, लावनी, होली, रसिया,  
चैती, खेमटा, पूरबी, वादग, त्रोहे, नोन्ठे, नवैया, कवित्त, 'छन्द, भजन  
हृत्यादि ।

छपाई-सफ़ाई बहुत उम्दा, काग़ज बढ़िया जिल्द सुन्दर, दाम ३) ।  
( प्रेस में )

---

## पथिक

रचयिता—रामनरेश त्रिपाठी

पथिक एक खंड-काव्य है । पाँच सर्गों में समाप्त हुआ है । पथिक की कथा पढ़कर कौन ऐसा सहृदय है, जो न गे उठे । स्थान-स्थान पर प्राकृतिक गौन्दर्य का बड़ा ही हठयस्पर्शी वर्णन है । देश की दशा, कर्तव्य-पालन की दृष्टा, आत्मबल की महिमा और आत्मत्याग की कथा वह ही मार्मिक शब्दों में लिखी गई है ।

पुन्तक बढ़िया काश्मीर पर बड़ी सुन्दरता से छपी है । दाम आठ आना । कपड़े की जिल्द तथा ५ सुन्दर चिंचों से अलंकृत राज-संस्करण का मूल्य एक रुप्या ।

---

## मिलन

रचयिता—रामनरेश त्रिपाठी

यह एक खण्ड-काव्य है । पाँच सर्गों में समाप्त हुआ है । पथिक और मिलन दोनों दो मिद्दान्तों को ध्यान में रखकर लिखे गये हैं । गाहित्य-ग्रन्थिक लोग इसकी कथा को पथिक से उत्तम बताते हैं । नया मंस्करण बहुत सुन्दर निकला है । मूल्य आठ आने ।

---

## स्वभूमि

रचयिता—रामनरेश त्रिपाठी

यह काव्य भू-स्वर्ग काश्मीर में लिखा गया है। जिन्होंने मिलन और पथिक पढ़ा है, वे इस काव्य के अवश्य पढ़ें। इसमें प्रकृति-वर्णन के नाय शृङ्खला, पिरह-प्रेम और देश-भक्ति का अनुपम मिश्रण है।

इस पुस्तक पर रचयिता को हिन्दुस्तानी एकेडेमी से ५००) का पुरस्कार मिला है।

---

## मानसी

सम्पादक—श्रीगोपाल नेवटिया

इसमें पढ़ित रामनरेश त्रिपाठीजी की फुटकर छुनी हुई कविताओं का संग्रह है। सम्पादक ने प्रारंभ में एक सारगर्भित भूमिका लिखी है जिनको खड़ीदोली की कविता में प्रनुराग हो, वे इसे अवश्य पढ़ें। छपाई बहुत ही उत्तम। सत्य आठ आने।

---

## स्वभूमि के चित्र

लेखक—रामनरेश त्रिपाठी

इन पुस्तक के प्रमुख और कहानियों पटकर हँसते-हँसते लोटपोट दा जाइयेगा। समझत्समझ कर फिर हँसियेगा। भापा यदी मरस, वर्णन-शैली बढ़ी मनोहर, विषय घुन्ट रोचक। पाठकों को इन प्रहसनों और कहानियों से मारित्य-सम्बन्धी कितनी दी नहीं यारें मालूम होंगी।

प्रहसन और कहानियाँ ऐ नाम ये हैं—

(१) कपि धा स्लूम, (२) नग्न-शिख (घहानी), (३) नार्यका-भेद (फहानी), (४) कवियों की कौसित (प्रहसन), (५) स्त्रियों की धोमिल (प्रहसन), (६) ददि (प्रहसन), (७) दिनांगी पेशानी छहानी, (८) सीजन टल टै (प्रहसन) (९) हुणाल (बहानी)।

छपाई-सफाई दर्शनीय। सत्य वारह आने।

## काश्मीर

लेखक—श्रीगोपाल नेवटिया

काश्मीर पृथ्वी का स्वर्ग है। काश्मीर भारत का गारब है। काश्मीर प्रकृति का रङ्ग-मञ्च है। काश्मीर सौन्दर्य का केन्द्र है।

इस पुस्तक में काश्मीर के हिम-पर्वतों, झरनों, नदी-नालों, बन-उपवनों, मैनोहर घाटियों और वहाँ के सुन्दर स्त्री-पुरुषों का आँखों-देखा वर्णन ऐसी सजीव भाषा में किया गया है, कि पढ़ते समय काश्मीर आँखों के आगे आ जाता है।

हिन्दी में काश्मीर विषयक यह नवसे पहली पुस्तक है। इसमें १४ रंगीन और १६१ साढे चित्र भी हैं। ब्राह्म-सक्राई काश्मीर ही की तरह सुन्दर है। रंगीन कपड़े की सुन्दर सुवर्णाद्वित जिल्ड से अलंकृत इस पुस्तक का मूल्य केवल पाँच रुपये। —

## अङ्ग्रेज़ी शिष्टाचार

सम्पादक—रामनरेश त्रिपाठी

अङ्ग्रेज़ी समाज की रहन-सहन, चाल-डाल, बोली-नानी, रस्म-रिवाज, सान-पान, रङ्ग-दङ्ग, तौर-न्तरीक्षा, उठ-बैठ, लोकाचार, तहजीब, अमोट-प्रमोट आदि का वर्णन इस पुस्तक में है। संसार की स्वतंत्र जातियों के चरायर बैठने का हौसला रखने वाले भारतीयों को प्रत्येक समाज के क्षायदेक्षानून की जानकारी बहुत ज़रूरी है। जो लोग समाज में जाने-आने के नियम नहीं जानते, वे असम्य गिने जाते हैं और सम्य लोगों की नज़रों से गिर जाते हैं। इस पुस्तक-द्वारा विना विलायत गये ही अङ्ग्रेज़ों की गीतिभाँति का ज्ञान हो जाता है। मूल्य २।

इसमें इन विषयों का वर्णन है —

(१) पहनावा, (२) परिचय, (३) मिलने जाने और कार्ड देने की शिष्टता, (४) पहुँचने का समय, (५) एट-होम और स्वागत, (६) त्रिज

पार्टीयों और विजन्सम्बन्धी चाय-पार्टीयों, (७) नाचो के प्राह्वेट उत्सव, (८) सार्वजनिक बॉल और नृत्य के जल्से, (९) छब, (१०) नाटक में, (११) सोटर, गाड़ी और घोड़े की सवारी हॉकना, (१२) मैदान के खेल-सम्बन्धी शिष्टाचार, (१३) योद्धा या छोटे जहाज पर समुद्र की सैर, (१४) शूझार के सम्बन्ध में कुछ बातें, (१५) पिकनिक और नदी के सैर की पार्टीयों, (१६) गार्डन पार्टीयों (उद्यान-नोज), (१७) सगाई, (१८) विवाह, (१९) देहात की यात्रा, (२०) यात्रा, (२१) जहाज पर, (२२) मृत्यु के जलूस और मातम, (२३) चिट्ठी-भत्ती, (२४) पेशो-सम्बन्धी शिष्टाचार, (२५) गृहस्थों के लिए कुछ हिदायतें, (२६) स्वामी और नौकर ।

---

## कुल-लक्ष्मी

स्त्रियों के लिये यह बड़े ही काम की पुस्तक है । ऐसी उपयोगी पुस्तक स्त्रियों के लिये अभी तक हिन्दी-भाषा में दूसरी नहीं निकली । इसमें इन विषयों का वर्णन है —

स्त्रियों के गुण—सौन्दर्य की सृष्टि, लज्जा, नम्रता, गम्भीरता, सरलता, सन्तोष, श्रमशीलता, ध्नेहशीलता, अतिथि-सेवा, देव-सेवा, मेवा-शुश्रूपा, सुजनता, कर्तव्य-ज्ञान, सतीत्व ।

स्त्रियों के दोष—आलस्य, दिलासिता, स्वेच्छाचारिता, अत्यदस्था, कलह, दूसरे की निन्दा और ईर्ष्या-हेप, अभिमान और अहकार, स्वान्त्र्य से लापरवाही, हानि-परिहास और व्यर्ध वार्तालाप, अमहनशीलता, अपव्यय ।

पति के प्रति स्त्री का वर्तव्य । नाल-नसुन के प्रति वह का कर्तव्य । अन्यान्य आत्मीयों के प्रति स्त्री का वर्तव्य । जेठ, देवर, जेठानी, देवरानी और ननद इत्यादि, नौकर नौकरानी आदि ।

रोज़ के काम—मव्रेरे का काम, रसोई, पान बनाना, स्वच्छता और सुख्यवस्था, लिखना-पढ़ना और दम्तकारी, जेजाना हिन्दू, मेवा-शुश्रूषा, ब्रत-उपवास, पढ़ने योग्य पुस्तकें, मित्रय ।

पौराणिक नीति-कथा—लक्ष्मी और लक्ष्मणी का मंवाद, सुमना और गांडिली का मवाद, पर्वती का श्री-र्म-नर्णन । द्रौपदी और गत्यभामा का मंवाद ।

मनाहर जिल्दयाली वडिया छपी हुई पुस्तक का दाम केवल नवा लपया । उपहार में देने योग्य पुस्तक है ।

## दम्पति-सुहृद

स्वर्गीय सतीशचन्द्र चक्रवर्ती-लिसित वैगला-पुस्तक का हिन्दी अनुवाद । यह पुस्तक श्री-मुख्य दोनों के लिये बड़े काम की है । ग्रन्थक पढ़े-लिये नर-नारी को एक बार इस पुस्तक का पाठ कर जाना चाहिये । इसमें हन् विषयों का वर्णन है :—

दम्पति, दाम्पत्यग्रेम, रूपतृष्णा, उत्सुतृष्णा, संसार और गृहकार्य, सन्तान-पालन, चरित्र-गठन, नाना कथा, दिलासिता, दाम्पत्य कलह, चमागुण, अवस्था, मितव्ययता, दान, भिजा, माहात्म्य-प्रार्थना, कृतज्ञता, पारिवारिक सम्मान, रहस्य-रक्षा, विविध । पुस्तक मजिल्द है । दाम सवा रुपया ।

## सद्गुरु-रहस्य

लेखदाता—कुमान काशलेन्द्रप्रताप सार्वि, रायबहादुर, दिघरा राज

इस पुस्तक को आप एक दा पढ़ डालिये, अपने पुत्र-पुत्रियों को पुरम्कार और मित्रों को उपहार में दीजिय, आप दा कर्त्यारा होगा । आप भगदान के धरणों की उम शीतल छाया में जाकर बढ़े होंगे, जहाँ

ससार के दुखन्दावानल की ओच नहीं पहुँचती । वीसवी सदी के घोर नास्तिकता-पूर्ण नातावरण में तो इस पुस्तक का प्रचार घर-घर होना चाहिए । यह अवधि के एक राजवशीय नररत भगवन्नके दश वर्षों के गम्भीर सनन का फल है । इसमें कालन्तर, साया और प्रेम तथा ज्ञान-विज्ञान की परीक्षा करके तथा वैज्ञानिक सचाहयों के द्वारा भी भक्ति की श्रेष्ठता सिद्ध की गई है । विद्वान् लेखक ने भक्त कवियों के मर्मत्पर्णी पदों, दोहों और विधि छद्मों से भाषा में ऐसा प्राण ढाल दिया है कि पढ़ते-पढ़ते मन लहालोट हो जाता है । हिन्दी में अभी तक ऐसी अच्छी पुस्तक नहीं निकली । यह पुस्तक इतनी सुन्दरता से छपाई गई है कि देखकर नेत्रों का जीवन सफल हो जाता है । पुस्तक में आठ चित्र भी हैं । कपड़े को मनोहर जिल्द लगी है । सद्गुरु-रहस्य आप के हृदय-मन्दिर का दीपक, वारी का ध्लंकार, हाथों का भूषण और आलमारी का शृङ्गार है । दाम लागतमात्र २॥ ।

---

## अयोध्याकाण्ड, सटीक

टीकाकार—रामनरेश त्रिपाठी

राजापुरवाली प्रति के अनुसार मूल पाठ ठीक करके यह अयोध्याकाण्ड टीकान्वित हमने प्रकाशित किया है । टीका इसकी ऐसी मन्त्र है कि साधारण पटे-लिखे लोग भी चौपाहयों का अर्थ आसानी में समझ लेते हैं । हिन्दी-मन्दिर से प्रकाशित होने वाली पुस्तकों की छपाई-सकाई ता प्रसिद्ध ही है । इन पर भी साठे तीन सौ पृष्ठों की पुस्तक का दाम केवल बारट आना रखा गया है । कपड़े की जिल्द का एक रपया । इतना सस्ती पुस्तक हिन्दी में कोई नहीं है । हिन्दुओं के घर-घर में रामाचरण का प्रचार होने के लिये ही हमने इतना सन्ना दाम रखा है । आशा है, हमारे हिन्दू-धर्माभिमानी पाठक इसे धारो-क्षाय लेंगे ।

---

मटीक

## भूषण-ग्रन्थावली

ट्रीकाकार—रामनरंश त्रिपाठी

भूषण-ग्रन्थावली का विल्कुल नया और सब से अधिक पूर्ण मंस्करण । पाठ बहुत शुद्ध, ट्रीका बहुत सरल, प्रेतिहासिक विवरण बहुत सच्चा । ग्रामभ में भूषण और शिवाजी की जीवनी ।

भूषण की ओर रसमयी कविता पढ़कर मुर्दों की नस भी फड़क उठती है । अलङ्कारों के ज्ञान के साथ वीररस की कविता का रमास्वाद बहुत ही उत्साहवर्द्धक और मनोरञ्जक है । प्रत्येक हिन्दू में शिवाजी का सा तेज और प्रत्येक कवि में भूषण जैसा स्वजात्याभिमान होना चाहिए ।

यह पुस्तक हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की परीक्षा में है । इसमें भूषण के बहुत से नये कवित्त भी दिये गये हैं, जो पीछे मिले हैं । छपाई-सफाई बहुत बढ़िया । दाम केवल एक रुपया ।

## हिन्दुओं के व्रत और त्योहार

लेखक—कुवर कन्हैया जू

हिन्दी में अपने विषय की यह पहिली पुस्तक है, जिसमें हिन्दुओं में प्रचलित व्रतों और त्योहारों का सुलासा वर्णन दिया गया है । घरों के साथ जो कथाएँ प्रचलित हैं, वे भी लिख दी गई हैं । भाषा ऐसी सरल है कि साधारण पढ़ी-लिखी कन्याएँ और बहुएँ भी इसे अच्छी तरह समझकर लाभ उठा सकती हैं । यह पुस्तक प्रत्येक हिन्दू-परिवार में रहनी चाहिये । कन्याओं, बहुओं और बहनों को यह पुस्तक उपहार में देनी चाहिये । उपहार के लिये ही हमने यह पुस्तक बटे मज-धज से छपाई है । जिल्द भी बहुत सुन्दर लगा दिया है । फिर भी दाम केवल दो रुपये ।

## हिन्दी-पद्य-रचना

लेखक—रामनरेश त्रिपाठी

श्राजकल के नवयुवकों की रुचि हिन्दी कविता रचने की ओर बहुत बढ़ रही है। किन्तु रचना की विधि न जानने से उन्हें सफलता बहुत कम मिलती है। यह पुस्तक उन्हें हिन्दी-पद्य-रचना का मार्ग बतलाती है। यह हिन्दी का पिङ्कल है। नौसिख पद्य-रचयिताओं को यह पुस्तक एक बार अवश्य पढ़ लेनी चाहिये। यह हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की परीक्षा में भी त्वीकृत है। दाम चार आना। —

## सुभद्रा

लेखक—रामनरेश त्रिपाठी

यह एक उपन्यास है। संसार में कैसे-कैसे मनुष्य पड़े हैं, इसमें उनका चित्र है। एक घरटे का मनोरंजन है और जन्म भर के लिये शिक्षा। दाम छाठ आना। —

## बाल-कथा कहानी

लेखक—रामनरेश त्रिपाठी

हमारे यहाँ से इस नाम की एक सीरीज़ निकलती है, जिसमें अभी तक दस भाग तैयार हुये हैं। सभी भाग नविन्य हैं। रंग-विरंगी स्याहियों ने छपे हुये हैं। सब में चिकना और नोटा बाग़ज़ लगा है। सब के कवर बड़े ही सुन्दर और धार्कर्पक हैं। बहानियाँ एक ने एक बढ़कर रोचक और मनोहर है। बच्चे कहानियों पइकर लोट-योट हो जाने हैं। इन पुस्तकों को पढ़कर बच्चे इतना प्रसन्न होते हैं कि उनका शक्त उनको तन्दुरस्ती पर पहता है। प्रत्येक बाल-दच्छेवाले परिवार में ये पुस्तकें अवश्य होनी चाहियें। प्रत्येक भाग का मूल्य छ रुपाने है। छपाई-सफाई और बाग़ज़ देखते हुये यह दाम बहुत ही मन्ना है।

## नीति-शिक्षावलो

संग्रहकर्ता—रामनरेश त्रिपाठी

इसमें नीति के उत्तम श्लोकों का संग्रह है। हिन्दी में अर्थ भी लिख दिये गये हैं। ये श्लोक सब को कंठस्थ रखने चाहिये। बच्चों को बालक-पन से ही इन्हें याद कराते रहना चाहिये। दाम आठ आने।

## हिन्दी का संक्षिप्त इतिहास

लेखक—रामनरेश त्रिपाठी

इस पुस्तक में हिन्दी का एक हजार वर्षों का इतिहास बड़ी खोज से लिखा गया है। दाम छः आने।

## कौन जाग रहा है ?

( नाटक )

अनुवादक—रामनरेश त्रिपाठी

श्रीयुक्त वी० एन० मेहता, आई० सी० एस०, जो युक्तप्रात के कई ज़िलों में कलकट्टर रह चुके हैं और आजकल युक्तप्रात की गवर्नर्मेट के सेक्रेटरी हैं, वडे विज्ञान पुरुष हैं। वे कई भाषाओं के वडे मार्मिक जानकार तो हर्ष हैं, प्रसिद्ध लेखक और नाटककार भी हैं। उन्होंने गुजराती में 'कोजाग्रि' नाम से एक नाटक लिखा है, जिसका 'प्लाट' वडा सुन्दर और उपदेश-ग्रन्थ है। मेहता साहब ने उसमें मानव-स्वभाव का जैसा सुन्दर चित्रण किया है, उससे उनकी बहुज्ञता और बहुदर्शिता का परिचय मिलता है। प्रमुख पुस्तक उसी गुजराती पुस्तक का अनुवाद है। अनुवाद में भाषा की सरसता और भावों की गंभीरता क्रायम रखने का ध्यान रखवा गया है। काश्मीर, छपाई-सफाई बहुत यदिया। दाम आठ आने।

## रहीम

सम्पादक—रामनरेश त्रिपाठी

रहीम इवानखाना वादशाह अकबर के बज़ीर थे । वे हिन्दी के अच्छे कवि भी थे । उनकी जीवनी और उनकी कुछ कविताओं का, जो अवतक मिल सकी हैं, इस पुस्तक में संग्रह है । नया संस्करण । दाम आठ आने । ( प्रेस मे )

---

## चिन्तामणि

संग्रहकर्ता—रामनरेश त्रिपाठी

भगवद्भक्तों की वाणी की बड़ी महिमा है; उसमें बड़ी शक्ति है । वह संसारन्सागर में हृष्टे हुए प्राणियों को उचार लेती है; दुख-दावानल में जलते हुए जीवों को शीतलता और शान्ति प्रदान करती है; वहकी हुई नौका में वह पाल का काम देती है । जीवन-रह में विजय पाने की लालसावाले प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह प्रतिदिन प्रातः-काल और संध्या को भक्तों और संतों की वाणियों का गान किया करे । यह गान वर्तमान जगत् के सर्वश्रेष्ठ मनुष्य महात्मा गांधी के दैनिक जीवन का एक प्रधान शंग है ।

हमने कनीर, हुलसी, सूर, नानक, दादृ, रैदास, मलूक, मीरा आदि सतों और भक्तों के सुमधुर पदों का संग्रह इस चिन्तामणि में किया है । इसका प्रत्येक पद श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, भक्ति, मार्य और शरणागति वी और स्त्री-देवताला है । इसका धाकार भी इस हिमाव से छोटा रखा गया है कि यह यात्रा मे भी साथ रखा जा सके और जेव मे भी आ सके । फिर भी मूल्य केवल आठ आने ।

---

## इतना तो जानो

( 'आटले तो जाणजो' नामक गुजराती पुस्तक का अनुवाद )

अनुवादक—रामनरेश त्रिपाठी

इस पुस्तक में ये विषय हैं—

- |                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| १—शासन-प्रणाली     | ६—हिन्दू-सुखलिम ऐक्य            |
| २—नौकरशाही         | १०—स्वराज्य                     |
| ३—महासभा (१)       | ११—आम-पंचायत                    |
| ४— „ „ (२)         | १२—म्युनिसिपैलिटी और लोकल वोर्ड |
| ५—असहयोग           | १३—लगान                         |
| ६—स्वदेशी          | १४—अदालत                        |
| ७—राष्ट्रीय शिक्षा | १५—हिन्दुस्तान कैसे बरबाद हुआ ? |
| ८—अस्पृश्यता       |                                 |

इस पुस्तक की सब वार्ताएँ ग्रन्थक भारतवासी को जाननी चाहिये ।  
स्वतंत्र स्कूलों में यह पुस्तक पढ़ाई जानी चाहिये । दाम आठ आने ।

---

### रीडरें

लेखक—रामनरेश त्रिपाठी

**बालकों के लिये                    बालिकाओं के लिये**

- |                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| हिन्दो-प्राह्म                     | → हिन्दी-प्राह्मर . →           |
| हिन्दी की पहली पुस्तक              | ⇒ कन्या-शिक्षावली, पहला भाग →   |
| हिन्दी की दूसरी पुस्तक             | ⇒ कन्या-शिक्षावली, दूसरा भाग ⇒  |
| हिन्दी की तीसरी पुस्तक             | → कन्या-शिक्षावली, तीसरा भाग ⇒  |
| हिन्दी की चौथी पुस्तक              | ⇒ कन्या-शिक्षावली, चौथा भाग ⇒   |
| पाँचवीं, छठी पुस्तकें छप रही हैं । | पाँचवाँ और छठाँ भाग छप रहा है । |
-





